खण्ड-136, अंक-2
मंगलवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1876
(4 मई, 1954 ई0)

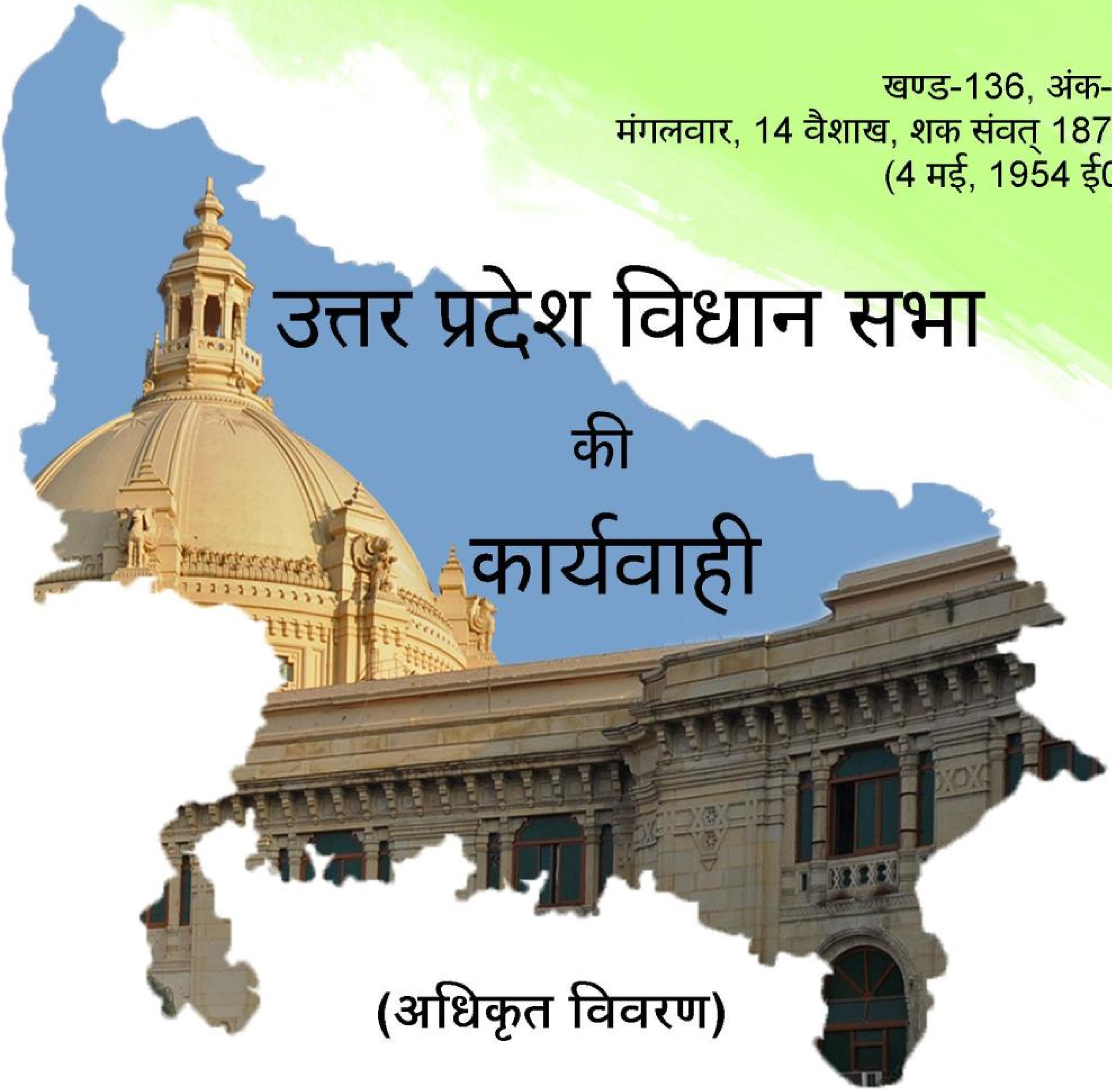

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 136 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ४ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडे, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास, श्री
दर्शनराम भगत, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पांडेय, श्री
सेवा राम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

दीवान सुन्दर दास ने शपथ ग्रहण की ।

प्रश्नोत्तर

अल्पपूचित तारांकित प्रश्न

विधान भवन को एयर कण्डीशण्ड कराने की आवश्यकता

**१ –श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह विधान भवन को एयर कन्डीशन्ड कराने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जी नहीं ।

**२---श्री झारखंडे राय---अगर हां, तो इसमें सरकार का कितना खर्च होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सवाल नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय---क्या वित्त मंत्री बतलायेंगे कि एयर कंडीशण्ड करने में सरकार के सामने क्या दिक्कतें हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---दिक्कतों का सवाल पैदा नहीं होता । मैंने तो जवाब दिया है कि यह बात विचाराधीन नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय वित्त मंत्री जी के पास कुछ इस तरह के सुझाव भी आये हैं कि इस सदन को एयर कंडीशन्ड करा दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कम से कम मंत्री के पास तो नहीं आये ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को यह खबर है कि इस हमारे हिन्दोस्तान के और प्रांतों की जो विधान सभायें हैं वे सब करीब-करीब एयर कंडीशन्ड हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---हैं भी, नहीं भी हैं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रांत होने के नाते क्या यह आवश्यकीय नहीं है कि यहां का जो सदन है उसे एयर कंडीशन्ड करा दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जरूर है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय झारखंडे राय जी के स्वास्थ्य को दृष्टि में रख कर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे .....

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता । आपने नाम ले कर व्यक्तिगत प्रश्न पूछा है ।

सैदपुर में जनाने अस्पताल की आवश्यकता

**३--श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि स्वास्थ्य मंत्री ने सैदपुर में १९५४ तक एक जनाना अस्पताल बनाने तथा वर्तमान मर्दाना अस्पताल का प्रांतीयकरण करने का वादा किया है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--वादा तो नहीं किया था परन्तु इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वचन दिया था । विचार हो रहा है।

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३-५--श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)--[२५ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

*६-७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[२५ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*८-१०--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

*११-१२--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--[२५ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*१३-१५--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

जूरी प्रथा के सम्बन्ध में भारत सरकार का आदेश

*१६--श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि न्याय मंत्री ने उत्तर प्रदेशीय जूरी लोगों के एसोसियेशन के एक डेपुटेशन से गत अक्तूबर म स में यह बात कही थी कि यू० पी० गवर्नमेंट इस बात पर गौर कर रही है कि निकट भविष्य में राज्य भर में फिर से जूरी सिस्टम चालू कर दिया जाय ? यदि ऐसा है, तो कब से यह सिस्टम चालू हो जायगा ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी नहीं, गत अक्तूबर मास में उत्तर प्रदेशीय जूरी लोगों के डेपुटेशन से न्याय मंत्री ने केवल यह कहा था कि जनमत जूरी प्रथा के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश के केवल छः जिलों में जूरी प्रथा रखना ठीक नहीं है जबकि और जिलों में जूरी द्वारा मुकदमें नहीं सुने जाते।

*१७--श्री मलखान सिंह (अनुपस्थित)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिया है ? यदि हां , तो क्या ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जूरी प्रथा के सिलसिले में जो बिल पेश करने वाली है उसे स्थगित कर दिया जाय क्योंकि भारत सरकार स्वयं फौजदारी कानून के संशोधन करने के लिए बिल पेश कर रही है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में नलकूपों का निर्माण

*१८—श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्दर कौन-कौन से सिंचाई के नये साधन निर्माण किये जाने को हैं?

सिंचाई उप-मंत्री (श्री राममूर्ति)—संशोधित पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर जिले में १२८ नलकूप ६०० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत और १८ नलकूप २०० अतिरिक्त नलकूपों की योजना (ट्यूब वेल सर्किल पश्चिम में) के अन्तर्गत बनने थे। यह सभी नलकूप बन गये हैं और इनसे सिंचाई होने लगी है। उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त अपर गंगा नहर की क्षमता बढ़ाने की योजना से भी जिस पर कार्य प्रगति पर है, बुलन्दशहर जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना लागू होने के पहले बुलन्दशहर में कितने ट्यूबवेल बने थे?

श्री राममूर्ति—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये १२८ तथा १८ ट्यूबवेल्स कब से बनने शुरू हुए और कब बनकर समाप्त हुए?

श्री राममूर्ति—यह सन् १९४६ ई० में बनने शुरू हुये और इस साल मार्च तक करीब करीब सब बन चुके हैं, जिसमें १५७ चालू हो गये हैं और बाकी पर अभी बिजली नहीं लग पायी है। इसलिए वह काम में नहीं आये हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूबवेल्स सन् १९४६ ई० में लगे थे उनमें अब पानी बहुत कम निकलता है और अब वह बेकार होते चले जाते हैं।

श्री राममूर्ति—इसकी सूचना कोई हमारे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो वह लिखकर दें, उसकी जांच करायी जा सकती है। उनके लिए एक निर्धारित कोटा पानी का रहता है। अगर वह उससे कम पानी देते हैं तो उनकी रिबोरिंग करायी जायगी।

श्री धर्मसिंह—क्या यह सही नहीं है कि जो कुएं सन् १९४६ ई० के पहले बने थे वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं?

श्री राममूर्ति—पंचवर्षीय योजना ५ साल की है अगर वह इससे पहले के हैं तो उसमें नहीं आते होंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय सूचना मंत्री को विदित है कि बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद तहसील के पश्चिमी हिस्से के लिये लोगों ने अनेक बार दरख्वास्त दी कि सरकार वहां पर सर्वे कराये मगर वहां पर आज तक एक भी ट्यूबवेल नहीं बना है?

श्री राममूर्ति—आज तक नहीं बने हैं तो आगे बनेंगे।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कब से ट्यूबवेल बनने शुरू हुये?

श्री राममूर्ति—मैं आपका आशय समझा नहीं।

श्री बलवन्त सिंह--मेरे कहने का मतलब यह है कि बुलन्दशहर जिले में जो ट्यूबवेल बनने शुरू हुए हैं वह पंचवर्षीय योजना के किस साल से बनने शुरू हुये हैं ?

श्री राममूर्ति--सन् १९४६ ई० में बनने शुरू हुए यानी पंचवर्षीय योजना क ३ साल पहले शुरू हुए थे।

श्री दीन दयालु शर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२, १९५२-५३, १९५३-५४ के सालों में कितने ट्यूबवेल बने ?

श्री राममूर्ति--यह दो योजनाएं थीं, एक ६०० ट्यूबवेल की योजना थी जिसमें १६२ बन चुके हैं। दूसरी में १८ बने हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय सूचना मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि सिकन्दराबाद तहसील के पच्छिमी भाग में कुएं बनाने के लिए योजना है तो क्या वहां पर कुएं बनाने पर विचार सरकार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--अभी हमारे यहां ७५ टयूबवेल बनाने की योजना और आयी है, उसके अन्तर्गत ऐसा ख्याल किया जाता है कि बुलन्दशहर जिले में १५ टयूबवेल और बनेंगे। उनका स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है। सम्भव है कि वह सिकन्दराबाद तहसील में ही हो।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--क्या सूचना मन्त्री बतलायेंगे कि ५१-५२ के बारे में आप का जवाब साफ नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष--आप बहुत देर से पहुंचे। उन्होंने बहुत साफ उत्तर दिया था।

श्री दीन दयालु शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५३-५४ में कितने टयूबवेल बुलन्दशहर जिले में बने ?

श्री राममूर्ति--यह तो एक कान्टीनुअस प्रोग्राम है और बराबर टयूबवेल बनते रहते हैं। उनकी तो सूचना नहीं है, कि ५३-५४ में कितने टयूबवेल बने।

सुल्तानपुर जिले में सहकारी नलकूप

*१९--श्री काशी प्रसाद पांडे (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में सिंचाई के लिए कितने कोआपरेटिव टयूबवेल बनाये जा रहे हैं और वे कब तक तैयार हो जायेंगे ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--इस जिले में दो सौ राजकीय नलकूप बनने वाले हैं इसलिए सहकारी नलकूप उनके स्थान नियुक्त हो जाने के बाद बनाये जायेंगे।

सुल्तानपुर जिले में नहर की खुदाई के लिये अधिकृत भूमि

*२०--श्री गुरु प्रसाद (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर विस्तार योजना के अन्तर्गत सुल्तानपुर जिले में गत वर्ष कितनी कृषि भूमि नयी नहर की खुदवाई के लिए अधिकृत (aqcuire) की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सुल्तानपुर जिले में जौनपुर ब्रांच के निर्माण हेतु लगभग ८०० एकड़ भूमि अधिकृत की गयी है।

*२१--श्री गुरु प्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिन किसानों की भूमि ली गयी उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला और उन्हें लगान भी देना पड़ रहा है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--इस भूमि को अधिकृत करने का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है जिस कारण मुआविजा देने में विलम्ब हो रहा है। भूमि को अधिकृत करने की कार्यवाही में तत्परता की जा रही है। जिलाधीश को लिखा गया है कि वे किसानों से उस भूमि का लगान जिस पर जौनपुर ब्रांच के निर्माण के लिए अधिकार कर लिया गया है वसूल न करें, और जो लगान उन्होंने ऐसी भूमि का वसूल कर लिया है, उसे तुरन्त ही ग्रामीणों को वापस कर दें।

बस्ती जिले में बांधों की मरम्मत की आवश्यकता

*२२--श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कुआनों नदी के बाढ़ को रोकने के लिये जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद में मौजा मइली से भटपुरा तक और परसहर से डुट्टिया घाट तक और डुट्टिया घाट से वरपरवा तक तथा पड़री से मझौरा तक इन क्षेत्रों के निवासियों ने बांध बनाया था ?

श्री राममूर्ति--यह बांध पुराने थे और सम्भवतः ग्रामवासियों ने बनाये थे।

*२३--श्री राम सुन्दर राम--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस वर्ष बाढ़ से उपर्युक्त चारों बांध टूट गये, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को काफी नुकसान भोगना पड़ा है ?

श्री राममूर्ति--इस क्षेत्र में हर वर्ष कुआनों नदी में बाढ़ आने के कारण मइली भटपुरा व पड़री को छोड़कर अन्य सभी बांध पहले ही टूट चुके थे। पिछले वर्ष मैली भटपुरा व पड़री बांध भी टूट गये, जिससे कुछ ऐसे क्षेत्र में, जो अभी तक बचा था, नुकसान हुआ।

*२४--श्री राम सुन्दर राम--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त बांधों की मरम्मत कराने के लिए किसी विधान सभा के सदस्य ने जिलाधीश बस्ती के पास टेस्टवर्क में मरम्मत कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था और जिलाधीश ने हाथों हाथ उस पत्र को नहर विभाग के इन्जीनियर की जांच के लिये दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति--जी हां। श्री धनुषधारी पांडेय जी ने पिछले वर्ष इन बांधों की टेस्टवर्क के अन्तर्गत मरम्मत कराने के लिए जिलाधीश को लिखा था, जिलाधीश ने नियमानुसार नहर विभाग से राय मांगी। नहर विभाग के मतानुसार केवल सभी मइली भटपुरा व पड़री बांधों की मरम्मत श्रमदान द्वारा की जा सकती थी और शेष दो बांध के पुनः निर्माण से अधिक हानि की आशंका थी। चूंकि जिले में अभाव की स्थिति समाप्त हो जाने के फलस्वरूप टेस्टवर्क बन्द हो गये थे, इसलिए नहर विभाग ने मरम्मत के कार्य को श्रमदान द्वारा करने की राय दी थी।

श्री राम सुन्दर राम--क्या सरकार को ज्ञात है कि मइली और भटपुरा के बांध टूट जाने से सैकड़ों गांवों की फसल नष्ट हो गयी ?

श्री राममूर्ति--बांध टूट गया होगा, तो जरूर नष्ट हुई होगी।

श्री राम सुन्दर राम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश ने किस तारीख को सम्बन्धित बांधों की रिपोर्ट नहर विभाग के इन्जीनियरों से मांगी थी और वह कितने दिनों बाद दी गयी ?

श्री राममूर्ति--एक्जीक्यूटिव इंजीनियर गोंडा की राय देने की तारीख तो मेरे पास है जो २४ फरवरी, सन् ५४ है।

श्री रामसुन्दर राम--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस बाढ़-क्षेत्र में श्रमदान सम्भव है?

श्री राममूर्ति--जी हां, ज्ञात है।

श्री शिवनारायण--सरकार श्रमदान में कितने रुपये की सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--सरकार ने तो टेक्निकल राय उस पर दे दी है, बाकी काम श्रमदान से होगा।

जिला टेहरी-गढ़वाल की नदियों की घाटियों में सिंचाई के साधनों का अभाव

*२५--श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार को विदित है कि जिला टेहरी-गढ़वाल के अन्तर्गत गंगा, भिल्लंगना, अलकनन्दा नदियों की घाटियों में विस्तृत समतल जमीन बिना सिंचाई की है ?

श्री राममूर्ति--उक्त नदियों की घाटियों में विस्तृत समतल भूमि है, जो सिंचाई साधन से रहित है।

*२६--श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनाने का विचार कर रही है या करेगी, जिसके अनुसार इन नदियों से ऐसी जमीनों को सींचने की व्यवस्था की जा सके ?

श्री राममूर्ति--इस भूमि की सिंचाई के सम्बन्ध में कौन सा उपयुक्त उपाय हो सकता है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। उपर्युक्त नदियों से पंप द्वारा जल उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है, पर जब तक सस्ती बिजली न मिले तब तक वह उपाय काम में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह लाभकर न होगा।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस भूमि का रकबा कितना है ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार को विदित है कि टेहरी जिले में अन्न का अभाव है ?

श्री राममूर्ति--यह बात सही है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या यह सही है कि गढ़वाल सर्वे डिवीजन ने तमाम घाटियों की सर्वे करके एक निश्चित योजना सिंचाई के लिए प्रस्तुत की थी ?

श्री राममूर्ति--सर्वे की रिपोर्ट तो है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा पड़ती है कि उससे कुछ लाभ नहीं होगा।

श्री सत्यसिंह राणा--क्या सरकार को विदित है कि इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहाड़ी प्रदेशों में छोटे छोटे बिजली घरों को बनाने की योजना है। यदि हां, तो क्या विद्युत मन्त्री से परामर्श करके उनको शीघ्र कार्यान्वित किया जायगा।

श्री राममूर्ति--सर्वे तो वक्तन फवक्तन होता रहता है, लेकिन कोई डेफिनिट प्रपोजल हो, ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार के सामने कोई ऐसा सुझाव आया है कि इन नदियों के पानी को बरसात में इकट्ठा करके वहां से नहर निकाली जाय ?

श्री राममूर्ति--यदि कोई आया भी हो, तो मेरे नोटिस में नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार के सामने एक स्कीम भेजी गयी कि पहाड़ों पर हाइड्रोलिक रैन्मस के द्वारा पानी ऊपर उठाया जा सकता है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति--हमारे सामने ऐसी तजवीज आयी है और उस पर अल्मोड़ा में कार्य वाही की जा रही है, बाकी और जगहों से जब मालूमात आ जायेंगी, तब वहां काम चालू किया जायगा।

तहसील सलोन, जिला रायबरेली में नहर के विस्तार की आवश्यकता

*२७--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार रायबरेली जिले की सलोन तहसील के अन्तर्गत नहर का विस्तार कर रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां, और कितने मील ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तहसील सलोन, जिला रायबरेली में नहरों के विस्तार की स समय कोई योजना नहीं है।

*२८--श्री दलबहादुर सिंह (अनुपस्थित)--क्या इस विस्तार योजना में कन्दरावां ग्राम भी शामिल है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता।

बखिरा (बस्ती) झील से नहर निकालने का कार्य

*२९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बखिरा (बस्ती) झील से जो नहर निकलने वाली है, उस पर खुदाई का काम कब से शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--इस योजना पर कार्य, १९५३-५४ की रबी फसल कट जाने पर प्रारम्भ किया जायगा।

*३०--श्री राजाराम शर्मा--इस झील से जो नहर निकलेगी, उससे कितने एकड़ को सिंचाई अनुमानतः होगी ?

श्री राममूर्ति--जो नहर बखिरा झील से निकलेगी, उससे निम्नांकित सिंचाई होगी :-

			एकड़
शासित क्षेत्र (culturable commanded area)	..		२७,६००
वार्षिक सिंचाई	..	..	११,३००

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस नहर की खुदायी मई की कौन सी तारीख से शुरू हो जायगी ?

श्री राममूर्ति--मैंने बताया कि फसल कट जाने के बाद काम शुरू हो जायगा और अब फसल कट चुकी है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह नहर कहाँ कहाँ से होकर जायगी और इस पर कितना खर्चा होगा ?

श्री राममूर्ति—यहाँ से दो नहरें निकलेंगी। बस्ती जिले में ९ मील लम्बी और गोरखपुर जिले में १० मील लम्बी। इन दोनों का खर्चा केवल १२ लाख के लगभग होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इन नयी झीलों के लिए कितनी और जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी?

श्री राममूर्ति—झील के लिए जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस जमीन में से नहर निकलेगी, उसको जरूर एक्वायर करने की आवश्यकता होगी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—चालू वित्तीय वर्ष में इन नहरों में कितना रुपया लग जाने की सम्भावना है?

श्री राममूर्ति—इसका ठीक तखमीना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन नहरों के चालू वर्ष में बन जाने का अनुमान है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या दोनों नहरें एक जगह से निकलेंगी या अलग-अलग स्थानों से?

श्री राममूर्ति—झील तो एक ही है, लेकिन नहरें अलग-अलग निकलेंगी।

*३१—श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—[२१ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३२-३३—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—[६ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ६८-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३४—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर डेक बनाने का विचार

*३५—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला गोंडा में राप्ती नदी पर बलरामपुर और तुलसीपुर के बीच एक पुल बनाने का वह विचार कर रही है।]

निर्माण उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—बलरामपुर व तुलसीपुर के बीच राप्ती नदी पर स्थित रेल के पुल पर सड़क क यातायात के लिए डेक बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि डेक बनाने में सरकार को कितना पे करना पड़ेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—३ लाख ८४ हजार।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि एक स्वतंत्र पुल निर्माण कराने में कितना व्यय होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए तो सूचना की जरूत पड़ेगी लेकिनइस से बहुत ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है।

*३६–३७--श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३८–४०--श्री अक्षयवर सिंह (जिला गोरखपुर)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*४१–४२--श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)--[५ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ५९–६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आबकारी से आय

*४३--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९५१–५२ व १९५२–५३ में एक्साइज़ विभाग से क्या-क्या आय हुई और उसमें अंग्रेजी व देशी शराब की आय का अलग-अलग विवरण क्या है?

श्री सैयद अली जहीर--१९५१–५२ और १९५२–५३ के वर्ष में राज्य की आबकारी से कुल आय (gross income) तथा अंग्रेजी और देशी शराब की आय का विवरण निम्नलिखित है:--

वर्ष		देशी शराब की आय	अंग्रेजी शराब की आय	कुल आय
		रु० में	रु० में	रु० में
१९५१–५२	..	३,७३,०२,०१४	५०,९५,१८९	६,६६,१५,९५८
१९५२–५३	..	३,१६,५७,४८६	४७,६३,९८६	६,०४,१२,७८१

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५१–५२ की अपेक्षा सन् ५२–५३ में आय की कमी के कारण क्या हैं?

श्री सैयद अली जहीर--इसके कारण तो बहुत से हैं, लेकिन खुला हुआ कारण यह है कि हमारी तरफ से यह कोशिश हो रही है कि जहां तक हो सके मद्यनिषेध हो, लोग कम इस्तेमाल करें। इसकी वजह से आय तो कम हो ही जानी चाहिये।

श्री शिव नारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विदेशी शराब देश में कब तक आती रहेगी और इसको बन्द करने का विचार सरकार का है या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर--यह मामला तो मेरे ख्याल में केन्द्रीय सरकार के मुताल्लिक है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९५१–५२ व ५२–५३ में दूकानों में भी कमी हुई या दूकानें उतनी ही रहीं?

श्री सैयद अली जहीर--दूकानों में भी थोड़ी कमी हुई, ज्यादा नहीं।

श्री रामदास आर्य--क्या यह सही है कि आमदनी में कमी का कारण एक यह भी है कि हमारे प्रदेश में गैरकानूनी तरीक़े से अधिक शराब निकाली जा रही है?

श्री सैयद अली जहीर--मुमकिन है, किसी हद तक यह भी हो।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इल्लीगल शराब को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये बहुत से प्रयत्न किये गये हैं। जैसे जो और बहुत से मुख्तलिफ किस्म के जरायम हैं उनको रोकने के लिये कोशिश की जाती है उसी तरह से यह भी एक जुर्म है और इसको रोकने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

बांदा जिले में नरैनी-कालिंजर सड़क पर पुल निर्माण योजना

*४४—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की नरैनी तहसील के कालिंजर तक जाने वाली सड़क के ऊपर वाली नदी पर पुल बनाने का काम आरम्भ होने जा रहा है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—नरैनी-कालिंजर सड़क पर बरयन नदी पर पुल निर्माण योजना पर सरकार विचार कर रही है।

*४५—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (अनुपस्थित)—यदि हां, तो कब से ?

श्री गिरधारी लाल—यह अभी नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य कब से आरम्भ किया जायगा।

*४६—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (अनुपस्थित)—[५ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला बोर्ड बस्ती को पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा वापस की हुई सड़कें

*४७—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० ने कौन-कौन सी सड़कें जिला बोर्ड बस्ती को वापस कर दी हैं और उसके साथ-साथ कितना रुपया दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बोर्ड बस्ती को जो सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० ने १ अगस्त, १९५२ ई० से वापिस कर दी हैं उनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है। जिला बोर्ड बस्ती को इन सड़कों के रख-रखाव तथा उन्नति के लिये सरकार ने निम्नलिखित अनुदान प्रदान किया :—

	रु०
१९५२-५३	१९,०००
१९५३-५४	१९,४००

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७३ पर)

श्री शिव नारायण—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि बस्ती जिले तथा नैपाल राज्य को मिलाने वाली वरनी रोड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मालूम नहीं है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ होगा।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी इन सड़कों में से महत्वपूर्ण कों को ले कर उनका सुधार करने का विचार रखते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दूसरी पंचवर्षीय योजना बनने के समय पर जो सड़कें किसी महत्व की होंगी उनके बारे में विचार किया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयी हैं, उनकी दशा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ढिलाई के कारण अत्यन्त शोचनीय हो गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य को ज्यादा मालूम हो और अगर वह लिखें तो जांच करायी जायगी।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह सड़कें क्यों वापस कीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है कि केबिनेट ने यह तय किया था कि जो सड़कें बनने के क़ाबिल थीं उनको ठीक कर दिया जाय और फिर उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया जाय क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा स्थानीय मरम्मत अच्छी तरह से हो सकती है और उनको स्थानीय सहायता मिल सकती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्ज़ापुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फेंकाफेंकी या अदलबदल पी० डब्ल्यू० डी० और जिला बोर्ड के बीच कब तक जारी रहेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह कोई फेंकाफेंकी नहीं है, निश्चित बात है। पी० डब्ल्यू० डी० ज़रूरी सड़कें ले लेती है और जब मुनासिब समझा जाता है उनको वापस भी कर दिया जाता है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं।

*४८–४९—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—[१ जून, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५०–५१—श्री व्रजभूषण मिश्र—[१३ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३०–३१ अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में नल-कूपों का निर्माण

*५२—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार ने जिला मुज़फ्फरनगर में जो और १५ नलकूप सहकारिता के आधार पर बन रहे हैं उनको भी कृषि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ही बनवाने का आदेश भेजा है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। संबंधित सहकारी समिति को अधिकार है कि वह अपना नलकूप कृषि इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा बनवाये अथवा निजी तौर पर बनवाये।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो ट्यूबवेल्स सहकारी समितियां बना रही हैं वे कितने रुपयों में तैयार हो जायेंगे और सरकार उनमें कितनी सहायता देगी ?

श्री राममूर्ति—यह उम्मीद की जाती है कि १५ हजार रुपये में ट्यूबवेल लग सकता है और उसमें ५ हजार सरकारी समितियां इकट्ठा करती हैं और १० हजार रुपया सरकार देती है। इनमें से कुआं बनने के बाद ५ हजार रुपया ग्रांट के तौर पर, ५ हजार रुपया लोन के तौर पर और शेष तकावी के रूप में दिया जाता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो किसान लोग अपनी सहकारी समितियों के जरिये से ट्यूबवेल बनायेंगे उसमें सरकार के इंजीनियरिंग विभाग की ऐडवाइस प्राप्त रहेगी ?

श्री राममूर्ति--जी हां। एडवाइस मिल सकती है।

श्री रामदास आर्य--यह जो १५ ट्यूबवेल्स मुजफ्फरनगर में बनाये जा रहे हैं वे किन-किन स्थानों पर बनाये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--१५ नहीं, १८ ट्यूबवेल्स बन रहे हैं। जिन माननीय सदस्य ने सवाल किया है उनके पास पूरी सूची है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार बतलायेगी कि मुजफ्फरनगर का कोई हिस्सा अभी ऐसा बाक़ी है जहां कोई सिंचाई का प्रबन्ध अभी नहीं है ?

श्री राममूर्ति--मुझे ठीक तो नहीं मालूम है। मगर हर जिले में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पानी की जरूरत है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में किसी इंजीनियर से सम्मति ली गयी है कि १५ हजार रुपये से कम में कुंआ बन सके ?

श्री राममूर्ति--जी हां। बग़ैर-सोचे समझे और बगैर इंजीनियर की राय के तो कोई मामला नहीं हो सकता। वह बाकायदा सोच समझ कर एक स्टैंडर्ड ट्यूबवेल की क़ीमत समझी गयी इसलिये ऐसा बनाया गया।

*५३-५४--श्री कमला सिंह (अनुपस्थित)--[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५--श्री कमला सिंह (अनुपस्थित)--[१ जून, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

शारदा नहर, पुरवा ब्रांच, जिला रायबरेली में खांदी के कारण किसानों को हानि

*५६--श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३० मार्च, १९५० को शारदा नहर पुरवा ब्रांच ६६ मील ४ फरलांग पर जो खांदी हुई थी उससे नहर के निकट लगा हुआ खलिहान बह गया था ? यदि हां, तो कितने किसानों ने नुक़सान के मुआवजे के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पुरवा ब्रांच के मील ६६ फर्लांग ४ पर ३०-३-५० को कोई खांदी (breach) नहीं हुई। किन्तु २३-३-५० को पुरवा ब्रांच की दाहिनी पटरी में मील ६६-३-३०० पर एक खांदी हुई थी। खांदी से हुए नुक्सान के लिए केवल एक प्रार्थना-पत्र ग्राम सुठा, डाकखाना गौरा, जिला रायबरेली के काश्तकारों की ओर से प्राप्त हुआ किन्तु इस पर न तो किसी के हस्ताक्षर ही थे और न अंगूठे के निशान ही।

अतः खांदी के कारण जो खेत जलमग्न हो गये थे उनकी एक सूची विभाग द्वारा बनाई गई जिसके अनुसार १८ रुपये का मुआविजा केवल ३ व्यक्तियों को वितरित किया गया, क्योंकि और किसी काश्तकार की फसल को कोई क्षति नहीं पहुंची।

*५७-५८--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--[५ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५९-६१--श्री इसरारुलहक (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

विधायक निवासों के फर्राशों तथा लिफ्टमैनों में हरिजनों को न लेना

*६२--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवासों में सन् १९५२ और १९५३ में कुल कितने फर्राश और लिफ्टमैन किस योग्यता के रक्खे गए और उनमें परिगणित जातियों (Scheduled Castes) की क्या संख्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सन् ५२-५३ में रक्खे गए फर्राशों तथा लिफ्टमैनों का ब्यौरा यों है:--

	१९५२	१९५३	परिगणित जातियां
फर्राश	२१	४	कोई नहीं
लिफ्टमैन	४	२	"

शारीरिक परिश्रम करने के योग्य व्यक्तियों को फर्राश तथा लिफ्ट चलाने का काम जानने वालों को लिफ्टमैन रक्खा गया।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ के पहले विधायक निवासों में कितने फर्राश और कितने लिफ्टमैन थे?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपने ५२-५३ का प्रश्न पूछा है इसलिये उसके पहले का जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५२-५३ में कई हरिजनों ने फर्राशी में भर्ती होने के लिये दरख्वास्त दी लेकिन उनको क्यों नहीं लिया गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बजा तो यह है कि वह जो काम है उस काम के करने के लिये जिसको मौजूं समझा जाय उसको दिया जाय लेकिन इस सवाल के आने के बाद मैंने हिदायत कर दी है कि उनमें से आदमी जरूर लिये जाया करें।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि हरिजन शारीरिक परिश्रम में किसी से कम नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी उनको फर्राशों में भर्ती क्यों नहीं किया गया है?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि आइन्दा अब यह किया जायगा। इससे आपको समझ लेना चाहिये कि वह ग़लती को महसूस करते हैं।

साहित्य की प्रतियों के अंग्रेजी में प्रकाशन पर आपत्ति

*६३--श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की जो साहित्य की प्रतियां हिन्दी में छाप कर बांटी जाती हैं उनकी प्रतियां अंग्रेजी में छापकर क्यों बांटी जाती हैं जब कि इसमें दोहरा खर्च होता है?

श्री राममूर्ति--साहित्य के प्रकाशन की नीति तो प्रदेश के कार्य की जानकारी अधिक से अधिक क्षेत्रों में कराने की होती है। यह साहित्य अन्य प्रदेशीय राज्यों एवं विदेशी सरकारों

और संस्थाओं आदि को भी जाता है जहां अंग्रेजी का प्रयोग है। इस कारण इसका अंग्रेजी भाषा में भी छपवाना आवश्यक होता है। अंग्रेजी साहित्य की संख्या हिन्दी की संख्या से बहुत कम, लगभग एक चौथाई होती है।

श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष अंग्रेजी साहित्य तथा हिन्दी साहित्य की छपाई में सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति--इसकी इन्फार्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी अंग्रेजी साहित्य की छपाई के व्यय को घटाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अर्ज किया कि केवल एक चौथाई छपाया जाता है जो कि अनिवार्य है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय सूचना मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी है तब फिर अन्य प्रदेशों में हिन्दी में साहित्य भेजने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री राममूर्ति--लोकप्रिय सरकार का यह फर्ज है कि वह अपने देश के अलावा और भी सब जगह अपनी एक्टिविटीज के बारे में बतलाती रहे। इसलिये इस क़िस्म का यह प्रचार अंग्रेजी में भी किया जाता है।

श्री बृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--हिन्दोस्तान की राष्ट्र-भाषा हिन्दी मानी गयी है तो हम अन्य प्रदेशों में हिन्दी की प्रतियां भेजने में कोई आपत्ति समझते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राममूर्ति--चूंकि पढ़ने वाले अंग्रेजी के हैं इसलिये हमें उस जबान में भी भेजना पड़ता है।

शारदा नहर के हेडवर्क्स का हेड क्वार्टर बरेली में रखने का कारण

*६४--श्री हरि प्रसाद (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर के हेडवर्क्स का हेडक्वार्टर किन सुविधाओं के कारण बरेली में रखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हेडवर्क्स डिवीजन की सीमायें नैनीताल, पीलीभीत, खेरी, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में फैली हुयी हैं और बरेली सब के मध्य में स्थित है। इस कारण इस डिवीजन का हेडक्वार्टर बरेली में रखा गया है।

*६५--श्री हरि प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि केवल उक्त हेड क्वार्टर से पीलीभीत को प्रतिदिन डाक लेजाने के लिए और वहां से लाने के लिए ही दो व्यक्ति रखे गए हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं। दो हरकारे जो बरेली और बनबसा के मध्य काम करते हैं एक सर्किल आफिस, ४ डिवीजन आफिस लगभग १५ दूसरे गजटेड अफसर तथा भिन्न-भिन्न डिवीजनों के ५० अन्य अफसरों की डाक वितरित करते हैं। इस कारण यह व्यवस्था डाकखाने के द्वारा डाक भेजने से कम व्ययकारक है।

*६६—श्री हरि प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि हेडक्वार्टर के पीलीभीत जिले से दूर होने के कारण वहां के किसानों को उनके मुकदमों की सूचना ठीक समय पर नहीं मिल पाती और बहुत से मुकदमे किसानों के वहां पहुंचने के पहले ही समाप्त हो जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, हेडवर्क्स डिवीजन नहर के मुकदमे कतई नहीं करते हैं और न किसानों के नहर के मुकदमों के बारे में कोई सूचना या सम्मन भेजते हैं। यह कार्य डिप्टी रेवेन्यू अफसर करते हैं जो दौरे पर मुकदमे तै करते हैं।

जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर पुल की आवश्यकता

*६७—श्री गज्जू राम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला झांसी में बेतवा नदी के नोट घाट पर वह पुल बनाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं। इस पुल के निर्माण के विषय में अगली पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायगा।

*६८—श्री बाबू नन्दन—[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

निर्मद्य क्षेत्रों में ताड़ी और नीरा बेचने की सुविधा

*६९—श्री पाती राम (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार Dry districts में ताड़ के पेड़ों में से ताड़ी और नीरा निकालने और बेचने की कोई व्यवस्था आरम्भ करने वाली है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसे जिलों में शराब की दुकानें, जहां शराब परमिट से मिल सकेगी, खोलने की कोई व्यवस्था हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—ताड़ी निकालने और बेचने की तो नहीं पर नीरा निकालने और बेचने की सुविधा देने के लिए सरकार ने Dry districts तथा १४ अन्य ऐसे जिले में जहां ताड़ी का प्रयोग नहीं होता, उत्तर प्रदेशीय नीरा (मीठी ताड़ी) नियम, १९५१ लागू कर दिये गये हैं।

ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन जिलों में खड़े हुए खजूर तथा ताड़ के पेड़ों का रस एक स्वास्थ्य बर्द्धक खाद्य सामग्री के रूप में जनता द्वारा प्रयोग किया जा सके। Dry District में शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*७०-७१—श्री शिव स्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)—[१ जून, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*७२-७३—श्री राम लाल (जिला बस्ती)—[१९ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ३६-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७४-७५—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)—[२५ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

जालौन और इगलास में रजिस्ट्री के दफ्तर खोलने का हुक्म

*७६—श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिला झांसी और इगलास जिला अलीगढ़ में वह रजिस्ट्री दफ्तर फिर से खोलने का विचार रखती है ?

श्री सैयद अली जहीर--जालौन और इगलास में रजिस्ट्री के दफ्तर १ मई, १९५४ ई० से दोबारा खोल देने के लिये हुक्म जारी कर दिया गया है।

*७७-७९--**श्री राम लखन** (जिला बनारस)--[१ जून, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*८०-**श्री लाल बहादुर सिंह** (जिला जौनपुर)--[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*८१--**श्री राम सुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)--[११ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

तहसील जसराना, जिला मैनपुरी में सिंचाई का प्रबन्ध

*८२-**श्री विष्णु दयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील जसराना जिला मैनपुरी में कितनी भूमि पर खेती होती है और उसमें से कितनी की सिंचाई होती है तथा कितनी की नहीं ?

श्री राममूर्ति--जसराना तहसील में १,२५,३८४ एकड़ भूमि कृषि योग्य है जिसमें से ४५,७९९ एकड़ भूमि नहर के अधिक्षेत्र में स्थित है और लगभग ७९,५८५ एकड़ भूमि नहर के अधिक्षेत्र के बाहर है।

*८३-**श्री विष्णु दयाल वर्मा**--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे तहसील जसराना में उस भूमि की सिंचाई के लिए जहाँ पानी के अभाव में सिंचाई नहीं होती सिंचाई का कुछ प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--उक्त भूमि की सिंचाई के लिये राजकीय नलकूप बनाये जा रहे हैं जिससे ३३,४०९ एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

श्री विष्णु दयाल वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो भूमि नहरी क्षेत्र से बाहर है उसमें कैसे सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति--जो भूमि नहरी क्षेत्र के बाहर है उसमें लोग अपने निजी तरीके से आबपाशी करते हैं।

श्री विष्णु दयाल वर्मा--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप बनाये जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और कब तक तैयार हो जायेंगे।

श्री राममूर्ति--उनकी संख्या ९८ है और अभी काम शुरू हुआ है। यह जरा कहना मुश्किल है कि कब तक तैयार होंगे। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बनें।

श्री विष्णु दयाल वर्मा--क्या यह सच है कि जो नलकूप बनाये जा रहे हैं वे उसी क्षेत्र में बनाये जा रहे हैं जहाँ का वाटर लेवल ऊंचा है और जहाँ नीचा है वहाँ नहीं बनाए जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--इसकी कोई इनफार्मेशन मेरे पास नहीं है।

बस्ती जिले में राप्ती के किनारे बने हुये बांध पर व्यय

*८४--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में राप्ती के किनारे जो बांध बना है उसमें कुल कितना रुपया अब तक लगा है और आगे लगने का तखमीना है ?

श्री राममूर्ति--सिंचाई विभाग द्वारा ऐसा कोई बाँध बस्ती जिले में नहीं बनाया गया। अतः यह बाँध कैसे बना तथा इस पर क्या व्यय हुआ यह सूचना जिलाधीश बस्ती से माँगी गयी है और प्राप्त होने पर प्रस्तुत की जायगी।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय के पास कोई ऐसी शिकायत आयी है या सूचना मिली है कि यह बाँध नदी के किनारे होने के नाते, बलुई मिट्टी के कारण कमजोर है और बरसात में मजबूत कर देना चाहिये ?

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सूचना मंगायी है आने पर पेश की जायगी।

जौनपुर जिले में रामपुर बाजार-परिचत बाजार सड़क में ली गयी भूमि का मुआवजा

*८५--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जौनपुर जिले में रामपुर बाजार से परिचत बाजार तक की सड़क बनाने में क्या उस क्षेत्र के किसानों की जमीन भी ली गयी थी ?

श्री गिरधारी लाल--जी हाँ।

*८६--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--यदि हाँ, तो क्या किसानों के खेत का मुआवजा दिया गया था ?

श्री गिरधारी लाल--जी हाँ।

*८७--श्री रमेश चन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है उन्हें कब तक दिया जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--जो लोग अपना मुआवजा लेने जिलाधीश के पास गये उनको मुआवजा दे दिया गया। जो लोग अपना मुआवजा लेने अब तक नहीं आये हैं वे जब उसको लेने जिलाधीश के पास जायेंगे तब इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

जिला मथुरा की तहसील छाता में गर्की का नाला निकालने का कार्य

*८८--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला तहसील छाता में जो गर्की का नाला निकालने की स्कीम थी उस पर कब से कार्य शुरु होगा ?

श्री राममूर्ति--जिला मथुरा तहसील छाता में हलवाना, बथेन, धर्म सिंहा नालों के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम हेतसिंह--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस नाले को निकालने की माँग वहाँ के लोगों की १० साल से बराबर चली आ रही है ?

श्री राममूर्ति--यह बात सही है और सन् १९५२-५३ में ३,९०,६०० का तखमीना हुआ था कि नाला बनाया जाय लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रिन्जेंसी होने की वजह से काम नहीं चालू किया गया। इसलिए इस बात के जानने की कोशिश की गयी कि वहाँ के लोग श्रमदान के लिए तैयार हैं। उस वक्त इस बात का पता नहीं लगा। दुबारा पता लगा कि तैयार हैं और इस काम को पूरा किया जाय।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जहां यह नाला निकालने की योजना है वहाँ विकास योजना के अन्तर्गत एक ब्लाक इस वर्ष स्वीकार हो गया है उससे इस स्कीम को चलाने में आपको मदद मिलेगी ?

श्री राममूर्ति---इस इन्फार्मेशन के लिये मैं माननीय सदस्य का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

आगरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई के लिये हिन्डन नदी पर बांध की आवश्यकता

*८९--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हिन्डन नदी पर गाजियाबाद के निकट कोई डैम आगरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई के हेतु बनाया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आगरा तथा मथुरा जिलों की सिंचाई की दृष्टि से, आगरा नहर के जल की मात्रा बढ़ाने के लिए, गाजियाबाद के निकट हिन्डन नदी पर बाँध बनाकर जल एकत्रित करने का प्रस्ताव है। इस विषय में जाँच हो रही है।

तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में नल-कूपों का कार्य

*९०---श्री दाताराम (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर में १९५२ ई० से जो ट्यूबवेल्स लगने वाले थे वह अभी तक क्यों चालू नहीं हुए हैं ?

श्री कमला पतित्रिपाठी---तहसील नकुड़ (जिला सहारनपुर) में बनने वाले ३६ नलकूपों का ठेका मेसर्स ऐसोशियेटेड ट्यूब वेल्स लिमिटेड को दिया गया था। उक्त कम्पनी को प्रदेश के अन्य जिलों में भी नलकूप बनाने थे। क्योंकि सहारनपुर जिले में भू: स्तर कड़ा था, कम्पनी वहाँ नलकूपों के बोरिंग का कार्य जून १९५३ के पहले प्रारम्भ न कर सकी। मार्च १९५४ के अन्त तक नकुड़ में ४ नलकूप बनाकर चालू कर दिये गए हैं।

*९१---श्री दाताराम (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि वह ट्यूबवेल्स कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आशा है कि जून १९५४ तक अधिकतर नलकूप तैयार होकर चालू कर दिये जायेंगे।

बहादुरीपुर और सहिजनी के कृषकों द्वारा शेखा माइनर खोदने के लिये प्रार्थना

*९२---श्री राज कुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बहादुरीपुर और सहिजनी के कृषकों ने गरई नहर के शेखा माइनर से श्रमदान द्वारा एक छोटी माइनर खोदने के लिए सरकार से एक प्रार्थना-पत्र द्वारा उसकी पैमाइश और दागवेल करने के लिए प्रार्थना की है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री राममूर्ति---उक्त ग्रामों के किसानों ने शेखा माइनर खोदने के लिए प्रार्थना की थी। परन्तु इस सम्बन्ध में जाँच से पता चला कि वहाँ के किसानों के लिये अन्य कोई माइनर निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ग्राम चकिया रजबहे के कुलाबा संख्या १३ के अधिकार क्षेत्र के अन्दर हैं।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर मुझे दिया गया है यह चकिया रजबहा बनारस से सम्बन्ध रखता है और मेरा प्रश्न मिर्जापुर की गिरई नहर से सम्बन्धित है ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास तो जो इन्फा मेंशन है, अध्यक्ष महोदय, वह मैंने पढ़ दी ।

श्री अध्यक्ष--श्री राजकुमार शर्मा जी, आप जरा इसको स्पष्ट करें कि क्या बात है ।

श्री राजकुमार शर्मा--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न गिरई नहर मिर्जापुर जिले से सम्बन्ध रखता है, और यह उत्तर मुझे मिला है चकिया रजबहा, जिला बनारस से सम्बन्ध रखता है जो इन गांवों से दस मील की दूरी पर है ।

श्री अध्यक्ष--जो इत्तला उनके पास थी, वह उन्होंने दे दी । गांव तो वही हैं, या गांव भी दूसरे जिले के हैं ?

श्री राजकुमार शर्मा--जी हां, गांव तो वही हैं ।

श्री अध्यक्ष --तो आपको पहले ही जिला लिख देना चाहिए था । इसमें तो दोष आपका ही मालूम होता है ।

मेरठ में विदेशी शराब बेचने के स्थान

*९३--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेरठ में विदेशी शराब बेचने के लिए ६ थोक और ७ फुटकर दुकानों तथा २ होटल और एक रेस्ट्रां को लाइसेंस दिये गये थे और पिछले साल कुछ और भी लाइसेंस दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरठ शहर में पिछले साल के शुरू में विदेशी शराब बेचने के लिए ६ थोक, ८ फुटकर, २ होटल तथा १ रेस्ट्रां के लाइसेंस थे । पिछले साल एक रेस्ट्रां लाइसेंस क्वीन्स रेस्ट्रां के मालिक श्री सत्यबीर लुम्बा को दिया गया ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जब सरकार की नीति शराब बन्द करने की है, तो ऐसी हालत में नये लाइसेंस क्यों दिये जा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--बजाय इसके कि कोई एक दूकान की मानोपली हो और अकेले वही बेंचे, यह बेहतर समझा जाता है कि दो दूकानें हों, ताकि जनता को एक दूकान होने की वजह से जो तकलीफें हो जाती हैं, वे न होने पायें ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)--क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके फरमायेंगे कि जो दुकानें ज्यादा खोली जा रही हैं, या ज्यादा लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं उसके मुताल्लिक गवर्नमेंट के पास कोई शिकायतें आयी हैं कि उसकी वजह से शराबखोरी बढ़ रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, ऐसी शिकायत नहीं आयी है ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए और रजिस्टर्ड दुकानदारों तथा होटल वालों की भी दरख्वास्तें सरकार के सामने आयी थीं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, सरकार के सामने दरख्वास्तें नहीं आयी थीं । होता यह है कि एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है । उसके सामने दरख्वास्तें पेश होती हैं, जब वह

सिफारिश करती है, तो वह जिलाधीश के पास जाती हैं, और जब वह मंजूर करते हैं, तो एक्साइज कमिश्नर के पास आती हैं। इसके बाद सरकार के पास दरख्वास्त आती हैं। जब वह मुत्तफिक नहीं होते हैं कि कोई लाइसेंस दिया जाय या नहीं, उस वक्त फैसला किया जाता है। अगर सब मुत्तफिक होते हैं, तो कोई बात नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी--क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके फरमायेंगे कि जिनको लाइसेंस दिया गया है, उनकी दरख्वास्तों पर कायदे के मुताबिक जैसा कि उन्होंने बतलाया, सिफारिश हुई थी ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, इसके बगैर कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नये लाइसेंस देने के बाद शराब की बिक्री मेरठ में कम हुई है या बढ़ी है ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे खयाल में तो जो पहले थी वही है। बजाय इसके कि अब एक के दो दूकानदार बांटते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार होटल में बैठकर शराब पीने के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो पालिसी का मामला है।

यह सवाल इससे उठता नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी--मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि 'सवाल उठता नहीं है' क्या गवर्नमेंट को यह जवाब देने का हक है जब कि आपने उनको जवाब देने के लिए बुला लिया है तो यह सवाल उठता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--अगर यह माना जाय कि जवाब मुझे है तब तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन अगर उनके जवाब का एक हिस्सा वह भाग हो कि इस प्रश्न से प्रश्न नहीं उठता तो उसमें कोई बात नहीं है। यह जवाब का हिस्सा माना जायगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी--क्या आनरेबुल मिनिस्टर साहब बतलायेंगे कि जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनकी दरख्वास्त पर किसी पोलिटिकल पार्टी ने या उसके मेम्बरों में उसकी सपोर्ट में दस्तखत किये थे ?

श्री अध्यक्ष--यह तो इससे उठता नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री शिवमंगलसिंह कपूर--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पहाड़ पर ठंडक ज्यादा होने की वजह से वहां पर नये लाइसेंस देने के प्रश्न पर वह विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दूकानें हटायी जाती हैं, वह गरीबों के मुहल्ले में भेज दी जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह भी इस से नहीं उठता। मैं समझता हूं कि इस शराब के मामले में बहुत मुख्तलिफ किस्म की दिलचस्पी दिखलायी पड़ती है। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा।

चौराहा कासगंज सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*९४--श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चौराहा कासगंज सड़क पंचवर्षीय योजना में पक्की होने के हेतु शामिल है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पंचवर्षीय योजना में अधिकतर प्रथम चरण के अपूर्ण कार्यों को शामिल किया गया है। चौराहा कासगंज सड़क प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं थी, और इस कारण इसको पक्का करने का कोई आयोजन पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है।

श्री नेत्रपाल सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस सड़क पर पिछले वर्ष में मिट्टी डलवायी थी और इस सड़क को जिला बोर्ड से अपने हाथों में लिया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—और सड़कों के साथ इसको भी लिया गया होगा और बाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दिया गया होगा।

श्री नेत्रपाल सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क की आवश्यकता को देखते हुए सरकार इस सड़क को कब अपने हाथ में लेकर बनवायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क को बनाने का अभी विचार नहीं है, क्योंकि यह कोई खास महत्व की सड़क नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या माननीय मिनिस्टर को यह मालूम है कि जिस वक्त उन्होंने यानी गवर्नमेंट ने इस सड़क को अपने हाथ में लिया था, उस वक्त से आज तक उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। खराब नहीं हुई।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—यह सड़क जिस वक्त जिला बोर्ड को दी गयी थी, तो जिला बोर्ड की इच्छा से दी गयी थी, या जबरदस्ती दी गयी थी कि वह उसको बनवायें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इच्छा से तो कोई बात नहीं की गयी थी। न तो इच्छा से ली गयी थी और न इच्छा से दी गयी। वह तो एक पालिसी के मुताबिक सब किया गया।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी महत्वपूर्ण सड़कों की कोई सूची रखते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

(प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।)

अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों द्वारा 'प्रश्न नहीं उठता' कहने पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि अध्यक्ष महोदय किसी प्रश्न को स्वीकार कर लेते हैं, और माननीय मन्त्री जी यह कहते हैं कि वह जवाब दें तो क्या माननीय मन्त्री जी यह कह सकते हैं कि यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता ?

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसका तो जवाब वह दे देते हैं। पूरक प्रश्नों में कुछ अगर सिर्फ इतना ही कहें, कि 'प्रश्न नहीं उठता' और बैठ जायं, तो मैं उसको आक्षेप समझता हूं। वह उन्हें नहीं कहना चाहिए। वैसे भी अपने जवाब के साथ ऐसा मत जोड़ना नहीं चाहिए। साधारण नियम यही है। लेकिन उसके साथ अगर पहले कुछ उन्होंने शब्द कहे और थोड़ा सा आधा जवाब दिया और बाद में अगर कह दिया कि उठता भी नहीं है, तो उससे मेरे निर्णय पर आक्षेप नहीं होता।

[श्री अध्यक्ष]

इसलिए मैंने इसको आक्षेप नहीं समझा, क्योंकि कुछ जवाब दिया और जब वह जवाब का ही हिस्सा था, तो यह कह दिया कि 'प्रश्न नहीं उठता'। अगर वह खाली यह कह देते कि प्रश्न उठता नहीं तो मुझे कहना पड़ता कि मैं ठीक समझता हूं कि उठता है। और आपके लिए यह कहना उचित नहीं है। आइन्दा के लिए मैं मन्त्री महोदयों से कह देना चाहता हूं कि आखिर में भी यह शब्द न जोड़ें, तो अधिक उचित होगा। जिसमें मेरे निर्णय पर टीका होने की सदस्यों को शंका होती है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

हाथरस तहसील में बनने वाले शेष नल-कूप

*९५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील हाथरस में कितने ट्यूब वेल और बनने बाकी हैं, और वे कब तक चालू हो सकेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हाथरस तहसील में बनने वाले ३८ नलकूपों में से २४ नल-कूप अभी बनने बाकी हैं।

आशा की जाती है कि यह नलकूप मार्च, १९५५ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

*९६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार सासनी क्षेत्र के १२ नलकूप को चालू करने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पानी देने की स्थिति में हो जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सासनी ग्रुप नलकूप संख्या १२ का बोरिंग पूरा हो चुका है। अब इसका परीक्षण किया जायगा और यदि पानी का निकास (discharge) सन्तोषप्रद हुआ तो इसको पूरा करके जुलाई, १९५४ तक चालू कर दिया जायगा।

जिला हमीरपुर में निर्माण की गई पक्की सड़कें

*९७--श्री मन्नी लाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में जिला हमीरपुर में कुल कितने मील पक्की सड़क बनवायी गयी ?

श्री गिरधारी लाल--सन् १९५१-५२ में २३ मील ५ फर्लांग नयी तथा ११ मील पुनः निर्माण, कुल ३४ मील ५ फर्लांग पक्की सड़क बनायी गयी।

सन् १९५२-५३ में ११ मील ४ फर्लांग, नवीन तथा ६ मील ४ फर्लांग पुनः निर्माण, कुल १८ मील पक्की सड़क बनायी गयी।

*९८--श्री मन्नी लाल गुरुदेव--क्या सरकार को ज्ञात है कि कुल जिला भर में कोलतार की कितनी सड़क है ?

श्री गिरधारी लाल--मार्च, १९५४ के अन्त तक हमीरपुर जिले में तारकोल की कुल सड़कों की लम्बाई ११ मील है।

रिखणी खाल-बनजीया देवी सड़क पर लट्ठों के पुल का निर्माण

*९९--श्री राम प्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० सड़क रिखणीखाल व कोटडी के बीच का पुल बन कर तैयार हो गया है, जिस से उस पर जानवर चल सकें ? यदि नहीं, तो उसको अधूरा छोड़ने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—अनुमान किया जाता है कि सदस्य महोदय का अभिप्राय रिखणी-खाल बनजीया देवी सड़क पर स्थित लट्ठों के पुल से है। बायें ऐप्रोच रोड छोड़कर यह पुल पूर्ण हो गया है। आशा की जाती है कि यह ऐप्रोच रोड चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायगी। पुल की वर्तमान स्थिति में आवागमन में कोई रुकावट नहीं है।

जिला हमीरपुर में कम्हरिया सागर बांध की मरम्मत

*१००—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कम्हरिया सागर बांध (तहसील मौदहा) जिला हमीरपुर की मरम्मत कब से नहीं हुई है? क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि उक्त बांध की मरम्मत तीन वर्षों से नहीं हुई और उसमें तीन चार जगह तो इतने बड़े कटाव हो गये हैं कि उसके टूट जाने का भय है? इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कम्हरिया सागर बांध की मरम्मत १९५१–५२, १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में की गयी है और उक्त वर्षों में इस कार्य पर क्रमशः ७१८ रु०, ६०० रु०, तथा १,९७३ रु० व्यय हुए। इस बांध की मरम्मत के विषय में कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी है। गत तीन वर्षों में यह बांध अपनी पूर्ण क्षमता तक भरा गया था, परन्तु उसमें कोई खांदी (कटाव) नहीं हुई।

प्रतापगढ़-सागीपुर सड़क पर व्यय

*१०१—श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ से गड़वारा व पूरबगांव होती हुई, सागीपुर तक जाने वाली सड़क पर जब कि यह सड़क P. W. D. के पास कुछ समय के लिए थी सरकार ने कितना व्यय किया था?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क का केवल गड़वारा से सागीपुर तक का भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया था तथा जब तक वह इस विभाग के अन्तर्गत रहा तब तक उस पर २६,७२५ रु० व्यय किया गया।

*१०२—श्री राम अधार तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उपर्युक्त सड़क को फिर से अपने हाथ में लेकर पक्का करने का विचार कर रही है?

श्री गिरधारी लाल—उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेने तथा पक्का करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बनने वाले नलकूप

*१०३—श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में कितने Tubewells बनने जा रहे हैं और वे कब तक बन जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में १९ नलकूप बनने जा रहे हैं और आशा की जाती है कि यह नलकूप सितम्बर, १९५४ के अन्त तक बनकर तैयार हो जायेंगे।

बहराइच जिले में सरयू नदी से नहर निकालने की योजना

*१०४—श्री बसन्त लाल शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बहराइच जिले के अन्तर्गत नानपारा एवं बहराइच तहसीलों में बहने वाली कोई नहर को सरयू नदी से निकालने की योजना स्वीकृत हो चुकी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरयू नदी से नहर निकालने की योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है।

*१०५--श्री बसन्त लाल शर्मा--यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उक्त योजना के निमित्त कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी और अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

*१०६--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उक्त योजना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है और उसके कब तक सफल हो जाने की आशा है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--ये प्रश्न नहीं उठते। क्योंकि ऐसी कोई योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है। गत महीनों में इन इलाकों में सिंचाई की सुविधा के लिये उपायों की खोज करने की दृष्टि से जो परीक्षण हुए हैं, उनके आधार पर सरयू से नहर निकालने की स्कीम बनायी गयी है, जिसे द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

आजमगढ़ जिले में मऊ-कासिमाबाद सड़क का निर्माण

*१०७--श्री श्रीनाथराम (जिला आजमगढ़)--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलें में मऊ कासिमाबाद सड़क के लिए १९५२-५३ में कितना रुपया स्वीकृत हुआ था ?

श्री गिरधारी लाल--१९५२-५३ में ५०,००० रु० का अनुदान (ग्रान्ट इन एड) जिला बोर्ड, आजमगढ़ को इस सड़क पर अकाल पीड़ित सहायतार्थ निर्माण के लिये दिया गया था।

*१०८--श्री श्री नाथ राम--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सड़क को बनाने में अब तक कितना रुपया व्यय हुआ और कितना शेष है ?

श्री गिरधारी लाल--मार्च, १९५४ तक ३०,९३२ रु० व्यय हो चुके हैं और १९,०७८ रु० शेष है।

*१०९--श्री श्रीनाथराम--क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क का निर्माण का कार्य बिलकुल बन्द है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल--कुछ काम छठवें मील में भूमि उपलब्ध न होने के कारण बन्द है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

आजमगढ़ तथा गाजीपुर जिलों के लिये नलकूपों का वितरण

*११०--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर और बलिया में २०० नलकूपों की योजना में से आजमगढ़ तथा गाजीपुर में जो ७० तथा ४० नलकूप बनने वाले हैं, वे कहां-कहां बनेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--२०० नलकूपों की योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ तथा गाजीपुर जिलों में नलकूपों का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :--

आजमगढ़ जिले में :

घोसी तहसील में	..	२५
मुहम्मदाबाद जोहना	..	२३
सगड़ी जोहना	..	७
आजमगढ़ जोहना	..	५
		६०

इनके अतिरिक्त इस जिले में जो १० नलकूप और बनेंगे, उनकी स्थिति सर्वे हो जाने पर निश्चित की जायगी।

गाजीपुर जिले में—		
गाजीपुर तहसील में	..	१३
सैदपुर तहसील में	..	१२
	योग	२५

इस जिले में बाकी १५ नलकूपों की स्थिति सर्वे हो जाने पर निश्चित की जायेगी।

जिला मुरादाबाद में देशी व विलायती शराब की दुकानें

*१११—श्री महीलाल—क्या मादक कर मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कुल कितनी दूकान देशी व विलायती शराब की हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मुरादाबाद जिले में देशी शराब की ३८ और विलायती शराब की ५ दूकानें हैं।

*११२—श्री महीलाल—क्या यह सत्य है कि ग्राम अकरौली के निवासियों ने अनेक बार यह प्रार्थना सरकार से की है कि उनके यहां शराब की दूकान न रखी जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, सरकार के पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री हरि प्रसाद—[१८ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया]।

२–३—श्री मोहन सिंह शाक्य (जिला एटा)—[१९ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ५–६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

४—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—[१८ मई, १९५४ के लिये स्थागित किया गया]।

५—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—[११ मई, १९५४ के लिए स्थागित किया गया।]

लाउडस्पीकर और पंखों की खराबी

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि पीछे सुनाई नहीं देता और पंखों की हवा भी नहीं लगती।

श्री अध्यक्ष—पंखों की हवा तो मैं समझता हूं कि लगती होगी। लाउडस्पीकर के के लिये मैं कार्यवाही करूंगा, जो हो सकेगी।

श्री राजनारायण की कथित ग़ैरकानूनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है—

"श्री राजनारायण, नेता विरोधी दल को, जाब्ता फौजदारी की धारा १०७ और ११७ के मातहत, गैरकानूनी गिरफ्तारी पर, जिससे कि उनको विधान सभा की सेवा से वंचित रखा

[श्री अध्यक्ष]

जा रहा है, से उत्पन्न परिस्थिति पर वाद-विवाद के लिये विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है।"

एक तो इसमें यह शब्द आये हैं कि उनको विधान सभा की सेवा से वंचित रखा जा रहा है। कामरोको प्रस्ताव के संबंध में जो नियम ७० है उसके चौथे अंश में यह है--

"the motion shall not raise a question of privilege"

काम रोको प्रस्ताव में कोई प्रिविलेज का सवाल उठाया नहीं जा सकता।

तो इसमें एक अंश तो यह है कि जो विधान सभा की सेवा से वंचित रखने का सवाल है इसलिये प्रिविलेज का होता है, वह काम रोको प्रस्ताव में नहीं आ सकता। यह अंश शामिल होने से प्रस्ताव अवैध है।

दूसरे जो वह यह कहते हैं कि १०७ और ११७ धाराओं के मातहत जो गिरफ्तारी हुई वह गैरकानूनी है, यह प्रश्न भी रोज के इन्तजाम से सम्बन्धित है। इस विषय पर कई विधान सभाओं की रूलिंग्स हैं। केन्द्रीय विधान सभा के दो एक निर्णय मैं माननीय सदस्यों को सुनाये देता हूं।

एक ऐडजर्नमेंट मोशन तो १९४१ में केन्द्रीय असेम्बली में आया था।

"Action taken by authority in due administration of law : cannot be subject of :"

उसका यह हेडिंग है :

"On the 22nd February, 1941, a member sought to move the adjournment of the Assembly to discuss the arrest of a candidate for the Central Assembly. The Home Member said he had no information about the matter but it appeard that the action had been taken by the Provincial Government under its own powers. The President disallowing the motion remarked :—

"This Assembly is not a tribunal for trying these cases, it is the matistrates and the judges who have got to try such cases, and it has been repeatedly laid down in this House and in the Parliament that with regard to any act done by any authority in the due course of the amdinistration of law whatever the law is —the matter cannot be discussed on an adjournment motion. Therefore, the motion is disallowed."

यानी साधारण इन्तजाम का मसला, जो अधिकारी अपने अधिकार के साथ कार्यवाही कर देता है, उसके बारे में चाराजोई यहां पर नहीं हो सकती, बल्कि अदालत में होनी चाहिये, मैजिस्ट्रेटों के सामने होनी चाहिये।

और भी है, सन् १९५० केंद्रीय सभा में अध्यक्ष द्वारा यह फैसला हुआ है कि--

"Arrest of a Member under the ordinary law of the land does not tantamount to breach of privilege nor can be the subject matter of an Adjournment Motion."

यह २८ फरवरी, १९५० को स्पीकर ने फैसला किया था। यह निर्णय अभी हाल का ही है।

ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी का कार्य कि यह वैध था या अवैध था, इस प्रश्न का सदन फैसला नहीं कर सकता। मैंने कल सदन को इस संबंध में मैजिस्ट्रेट के पत्र की इत्तला दे दी थी और इस इत्तला के बाद यह काम रोको प्रस्ताव यहां पर पेश हुआ। मैंने इसका जिक्र इसलिये यहां पर विशेषतौर पर कर दिया कि विरोधी दल के नेता से संबंधित प्रश्न होने के कारण यह महत्वपूर्ण है और इस विषय के ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों की भावनाएं भी उत्तेजित होंगी। तो यह तो नियम के संबंध में बात हुई इस कारण काम रोको प्रस्ताव की हैसियत से मैं इसकी अनुमति

नहीं देता हूं कि वह पेश हो और इसको अवैध करार देता हूं। लेकिन साथ ही साथ यह सूचना देना उचित समझता हूं कि मुझसे श्री राम नारायण जी ने मेरे कमरे में यह भी कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी से उनकी बातचीत हुई थी और वह कुछ इस घटना पर प्रकाश डालना चाहते हैं इस विषय पर कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है। अगर ऐसी कोई बात हो तो मैं अपने नेता माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं, इस कार्य के ऊपर जो हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--यह मामला तो इस वक्त अदालत में पहुंच चुका है और इस हैसियत से उसके ऊपर कोई बहस और गुफ्तगू तो यहां नहीं हो सकती है हाउस में अब। बाकी यह कि किन हालत में गिरफ्तारी हुई, वह खुद ऐसी चीजें हैं, जो अदालत के सामने होंगी। तो मैं तो अब अर्ज करूंगा कि इस वक्त इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--तो आप इसके ऊपर जरा भी कोई प्रकाश डालने की जरूरत नहीं समझते?

कानपुर में श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आप के सामने उठाना चाहता हूं। माननीय राज नारायण सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं उनको कानपुर की अथारिटीज ने इल्लेगली मालेस्ट कर के इस विधान सभा के कार्य से वंचित कर के इस आदरणीय सदन का भी अपमान किया है और उसके विशेषाधिकार की भी अवहेलना की है। मैं उसके लिये फ़र्स्ट अपार्चुनिटी ले रहा हूं और लिख कर के यह कम्प्लैंट आप के सामने पेश कर दूंगा।

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खंड १३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल निवेदन कर रहा था कि मेरे ऊपर रामनरेश जी ने यह दोष लगाया था कि मैंने इस विधेयक को पूरी तरह से पढ़े बिना ही इस संशोधन को रखा है मैंने उनसे यह दरख्वास्त की थी अगर मेरे ऊपर यह दोष लगाया जा सकता हो तो शायद मेरी ही श्रेणी में माननीय राम नरेश जी भी आयेंगे। मैंने यह भी निवेदन किया था कि मैं उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यहां जो मेरा संशोधन है वह इस धारा को उठा देने के लिये है इसमें यह लिखा हुआ है "यदि पंचायतों के चुनाव में कुछ जगहें ऐसी रह जाय जिन पर चुनाव न हो सके तो उन जगहों को पूरा करने का अधिकार गांव पचायतों को न होना चाहिये बल्कि जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी स्टेट की तरफ से बनेंगी उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह उन जगहों को भर दे। कहीं यह प्रश्न तो था ही नहीं कि सारी की सारी गांव पंचायत न बन सकें तो ऐसी हालत में सरकार क्या करे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर सारा का सारा गांव पचायतें नहीं बनाना चाहता है तो यह बदक़िस्मती सरकार

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†३० अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री गेंदा सिंह]

की नहीं है बल्कि बदक़िस्मती उस गांव की भी है और सरकार को उसके लिये बन्दोबस्त करना चाहिये कि गांव के लोगों को समझाया जा सके ताकि गांव में पंचायत बनाने के लिये कोरम पूरा हो सके और ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि गांव पंचायतें बन जांयगी। कोरम के लिये भी अभी कुछ दिन पहले जब इस सदन में विचार हुआ था तो माननीय राम नारायण जी का संशोधन सरकार ने इसलिये अस्वीकार कर दिया था कि कोरम बहुत बड़ा न होना चाहिये और ऐसा कोरम होना चाहिये जो कोरम कि आसानी से इकट्ठा हो सके। इसलिये इसमें कोरम का भी कोई झंझट नहीं रहता। अगर एक भाग के ही लोग ग्राम पंचायतें बनाने के लिये राजी हो जायं तो फिर सरकार को कोई परेशानी नहीं रहेगी कि सरकार पूरे के पूरे गांव पर अपनी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा कोई गांव पंचायत लादे। तो यह चिन्ता तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिये। मैं उन माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा, जिन्होंने गांव की पूरी पंचायत न बनाने की जिम्मेदारी इस उपधारा पर डाल दी है, कि इस उपधारा पर वह जिम्मेदारी नहीं है।

अब दूसरी बात यह है कि अगर कुछ जगहें खाली रह जाती हैं तो उनके लिये क्यों न अधिकार दे दिया जाय उसी गांव पंचायत को जो पहले से बन चुकी है। उसी को अधिकार दिया जाय कि जो जगहें खाली हैं वह उनको भी भर ले। मेरी जानकारी है कि किसी भी कमेटी में या किसी भी पंचायत में इस तरह का, अधिकार देना कोई असाधारण बात नहीं है, साधारण तौर पर इस तरह के अधिकार दिये जाते हैं। एक बड़ी कमेटी बनेगी और उस कमेटी के बन जाने के बाद अगर उसमें कुछ स्थान खाली हैं तो बड़ी कमेटी वाले अपनी रुचि के मुताबिक़ आदमी चुन सकते हैं जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति छूट गया हो जिसके आने से पंचायत के कार्य में क्षमता बढ़ सकती हो या किसी कम्युनिटी का कोई ऐसा आदमी छूट गया हो जिसके छूटने से पंचायत की बदनामी होती हो या पंचायत के काम में दिक्क़त होती हो उस कमेटी को ही इन बातों का ज्यादा एहसास हो सकता है बनिस्बत प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जिसकी कोई रूप रेखा हमारे पास नहीं है। कितनी जगहों पर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का जिक्र हुआ है और इस विधेयक में यह कह देना कि एक ही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हर जगह काम करेगी बहुत कठिन है तो फिर वैसी हालत में ऐसी जगहों को भरने के लिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी यह नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के संबंध में कुछ अधिक तो नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनके बारे में हमारे विचार कुछ बदलते जाते हैं और अगर दुर्भाग्यवश कानपुर जैसे ही अधिकारी सूबे भर में निकल जांय तो फिर उन अधिकारियों के लिये एक बड़ी दुर्भावना फैलेगी। मैं उस बात के लिये बहुत जोर देना चाहता हूं और उतना मैं ध्यान माननीय मंत्री जी का और सदन का जरूर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे विरोधी दल के नेता जैसी हैसियत के व्यक्ति को कानपुर अथारिटीज ने रोक रखा है वह कोई शोभनीय बात नहीं है और इस डेमोक्रेसी के लिये यह बड़ी भारी खतरनाक बात है। यह बात ठीक है कि हम ऐसे कानून में अदालत में ही चाराजोई जा कर कर सकते हैं लेकिन.....

श्री अध्यक्ष---यह विषय इस से संबंधित नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस बात को कहता हूं कि वह इस बहस की चीज नहीं है लेकिन मैं अपनी भावना को जो अथारिटी के संबंध में हो सकता है उसके बारे में संकेत करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के अधिकारी हैं तो उनके बारे में क्या भावना रखूं और हम उनके ऊपर कैसे विश्वास करें और हम उनके साथ में अपनी गर्दन को कैसे दे दें। हमारी मजबूरी है कि हम माननीय मंत्री जी के इस सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं जिसमें वह यह कहते हैं कि जितनी भी जगहें खाली हों उनके लिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार दे दें कि वह जिसको चाहें उसको कर दें। हमारा जो अनुभव है वह हमको बतलाता है कि ऐसी बात हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात के लिये जोर न दें और न

पिछले कानून में ऐसी बात रही है और न इस कानून में रखने की उसको कोई जरूरत मालूम होती है। मैंने बराबर इस बात पर जोर दिया है कि जो पंचायत अगर नहीं बनी तो उनके लिये क्या किया जाय। मैं फिर इस बात के लिये कहना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश अधिनियम में इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से प्रबन्ध किया गया है कि जहां पर पंचायत कामयाब नहीं हुयी, जहां पर पंचायत अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से वहन नहीं करती है तो ऐसी हालत होने पर उन पंचायतों के स्थानों पर दूसरी मशीनरी सरकार बना सकती है। इस विधेयक में भी अनेक स्थानों पर इस बात का जिकर किया गया है कि जहां पर पंचायत अपने कामों को अंजाम नहीं दे सकें वहां पर सरकार को अधिकार है कि सरकार उनके स्थानों पर दूसरी मशीनरी बना दे बल्कि यह है कि कोई कारण भी नहीं दिया गया है, कि सरकार यदि उचित समझे, सरकार यदि अपनी इच्छा से उचित समझे तो वह पंचायत को हटा सकती है और उसको पूरा अधिकार है कि वह उस पंचायत को हटा दे। तो फिर ऐसी हालत में अगर ऐसी सूरत पैदा होती है तो उसमें सरकार को इतने प्रकार का अधिकार मिला हुआ है तो फिर मैं नहीं समझता कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को खाली हुये स्थानों की पूर्ति करने के लिये ऐसा अधिकार क्यों दिया जाय।

मैं फिर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर पंचायतों को इतना अधिकार नहीं देते हैं कि जो जगह खाली हों, जितने आदमी चुनाव होकर जाना हो, अगर वह नहीं जाते हैं तो उसको पूरा करने का अधिकार आप पंचायत को नहीं देते हैं तो फिर हम उन पंचायतों की सफलता की आशा किस प्रकार से कर सकते हैं। पंचायतों को इस प्रकार का अधिकार मिलने पर ही वह अपने उत्तरदायित्व को भली प्रकार से निबाह सकती हैं और उनको सफलता प्राप्त होगी। मैं यह भी जानता हूं कि इनके लिये टैक्स लगाने का प्राविजन भी पास होगा और उनको टैक्स लगाने का भी अधिकार होगा। तो एक तरफ तो स्वशासन मंत्री हमसे यह कहते हैं कि यह टैक्स स्वयं गांव वाले अपने ऊपर लगाते हैं और उसके वसूल करने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही होगी और उसकी नेकनामी या बदनामी सरकार अपने ऊपर नहीं ले सकती। तो फिर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये से पंचायतों को अगर बनाया जाता है तो उस टैक्स लगाने का अधिकार भी उसी अथारिटी को होगा। टैक्स लगाने का अधिकारी कौन होगा? वह तो यही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी टैक्स लगायेंगी और उसका परिणाम यह होगा कि उसके असेसमेंट में ज्यादती होगी और फिर गांव की उन्नति के लिये जो कार्य होंगे उन उन्नति के कार्य करने में गांव वालों की रुचि नहीं होगी। माननीय स्वशासन मंत्री जी के कहने के मुताबिक मैं समझता हूं कि ५ करोड़ या इससे ज्यादा रुपयों का श्रमदान का काम हुआ है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पंचायत तो लाद सकती है गांव के ऊपर, लेकिन प्रेसक्राइब्ड अथारिटी डेवलपमेंट के काम में जनता में उत्साह पैदा नहीं कर सकती है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में भले ही लोग ऊंचे किस्म के हों परन्तु वे गांव वालों को प्रेरणा नहीं दे सकते मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी बात स्वीकार कर लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे कोई बड़ा भारी परिवर्तन हो जाय।

*स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मुझे दुख है कि असली प्वाइन्ट का किसी ने जवाब नहीं दिया जिसे माननीय केशभानराय जी ने उठाया था। मैंने पहली बहस में भी निवेदन किया था पहले फंक्शन्स म्युनिसिपल थे पचायतों के। अब जबकि गांव समाज और गांव सभा को इकट्ठा करने का सवाल है तो गांव समाज में जो प्रापर्टी वेस्ट की उसकी देखभाल के लिये कोई कारपोरेट बाडी होनी चाहिये। इसकी देखभाल कौन करेगा, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। सिर्फ म्युनिसिपल फंकशन्स में या जैसा पहले था, सिर्फ ३,४ जगह गांव सभा न बने तो कोई ज्यादा नुकसान शायद न हुआ हो। गांव सभा और गांव समाज एक हो इस विचार से हम चल रहे हैं तो सवाल यह है कि उस प्रापरटी की देखभाल कौन करेगा। मुझे अफसोस है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

कि इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया जिससे कि मैं इस संशोधन को समझ सकता। मैंने कल भी माननीय गेंदा सिंह जी से कहा था कि भाई, इसका क्या जवाब है और मैं समझता था कि मेरी बात वह समझ गये हैं लेकिन कम से कम वह मुझे समझा नहीं पाये हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कारपोरेट बाडी चाहिये। कम से कम मैं उन लोगों में से हूं जो यह कहते हैं कि यह पंचायतें स्वयं चुनी हुई होनी चाहिये और सरकार उनमें दखल न दे। अगर कोई एक दफा में न चुन पावे तो दूसरी दफा चुने और अगर कोई दूसरी दफा भी न चुन पाये तो क्या हो, यह प्रश्न है केवल। यहां एक प्रोसीज्योर दिया है कि इस तरह से बना दी जाय। गेंदा सिंह जी कहते हैं कि इसे हटाओ लेकिन इसके बाद क्या हो उन गांव सभाओं का, यह जवाब नहीं देते। इसलिये गेंदा सिंह जी एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिसका इलाज वह सोच तो रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इसके कारण जो दिक्कतें होंगी उनको हल करने का कोई उपाय नहीं बतला रहे हैं।

एक बात तो गेंदा सिंह जी और बालेन्दुशाह जी ने भी कही कि इसमें बहुत बहुत अधिकार हैं। आप ससपेंड या डिसाल्व कर दीजिये। यह एक प्वाइन्ट बालेन्दुशाह जी ने कहा। मेरा खयाल है कि ससपेंसन या डिसोल्यूशन उसी बाडी का होता है जो एग्जिस्ट करे। लेकिन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती वह ससपेंड या डिसाल्व कैसे हो सकती है? जब इलेक्शन नहीं हुआ तो ससपेंशन या डिसाल्व करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। अब सवाल है गांव पंचायतों का। जब बनी ही नहीं तो उनका सस्पेंशन या डिजोल्यूशन कैसे हो जायगा। गेंदा सिंह जी ने कहा कि एडमिनिस्टेटर बना दीजिये। अब सवाल यह है कि आया वहां एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाय अथवा वहीं के किसी आदमी को मुकर्रर करके गांव समाज को चलाया जाय। वहीं का आदमी क्योंकि वहां काम अच्छी तरह से चला सकता है इसलिये उसका मुकर्रर किया जाना ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिये गांव सभा बनानी चाहिये। अगर गांव सभा नहीं बनेगी तो दिक्कत होगी और उसके बनाने का तरीका यह है इसलिये इसको यहां से हटाने म नुकसान होगा जिसको फेस करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं अतः माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (८) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो रिड्राफ्टिंग के लिये छोड़ दिया गया उस खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित को रख दिये जाने के लिये पेश करता हूं। वह इस प्रकार है:-

खण्ड १२ (पुनरागत)

श्री अध्यक्ष--नीचे खंड १२ का संशोधन आया है। पहले उसको ले लिया जाय ही उसको बाद में लाने में दिक्कत होगी--

श्री मोहनलाल गौतम--कल जो परिस्थिति पैदा हो गयी थी यानी खंड १३ में कुछ कंफ्यूजन मालूम होता था। उसको ठीक करने की आपने आज्ञा दी थी। इसके साथ ही साथ ११-ए जो नीचे दी गयी है उसकी वजह से कुछ कांट्रेडिक्शन हो जाता था; इसलिये दोनों को रीड्राफ्ट करके रखने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्या इस सदन की अनुमति है कि खंड १२ को पुनर्विचार करके संशोधित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-A के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"11-AA. There shall be a Pradhan and a Up-Pradhan of the Gaon Sabha.

11-A. (1) The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed.

(2) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of the Pradhan shall be 5 years., or, if the State Government so declares by notification in the official gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix.

(3) The declaration under sub-section (2) may be notified before the expiry of 5 years aforesa'd, or,where the term has been enlarged, before the expiry of such enlarged term."

अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तीन चीजें थीं जिसके ड्राफ्टिंग में माननीय सदस्यों को आपत्ति थी और कुछ कन्फ्यूजन मालूम होता था इसलिये उसको रीड्राफ्ट कर दिया गया। बालेन्दुशाह जी ने पेज ७ पर (४) पर आपत्ति की थी - -

श्री अध्यक्ष--जरा इसको देखिये। यह छपाई में गलती हो गयी है या इसी प्रकार से रक्खा गया है ? इस 11-AA में और 11-A में कुछ गलती मालूम होती है।

श्री मोहन लाल गौतम--पहले 11-A आयगा और फिर 11-AA ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रधान गांव सभा द्वारा चुना जायगा, उसके बाद उप प्रधान आता है कि उसका चुनाव कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष--यहां पर 11-A तो पहला हिस्सा है और 11-AA दूसरा हिस्सा है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, 11-A. के तीन हिस्से हैं (१), (२), (३)। पहले 11-A A आया है।

श्री अध्यक्ष--पहले तो 11-A आना चाहिये उसके बाद ही प्रधान के चुनने की बात आती है। तो इस नम्बर को परिवर्तित कर दिया जाय।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। चूंकि कल थोड़े से क्लेरिफिकेशन की जरूरत थी वह यह कि एक तो प्रधान का चुनाव गांव सभा द्वारा होगा और उप प्रधान का चुनाव गांव पंचायतें करेंगी। तो उप प्रधान गांव सभा का कैसे होगा, इसके ऊपर कल काफी बहस हुई थी। उसको साफ करने के लिये मैं कह देना चाहता हूं कि गांव सभा द्वारा प्रधान चुना जायगा और उपप्रधान उस तरीके से चुना जायगा जैसा कि मैंने बतलाया। दूसरी बात यह देखी गयी है कि जो लैंग्वेज है उस पर कल डिस्कशन कर रहे थे जो पेज ६ के लास्ट लाइन में है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक वक्त में एक साल की मियाद बढ़ायी जाय या यह कि इसका टोटल पीरियड एक साल हो। इसको साफ करने के लिये मैं कहता हूं कि जो ५ साल की मियाद है उसको बढ़ा कर ६ साल करने की बात है। इसमें वास्तव में कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है। इसलिये कि ५ साल की मियाद है और उसको बढ़ा कर ६ साल तक किया जा सकता है। अब आप एक-एक महीना करके बारह महीने में उसको बढ़ा सकते हैं या एक बार ही एक साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन जो होगा वह ५ साल के बाद होगा। जितनी मियाद बढ़ेगी वह ५ साल खतम होने के बाद ही बढ़ेगी। इससे यह बात बिलकुल साफ हो जाती है इसलिये मुझे उम्मीद है कि सदन इसको स्वीकार कर लेगा।

महाराजकुमार बालन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जहां 11-A A (2) में आया है "such longer term not exceeding 6 years as it may fix." वहां "in all 6 years" कर दिया जाय। अगर माननीय मंत्री महोदय इसको उचित समझते हैं कि यह गलत नहीं है तो इसको ऐसा कर दें तो अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं समझता हूं कि इस पर काफी बहस हो चुकी है और हमारे ला डिपार्टमेंट ने भी इसका दूसरा माने नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष—यह बिलकुल साफ है। इसमें कहीं नहीं आता कि ६ साल जोड़ दिया जायगा। तो अब मैं इसको पेश कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-A के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"11-A There shall be a Pradhan and a Up-Pradhan of the Gaon Sabha.

11-AA (1) The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst them in such manner as may be prescribed.

(2) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of the Pradhan shall be 5 years, or, if the State Government so declares by notification in the official gazette, such longe term not exceeding 6 years iast may fix.

(3) The declaration under sub-section (2) may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or, where the term has been enlarged, before the expiry of such enlarged term."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-B की उपधारा (१) में शब्द "Vice President" के स्थान पर शब्द "Up-Pradhan of the Gaon Sabha" रख दिये जायं, तथा शब्द "and he shall be called Up-Pradhan." निकाल दिये जायं।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो अभी उपस्थित किया गया है उसमें जब यह संशोधन स्वीकार हो जायगा तो यह इस तरह से पढा जायगा :—

"The Pradhan of the Gaon Sabha shall be elected annually by the Gaon Panchayat from amongst its members in such manner as may be prescribed." मैं समझता हूं कि "Up-Pradhan of the Gaon Sabha" यह पढ़ने में अच्छा नहीं मालूम होता है और इसकी भाषा इतनी सुन्दर नहीं है जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य श्री अब्दुल मुईज खां ने ३३ आ आ में उपस्थित किया था कि—

"The Up-Pradhan elected by the Gaon Panchayat under section 11-B shall also be the Up-Pradhan of the Gaon Sabha."

और उन्होंने उससे पहले संशोधन में जहां उपप्रधान आया है उसको निकाल देने के लिये भी रखा है। जैसा कि मंत्री जी चाहते हैं अगर केवल वही रख देते हैं तो उस के बाद जैसे कि उन्होंने खंड १३ में जो रखा है कि गांव पंचायत जो उपप्रधान चुनेगी वही गांव सभा का भी उपप्रधान होगा। इसलिये इसको देख दिया जाय। यह कुछ पढ़ने में सुन्दर नहीं मालम होती है।

श्री अध्यक्ष—तो आप संशोधन का विरोध कर रहे हैं ?

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--जी हां।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस में जो स्कीम्स आफ थिन्गज में फर्क है और इसीलिये यह मतभेद है जो माननीय सदस्य ने जाहिर किया है। काम तो दोनों तरह से चल सकता है। यह तो जाहिर है कि एक प्रधान होगा और एक उपप्रधान होगा। प्रधान इस तरह से चुना जायगा और उपप्रधान इस तरह से चुना जायगा, यह इस में है। जो उपप्रधान चुना जायगा वही आगे चलकर गांव पंचायत का भी उपप्रधान होगा। यह चुनाव गांव सभा के उपप्रधान का है और गांव पंचायत का नहीं है। श्री अब्दुल मुईज खां के संशोधन को मानने से तो और कंफ्यूजन आगे चल कर हो जायगा। सिर्फ उनके स्कीम आफ थिन्ज में फर्क है। इसलिये जो मैंने पेश किया है उसी को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--इसी अड़चन को दूर करने के लिये उस वक्त यह रखा था कि छोटी बाडी के उपप्रधान का चुनाव छोटी बाडी यानी गांव पंचायत करे और उस के बाद आप यह कहें कि जिसे छोटी बाडी ने उपप्रधान चुना है वही बड़ी बाडी का उपप्रधान कहलायेगा। इसके बजाय उल्टा इसमें आ गया है कि गांव पंचायतें ही बड़ी बाडी के लिये उपप्रधान चुनेंगी "एंड ही शैल बि काल्ड उपप्रधान आफ दि गांव सभा" "हि मे बी काल्ड" कालिंग दूसरी चीज है और चुनने का अधिकार गांव सभा को गांव पंचायत को दे देना यह दूसरी बात है यह आपने उल्टा कर दिया ऐसा प्रतीत होता है कि यह जरा साधारण रवैये में परिवर्तन हो रहा है। मैंने यह सुझाव दे दिया, वैसे जो आप करना चाहें कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम--मेरी जो स्कीम आफ थिंग्ज है वह यह है कि गांव सभा का एक प्रधान और उपप्रधान होगा और फिर यह कहा कि प्रधान इस तरह से चुना जाय और उपप्रधान इस तरह से चुना जाय। यह सही है कि एलेक्टोरल छोटा है लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि छोटी बाडीज चुनते हैं लेकिन काफी बड़ी पावर्स बड़ी बाडी की हो सकती है। मेरी दिक्कत यह है कि अगर एकाध जगह इस तरह से कर दिया जाय तो उसका कांसीक्वेंस जितने और होते हैं उसमें कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिये उसमें कहीं कहीं कंट्रेडिक्शन है। लेकिन यह अमेंडमेंट ठीक है और वह दिक्कत हल हो जाती है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--मैं अपना विरोध वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 11-B की उपधारा (1) में शब्द "Vice-President" के स्थान पर शब्द "Up-Pradhan of the Gaon sabha" रख दिये जायं, तथा शब्द "and he shall be called Up-pradhan" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि पुनर्संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३ (क्रमागत)

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (2) के स्थानपर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the Pradhan shall be *ex-officio* member thereof. The Pradhan and the Up-Pradhan shall also be *ex-officio* Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Panchayat."

[श्री मोहन लाल गौतम]

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कल कंफ्यूजन था उसमें कई चीजें कल आयी थीं। प्रधान और उपप्रधान का तो पांच साल का टर्म रहेगा ही चाहे वह गांव पंचायत का मेम्बर रहे या न रहे लेकिन उसको छोड़कर बाकी मेम्बरों का पांच साल का टर्म होगा इसमें थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मेम्बरों का टर्म भी पांच साल का ही है। तो उसमें आपत्ति यह उठाई गयी थी कि यह जो प्रधान है वह पंचायत का मेम्बर है या नहीं। तो इसको भी जरा साफ कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि प्रधान और उपप्रधान जो हैं वह एक्स-आफिशिओ पंचायत के प्रधान और उपप्रधान होंगे। इसकी रिड्राफ्टिंग भी हो गई है इसलिये मुझे आशा है कि यह मेम्बरों को स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) The number of members of a Gaon Panchayat shall be such as may be prescribed and the Pradhan shall be *ex-officio* member thereof. The Pradhan and the Up-Pradhan shall also be *ex-officio* Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Panchayat."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी का पास हो चुका है उसको देखते हुये मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(3) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of a member of a Gaon Panchayat shall be 5 years, or, if the State Government so declares by notification in the official Gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix."

यह वही है जो हम पास कर चुके हैं और उसकी भाषा भी उसी तरह से रख दी गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) Subject to the provisions of section 12-H, the term of office of a member of a Gaon Panchayat shall be 5 years, or, if the State Government so declares by notification in the official Gazette, such longer term not exceeding 6 years as it may fix."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर)—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(4) The declaration under sub-section 3 may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or, where the term has been enlarged before the expiry of such enlarged term."

कल बालेन्दुशाह जी ने क्लैरिफिकेशन की जो कुछ बात कही थी वह इसमें हो जाती है कि बढ़ी हुई मियाद या ६ साल से पहले ही प्रेसीडेंट का डिक्लेरेशन हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--(महाराजकुमार बालेन्दुशाह के खड़े होने पर) माननीय बालेन्दुशाह आपको कुछ कहना है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चहूंगा कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (४) में ग्रो एनलार्ज्ड का प्रयोग किया गया है वह बहुत अजीब सा लफ्ज है। एक्सटेन्डेड इससे बेहतर है। उसमें स्पष्ट हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि अभी जो आपने संशोधन स्वीकार किया उसमें एनलार्ज शब्द स्वीकार किया है।

महाराज कुमार बालन्दुशाह--एनलार्ज्ड में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसको कर दें। शुरू में मेरा संशोधन इस बहस पर था कि एक्सटेंशन कुल एक साल का होगा अगर गुंजाइश है तो एक महीने २ महीने का एक्सटेंशन हो सकता है तो कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये ऐक्सटेंशन के बजाय एक्सटेंडेड रखा जाय बजाय एनलार्ज के।

श्री मोहन लाल गौतम--मुझे एक्सटेन्डेड लफ्ज से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन भ्रम होने का अन्देशा है कि अगर ५ साल का एक्सटेंशन ६ साल हुआ तो फिर ११ साल कोई माने न लगा ले। इसलिये यह फिट इन करता है मुझको यह बतलाया गया कि यह लफ्ज ठीक है और मैं आशा करूंगा कि श्री बालेन्दुशाह इस पर गौर करेंगे।

श्री अध्यक्ष--आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 12 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(4) the declaration under sub-section 3 may be notified before the expiry of 5 years aforesaid, or , where the term has been enlarged before the expiry of such enlarged term."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री बालेन्दुशाह का संशोधन वापस लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

१४--मूल अधिनियम की धारा १२ के बाद निम्नलिखित नई धाराएं 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 12-E, 12-F, 12-G, 12-H, 12-I, 12-J, और 12-K के रूप में बढ़ा दी जायं--

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धाराएं 12-A से 12-K तक बढ़ाया जाना।

Number of persons to be elected or Gaon Panchayat and Nyaya Panchayat.

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

12-B. (2) In addition to the members prescribed under section 12 the State Government may, by a general or special order, direct that one or more members of Prantiya Rakshak Dal having such qualifications as may be prescribed shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Gaon Panchayat or any committeee thereof as may be specified. Such persons shall not, however, by virtue of this sub-section be entitled to vote in the meetings of the Gaon Panchayat or the committees.

Additional members.

12-C. (1) The election of a person as Pradhan of a Gaon Sabha or as member of a Gaon Panchayat including the election of a person who may be appointed as a Panch of a Nyaya Panchayat under section 43 shall not be called in question except by an application presented to such authority within such time and in such manner as may be prescribed on the ground that—

*Appliaction for questioning the elections.

(*a*) the election has not been a free election by reason that the corrupt practice of bribery or undue influence has extensively prevailed at the election, or

(*b*) that the result of the election has been materially affected—

(i) by the improper acceptance or rejection of any nomination ; or

(ii) by gross failure to comply with the provisions of this Act or the the rules framed thereunder.

(2) The following shall be deemed to be corrupt practices of bribery or undue influence for the purposes of this Act :—

(A) (1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing—

(*a*) a person to stand or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate at an election ; or

(*b*) an elector to vote or refrain from voting at an election ; or as a reward to—

(i) a person from having so stood or not stood, or for having withdrawn his candidatures ; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting.

(B) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of a candidate or of any other person with the connivance of the candidate with the free exercise of any electoral right :

Provided that without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who—

(i) threatens any candidate, or any elector, or any person in whom a candidate or any elector is interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community ; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested will become or will

be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause.

(3) The application under sub-section (1) may be presented by any candidate at the election or any elector and shall contain such particulars as may be prescribed.

Explanation—Any person who filed a nomination paper at the election whether such nomination paper was accepted or rejected shall be deemed to be a candidate at the election.

(4) The authority to whom the application under sub-section (1) is made shall, in the matter of—

(i) hearing of the application and the procedure to be followed at such hearing,

(ii) setting aside the election or declaring the election to be void or declaring the applicant to be duly elected or any other relief that may be granted to the petitioner,

have such powers and authority as may be prescribed.

(5) Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (4) the rules may provide for the summary hearing and disposal of an application under sub-section (1).

(6) The order passed by the prescribed authority upon an application under sub-section (1) shall be final and conclusive, and shall not be questioned in any Civil Court.

Disputes pertaining to the election of Up-Pradhan Sarpanch or Sahayak Sarpanch.

12-D. Any dispute relating to the election of Up-Pradhan of a Gaon Sabha or of Sarpanch or Sahayak Sarpanch of a Nyaya Panchayat shall be referred in the manner prescribed to the prescribed authority whose decision thereon shall be final and conclusive and shall not be questioned in any Civil Court.

Oath of office.

12-E. (1) Every member of a Gaon Sabha shall, before entering upon any office referred to in sections 11-A, 11-B, 12-A, 43 or 44, make and subscribe before such authority as may be prescribed an oath or affirmation in the form to be prescribed.

(2) Any member who declines or otherwise refuses to make and subscribe an oath or affirmation as aforesaid shall be deemed to have vacated the office forthwith.

Resignation.

12-F. A Pradhan, Up-Pradhan or a member of a Gaon Panchayat may, by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed, resign his office and his office shall thereupon become vacant.

General Elections.

12-G. Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B, sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Pradhans of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including Panches of Nyaya Panchayats in the whole State or in any specified area thereof.

Casual vacancies.

12-H. If a vacancy in the office of a member of a Gaon Pahchayat arises by reason of his death, removal or resignation it shall, subject to the provisions of section 12, be filled for the unexpired part of his term in the manner provided therein and if the member vacating the office was also a [President] Pradhan or Up-Pradhan then that office shall also be filled as far as may be in the manner laid down in and under section 11-A or section 11-B as the case may be.

Jurisdiction of Civil Courts in election matter barred.

12-I. No civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or any decision given by an officer or authority appointed under this Act, in connection with conduct of elections thereunder.

Power of Up-Pradhan.

12-J. The Up-Pradhan shall exercise such powers of the [President] Pradhan as may be prescribed.

Tenure of office of Pradhan and Up-Pradhan.

12-K. Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 11-A or of 11-B the Pradhan and the Up-Pradhan shall continue in office until their respective successors are elected [or appointed.]

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं :--

खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12-A के रेखांकित अंश की पंक्ति ७ में शब्द 'after' के बाद तथा पंक्ति ८ में शब्द 'five' के पूर्व का शब्द समूह "the prescribed authority has selected" के स्थान पर शब्द समूह "the elected members have elected" रख दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोआप्टेड शब्द छपा है, मैं चाहता हूं कि कोआप्टेड के बजाय शब्द 'एलेक्टेड' रख दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जो इस विधेयक में प्रस्तावित धारा है वह इस प्रकार है :--

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

मेरा संशोधन रखने के पश्चात् यह इस प्रकार हो जायगी--

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any caseas shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of Section 12 but only such of them as remain after the elected members have elected five persons or as such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

श्रीमान् जी, इसमें जो प्रस्तावित धारा है उसका मतलब यह है कि जितने भी न्याय पंचायत के लिये सदस्य नियत किये जायं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनमें से चुन ले और उसके बाद जो बचेंगे वे ग्राम पंचायत के मेम्बर होंगे। इस तरह का मैंने कल एक संशोधन पेश किया था। उसमें मैंने बतलाया था कि जो नामिनेशन का तरीक़ा है वह पंचायत राज के मूल सिद्धान्त का विरोध करता है क्योंकि पंचायतें प्रजातंत्र प्रणाली पर बनायी गयी हैं और उनमें प्रजा अपने नुमायन्दों को खुद चुने चाहे वह न्याय पंचायत हो चाहे और कोई एक्जीक्यूटिव बाडी हो। जो मैंने संशोधन रखा है उसमें नामिनेशन और सेलेक्शन जो कि नियत अधिकारी द्वारा होगा उसमें यह रखा गया है कि जो उसके चुने हुये मेम्बर हैं खुद न्याय पंचायत के लिये जितने सदस्यों की जरूरत हो उतनों को चुन लें और इसके पश्चात् जो बचें वह ग्राम पंचायत के मेम्बर

माने जायं। श्रीमान्, नियत अधिकारी द्वारा जो न्याय पंचायत के लिये सदस्य चुने जायंगे वह सही तरीके से नहीं चुने जायंगे क्योंकि अंग्रेजी राज्य में भी इसी तरह की न्याय पंचायतें बनाई गई थीं, उनमें भी जो पंच चुने जाते थे वह नामीनेटेड किये जाते थे। लेकिन वह करप्शन से खाली नहीं थी और उनमें बहुत से दोष थे। उनको हमारी सरकार ने खत्म कर दिया। अब उसी प्रणाली को हमारी सरकार पुनः अपनाने जा रही है, मैं नहीं समझता हूं कि यह कहां तक सही है कि जो चीज पहले खराब साबित हो चुकी है उसकी पुनरावृत्ति की जाय।

दूसरी बात यह है कि जो नियत अधिकारी चुनेगा उसको ग्राम के रहने वालों का सही ज्ञान नहीं होगा। उनके पास तो जो सूचना प्रापर चैनेल से जायगी उसी पर वह नामीनेट करेंगे। तो इस तरह से जो नुमायन्दे जायंगे चुनकर नियत अधिकारी द्वारा वह सही नहीं होंगे क्योंकि वही आदमी जा सकते हैं जो लोग मिलते जुलते रहते हों, और दलाल टाइप हों। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से चुने हुये मेम्बरों के द्वारा यदि न्याय पंचायत के मेम्बर चुने जाते हैं तो दोनों चीजों का पालन हो जाता है। एक तो यह कि सही पंच पहुंचेंगे और दूसरे यह कि जो इसका मूल सिद्धान्त है वह भी इससे पूरा होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लें।

श्री कृपाशंकर--अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है यह एक प्रकार से गैरकानूनी है। यहां यह प्रश्न है कि गांव पंचायत में इतने मेम्बर चुने जायंगे जो संख्या है उससे ५ अधिक या कम जो प्रेस्क्राइब किये जायं और इसके बाद प्रेस्क्राइब्ड अथौरिटी न्याय पंचायत के लिये ५ आदमी चुन लेगी, बकीया ग्राम पंचायत के मेम्बर हो जायंगे। आपका संशोधन है कि प्रेस्क्राइब्ड अथौरिटी के बाद यह कर दिया जाय कि "the elected member have co-opted" जो मेम्बर चुन लिये गये हैं उनको कोआप्ट करने का क्या सवाल है। जब किसी कमेटी में और मेम्बर लेने होते हैं तब कोआप्शन का सवाल आता है। लेकिन जब एक कमेटी दूसरे को इलेक्ट करेगी तो यहां शब्द "इलेक्शन" तो हो सकता था लेकिन कोआप्शन का सवाल नहीं है। बहुत सी पंचायतों के लिये मेम्बर चुनने हैं इसलिये बजाय कोआप्शन के लिये अगर इलेक्शन कहा जाता तब तो कुछ सही था....।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप इसे अवैध कह रहे हैं। कहीं आपने तय कर दिया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथौरिटी ५ आदमियों को चुनेगी।

श्री कृपाशंकर--जी नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि आपने लफ्ज कोआप्शन रखा था यहां पर गांव सभा करेगी और न्याय पंचायत के लिये करेगी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोआप्शन तो किसी कमेटी के लिये आदमी बढ़ाने के लिये होता है लेकिन यहां पर दूसरी बात है। यहां पर शब्द ठीक नहीं बैठता है। अगर आप यह कहें कि मेम्बर चुन लेंगे तब तो ठीक बैठता है। एक तो यह लफ्ज सही नहीं है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा ५ आदमी चुनने के लिये रखे गये हैं। इसका मतलब यह है कि जो न्याय पंचायत का इलेक्शन हुआ पिछले वक्त में उसमें कुछ ऐसे लोग आ गये जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और जबर्दस्ती वोट ले लिया। तो इस बात को मिटाने के लिए कि कोई आदमी जबर्दस्ती वोट लेकर, दूसरों को डरा धमका कर न आ जाय यह रखा गया कि जो मेम्बर्स गांव पंचायत के लिए चुने जायं उनमें ५ और चुन लिये जायं और उनमें से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न्याय पंचायत के लिए ५ आदमियों को नामिनेट कर देगी। इस तरह से ज्यादा अच्छे आदमी आ सकेंगे। पहले तो यही

[श्री कृपाशंकर]

था कि वही गांव सभा के मेम्बर लोग ही चुन दिया करते थे । लेकिन पिछले तीन चार साल के तजुर्बे में जो खराबियां दिखलायी पड़ीं उनको दूर करने के लिये ही यह रखा गया है ताकि आइन्दा काम ठीक हो सके। इसलिये यह जो इसमें संशोधन पेश किया गया है वह उचित नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि शायद विष्णुदयाल जी ने अपने इस संशोधन को संशोधित कर दिया था और उन्होंने कोआप्ट के बजाय एलेक्टेड शब्द रख दिया था। मैं तो इस समय एक दूसरी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि विष्णु दयाल जी ने प्रजातांत्रिक प्रणाली की बात कही है और यह कहा कि प्रेसक्राइब्ड एथारिटी द्वारा नामिनेट किये जाने के बाद जो विलेज रिपब्लिक आप बना रहे हैं उसका आधार ही नहीं रह जायगा। अगरचे आप नामिनेशन की बात यहां पर लाते हैं । मेरा यह ख्याल है कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में जहां तक एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का सवाल है यह तो ठीक है कि चुने हुए नुमाइन्दे जनता के होते हैं, वह कानून बनाते हैं और एक्जीक्यूटिव उनको कार्य रूप में परिणित करती है लेकिन जहां तक कि न्याय प्रणाली की बात है मैं नहीं जानता कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में कहां पर न्याय प्रणाली चुनी हुई होती है ? इसके अलावा मेरा ख्याल है कि कुछ साल पहले जो सरकार ने एक जुडीशल रिफार्म्स कमेटी बैठाई थी उसने कुछ सिफारिशें की थीं जिनका कि इस सदन में अकसर जिक्र हुआ है। उस ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा है :—

"The Committee is of opinion that these defects are mainly due to the elective principle which has been introduced in the composition of these village courts. The Committee, however feels that the decentralisation of courts which was brought about by the Panchayat Raj Act, should not be scrapped altogether but should be given some trial. At the same time the Committee is definitely of the opinion that the elective system for constituting these Panchayati Adalats should go at once It is suggested that in place of the elective system the Panchayati Adalats should consist of panches nominated by the District Magistrate from within the Panchayati Adalat circle after such local enquiry through a gazetted officer as is considered necessary."

श्री अध्यक्ष—इसका थोड़ा सा खुलासा मुख्तसर में आप हिन्दी में भी कह दीजिए ।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना—वांचू कमेटी जिसने कि इस प्रश्न पर विचार किया था कहा है कि यह तो सही है कि जहां तक कि अदालतों के विकेन्द्रीकरण का सवाल है पंचायती अदालतें बनायी जानी चाहिएं । मगर उसके अन्दर जो खामियां हैं, कमियां हैं वह इस वजह से हैं कि वह चुनी हुई पंचायतें हैं। अगर उस चुनाव को हटा कर कोई नामिनेशन का सिस्टम रख दिया जाय और उन्होंने तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सुझाव दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन पंचायतों को मनोनीत करे। मगर यहां जो संशोधन लाया गया है उसमें यह कहा गया है कि गांव सभायें गांव पंचायतों को चुनेंगी और उसके अन्दर जितने सदस्य न्याय पंचायत के लिये चुने जाने वाले हैं, पांच या इससे कम या ज्यादा, उनको भी वह चुनेंगी। उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी उनमें से उतने आदमी नामिनेट कर देगी न्याय पंचायत के लिये और बाकी गांव पंचायत के मेम्बर हो जायंगे। तो इस तरह से माननीय सदस्य यह देखेंगे कि यहां पर

चुनाव की पद्धति को अलग नहीं किया गया है यानी गांव सभा से चुने हुए मेम्बर गांव पंचायत में जायंगे और उन्हीं के चुने हुए मेम्बरों में से प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी को अधिकार होगा कि न्याय पंचायत के लिए मेम्बरों को नामिनेट कर दे यानी चुने हुए सदस्य एक पेनल फार्म करेंगे और प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी का अधिकार सीमित कर दिया गया है, कि वह उन्हीं में से नामिनेट करे। उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी को भी गांव सभा में से चुन ले। गांव सभा के चुने हुए सदस्यों में से ही उसको अधिकार है कि कुछ सदस्यों को न्याय पंचायत के लिए मनोनीत कर दे। इस तरह से यह जो नया क्लाज इस धारा के द्वारा लाया गया है उसके अन्दर चुनाव की प्रणाली भी रखी गई है और उसके साथ साथ जो खामियां या कमियां बतायी गई थीं, जिनकी तरफ वांछू कमेटी ने बहुत जोरों के साथ असहमति प्रगट की है, उनको भी अलग कर दिया गया है। इस तरह से दोनों के मिलाने से जो कि एक आदर्श रूप बन सकता था वह बनाया गया है। मैं समझता हूं कि जिस रूप में यह धारा है उसका संशोधन करने से उसका वह मतलब समाप्त हो जाता है। अक्सर विरोधी दल के सदस्य वांछू कमेटी की दुहाई दिया करते हैं और यह बहुत सही है, इसलिये जो संशोधन बिल में धारा है वही ठीक है और जो संशोधन माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हरिश्चंद्र जी ने एक चीज सामने रखी। उन्होंने कोटेशन दिया और बतलाया कि न्याय पंचायतों में जो दोष है वह इसलिये है कि उनके सदस्य चुने हुये हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय सदस्य एक तरफ चुने हुए सदस्यों का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है उसके द्वारा चुने हुए सदस्यों में से फिर सेलेक्शन करवाते हैं। यह एक अजीब जी चीज बन जाती है कि दोनों चीजों में से कौन सी चीज सही है। मैं समझता हूं कि जो दोष और करप्शन का कारण बतलाया गया है वह चुनाव नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सेलेक्ट करेगी तो वह भी उन्हीं सदस्यों में से करेगी जो कि चुने हुए हैं। तो मैं यह नहीं समझता कि यदि वह सदस्य उन्हीं चुने हुए मेम्बरों द्वारा जो कि उनको अच्छी तरह से जानते हैं और साथ के रहने वाले हैं उनकी अच्छाइयों और बुराइयों से भली भांति परिचित हैं तो उनमें क्या बात हो जाती है। उन्हीं सदस्यों को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा ग्राम सभा के रहने वालों पर थोप दिया जाता है तो क्या बात होती है? मैं समझता हूं कि सिर्फ इसमें भावना का अन्तर है। जो भावना मेरे संशोधन में है वह अधिक बेहतर है बनिस्बत इसके कि ऊपर से सेलेक्ट करके गांव सभाओं पर थोप दिया जाय। इसलिये मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और इसे मानने की कृपा करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे खेद है कि मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12—A के रेखांकित अंश की पंक्ति ७ में शब्द "after" के बाद तथा पंक्ति ८ में शब्द "five" के पूर्व का शब्द समूह "the prescribed authority has selected" के स्थान पर शब्द समूह "the elected members have elected" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12-A में शब्द "Prescribed Authority" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं--

"a committee consisting of the (*a*) District Judge who shall be the Chairman of the Committee, (b) District Panchayat Raj Officer as Secretary, (*c*) all the Pradhans of the Gaon Sabhas of the area of the Nyaya Panchayat, as members."

यह अगर स्वीकृत हो गया उपाध्यक्ष महोदय, तो वह इस तरह से होगा--

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such member as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the.."

"After the" के बाद इस तरह बदल जायगा

'a committee consisting of the (a) District Judge.....

उसके बाद वही है "has selected five persons or such lseser number as aforesaid under section 43 for membership of the nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो इसमें लिखा है सेलेक्ट कमेटी में जाने से पहले जब पहले इस सदन के सामने यह बिल पेश किया गया था, तो उस समय यहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की चर्चा की गयी थी कि जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा। सेलेक्ट कमेटी ने उसको हटा दिया। मैं चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यहां पर डिफाइन कर दिया जाय कि वह क्या होगी। और मेरी उसमें मंशा यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की खुद एक कमेटी हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज हों, वह चेयरमैन हों और वहां के पंचायत राज अफसर हों वह सेक्रेट्री हों। उस न्याय पंचायत के क्षेत्र के अन्दर जितनी ग्राम सभायें होंगी उन सबके जो सभापति, यानी प्रधान होंगे वह उस कमेटी के मेम्बर होंगे इसका फैसला करने के लिये कि कौन से लोग न्याय पंचायत के मेम्बर बनाये जायं। अगर यह ५ आदमी छंटे चुने रखे जाते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह नामजदगी का सवाल आ रहा है; उनकी स्थिति वैसी ही होगी जैसे कि पहले जिलों के अन्दर आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किये जाते थे अब गांव पंचायत के अन्दर ५-५ आनरेरी मैजिस्ट्रेट मुकर्रर किये जायेंगे जो अदालतों का फैसला करने वाले होंगे, उनमें और आनरेरी मैजिस्ट्रेटों में कोई फर्क नहीं होगा। केवल यही होगा कि यह भी उन्हीं ग्राम सभाओं द्वारा छंटे हुये लोग होंगे, जिनको कहा गया है कि एलेक्टेड होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सेलेक्ट कमेटी ने खुद इस बात का फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वहां से हटा दिया है उसका नाम तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अन्दर नहीं है लेकिन अन्देशा यह है कि इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के नाम पर कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लेकर कहीं उनके हाथों से नामिनेशन न करा दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो डैमोक्रेसी के दुश्मन हैं। प्रजातंत्र का अगर कोई दुश्मन है तो वह हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही हैं जो इसको चलने नहीं देना चाहते। ये छोटे हिटलर हैं। जिस तरह से हिटलर ने हिटलरशाही चलाई थी उसी तरह से ये लोग भी जिलों में हिटलरशाही चलाते हैं। कानपुर का ही केस ले लीजिये। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने क्या हिटलरशाही नहीं चलाई है?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं तो डैमोक्रेसी के दुश्मन का नाम बतला रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो तजुरबा हो रहा है उसकी व्याख्या कर रहा था। नमूना

सामने ही है कि इस प्रदेश के विरोधी दल के नेता जब कि आज सदन में पंचायत राज्य पर बहस हो रही है वह हमारे बीच में नहीं हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम से ब्रीच आफ पीस का खतरा है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का इशारा ही काफी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इशारा ही कर रहा हूं। हमारा विश्वास इन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर से हटता जा रहा है? इनके स्थान पर डिस्ट्रिक्ट जज को रख दिया जाय। कहा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट जज भी तो हमारे ही अफसर हैं, उनको क्यों रक्खा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं रक्खा जाता? उनके जो नमूने हैं इसलिये उन पर से विश्वास हटता जा रहा है। अगर पंचायत राज्य की तरक्की करना है, उसको आगे बढ़ाना है तो इलेक्शन का जो सबसे अच्छा तरीका था, न्याय पंचायतें जो हमारी हैं उनके पंचों को भी गांव सभा वाले ही इलेक्ट कर देते। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पहले भी कहा था बिल पेश करते वक्त का तजुरबा कहता है कि न्याय पंचायत के लोगों को उसमें से छांटा जाय जिनको गांव सभा वाले छांटें। तो थोड़ा सा डिस्क्रीशन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को भी मिलना चाहिये जो उनको नामिनेट करेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो एक कमेटी हो उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज आफिसर उसका सेक्रेटरी हो और सब गांव सभा के प्रधान उसके सदस्य हों। इसके मानी यह हुये कि डिस्ट्रिक्ट जज और पंचायत राज आफिसर परमानेंट मेम्बर्स होंगे और जिस क्षेत्र में न्याय पंचायत बनेगी उस क्षेत्र की ग्राम सभाओं के जितने सभापति होंगे अलग अलग एरियाज में वे कमेटी के मेम्बर्स होंगे। पांच एक्सट्रा जो छांटे जायेंगे वे मिला कर ३० होंगे और उन ३० में से ५ आदमी न्याय पंचायत के लिये मुकर्रर कर दिये जायं और उपाध्यक्ष महोदय इसका फैसला भी वही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की सफाई यहां पर हो जाय और साफ साफ रख दिया जाय कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी स्वयं ही नहीं रखना चाहते। इसीलिये उनका नाम हटा दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देना चाहते। फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास काम भी बहुत है और अधिकार भी उनके पास पहले से बहुत ज्यादा हैं और हम लोगों की दरबारदारी भी उनको बहुत करनी पड़ती है। लिहाजा यह काम तो डिस्ट्रिक्ट जज के लिये छोड़ देना चाहिये। जुडीशियल माइंड के होने से वह अदालतों में ऐसे ही आदमियों को रक्खेगा जो जुडीशियल माइंड के हों और यह कहा जा सकेगा कि जो एक्जिक्यूटिव है वह किसी तरह से इंटरफियर नहीं कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को इनमें नहीं रक्खा जायगा और आगे भी यह कोशिश होगी कि वे दखल न दे सकें। इन शब्दों के साथ में इसे पेश करता हूं और माननीय मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् अगर कुछ और कहना होगा तो कहूंगा।

***श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय उपाध्यक्ष जी को इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के शब्द से कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सदा से यह मायने होते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स। वह रूल्स हमारे इस सदन के सामने आयेंगे और संभव है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को परामर्श दात्री समिति से राय करना होगा और किसी अन्य से भी राय करना होगा। तो उस समय आपके स्वयं उस पर विचार करने का अवसर मिलेगा और यह आपके सामने आयेगा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के किस प्रकार से काम होंगे। यह आपने जो सुझाव दिया है यह बहुत ही विलम्बकारी और व्ययशील होगा। इसमें कोई तथ्य नहीं है। उसमें डिस्ट्रिक्ट जज का नाम लिया गया कि उसकी राय से उसमें काम किया जायगा। मैं इस सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज सिवाय जुडिशियरी काम को छोड़कर जिले की और क्या जानकारी उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलखन मिश्र]

रहती है। वह तो हमेशा मुकदमों को ही निर्दिष्ट पथ पर बैलेंस कर सकता है और इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान उसको नहीं होता है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरी कठिनाई यह है कि प्रत्येक पंचायती अदालत में अगर यह समिति बनायी जाय तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज को अपना समय देना पड़ेगा और उसमें बहुत व्यय होगा और दूसरे जिस दृष्टिकोण का उपाध्याय जी संकेत करते हैं क्या उस दृष्टिकोण से यह काम होगा। इसमें बहुत सी अड़चने आयेंगी। इसी कारण मैं यह अनुमान करता हूं कि 'प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी' शब्द से उनको भ्रम उत्पन्न हो गया है और इसी कारण से वह यह संशोधन लाये हैं और इसी कारण से "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" पर वह बहुत जोर देते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी इसको स्पष्ट कर देंगे कि 'प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी' के मायने होते हैं कि "प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स" और वह रूल्स हमारे इस सदन के सामने आयेंगे और उस समय उपाध्याय जी "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" शब्द पर काफी चर्चा कर सकते हैं। यदि वह इस पर विचार करके देखेंगे तो इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि "प्रेस्क्राइब्ड अथारटी" को किन कठिनाइयों में अपना निर्णय देना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो पद्धति सरकार की ओर से जारी की जाने वाली है कि न्याय पंचायत की नामजदगी नियत अधिकारी द्वारा की जाय यह मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के बिलकुल विपरीत है। अभी तक जो अदालती पंचायतें रही हैं उनकी तारीफ सदन में माननीय स्वशासन मंत्री के द्वारा बीसों बार हो चुकी है और तब जो पद्धति चुनाव की पहले थी उसको परिवर्तित करने के लिये कारण यही हो सकता है कि अदालतों का इन्तजाम या प्रबन्ध या फैसला जनता की निगाह में और माननीय स्वशासन मंत्री की निगाह में खराब साबित हुआ। मैं समझता हूं कि अदालती पंचायत एक ऐसी पंचायत रही है जहां कि पंच लोगों को सक्रिय रूप से अदालती केसेज का निर्णय करने में सफलता हुयी है। ग्राम पंचायतों का काम निष्क्रिय रहा है। जो पंचायत जनता की निगाह में या सरकार की निगाह में कामयाबी हासिल करे उसके संबंध में इस प्रकार का संशोधन लाना साजिश करना होगा। जनता के प्रति जो पंच वफादार और निष्पक्ष साबित हुये हैं और किसी प्रकार की शिकायत उनकी जनता के बीच में नहीं हुई है उन्हीं स्थानों की पूर्ति सरकार नियत अधिकारी के द्वारा कराये तो इसके मायने हो जाते हैं कि अभी तक चुनाव पद्धति बहुत खराब रही है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय रामलखन जी से अपील करना चाहता हूं कि यह जनता की भावना की उपेक्षा होगी और उनका समादर नहीं होगा कि जो आदमी इन्सपेक्टर या जो कलेक्टर की चापलूसी करेगा वही वहां पर आयेगा। मेरा विश्वास है कि जो आज नौकरशाही है वह ऐसे लोगों को ही बढ़ावा देगी। ईमानदार तथा निष्पक्ष व्यक्ति न्याय पंचायत में नहीं जा सकेंगे। २,४ साल का मेरा कटु अनुभव यह साबित करता है कि सरकार के अधिकारी उन्हीं लोगों की नामजदगी करेंगे, जो जनता की उपेक्षा करते हैं। इस सिलसिले में उधर के बैठे माननीय सदस्यों ने भी बीसों बार ऐसे प्रश्न किये हैं जिनसे यह साबित हुआ है कि नियत अधिकारी या इंसपेक्टर या पंचायत अफसर ने सदा उन बातों की उपेक्षा की है जो अदालती पंचायतों के पंच या सरपंच या ग्राम सभा के सभापति कहते थे। ऐसी अवस्था में उन्हीं अधिकारियों को यह अधिकार देना कि वे नामजदगी करें। इसके मानी होंगे कि अदालती पंचायत उन्हीं लोगों के हाथ की कठपुतली होगी जो कि इन अधिकारियों के चाहे हुये होंगें। यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि अदालती पंचायतों में भी, उतना तो नहीं लेकिन कुछ भ्रष्टाचार अवश्य है और भ्रष्टाचार छिपाने का एक ही तरीका है कि अधिकारियों की चापलूसी करे, दरबारदारी करे और जो ऐसा करता रहेगा उसकी कुर्सी रहेगी, ऐसा प्रतीत होता है। इस धारा के मायने ही यह होते हैं कि सरकार के हुकुम की पाबन्दी, हुकुम चाहे गलत हो या सही हो, जिला पंचायत अफसर के हुकुम की पाबन्दी चाहे हुकुम गलत हो या सही मानना

होगा। अगर वह नहीं मानता है तो वह हटाया जा सकता है और फिर उसकी जगह पर नियत अधिकारी अपने मनोनुकूल आदमी को नामजद करेगा। मैं समझता हूं कि इससे भ्रष्टाचार फैलने की विशेष आशंका है और सही मानों में पंचायती अदालतें जो निर्णय करना चाहती हैं उसमें रुकावट होगी।

जिलाधीशों या नियत अधिकारियों के रवैये पर माननीय राम लखन जी या कुछ और माननीय सदस्य भले ही संतुष्ट हों लेकिन अधिकतर आपसी बातचीत में मालूम होता है कि उधर बैठे हुए सदस्य भी काफी नाराजगी जाहिर करते हैं उन अधिकारियों पर जिन्हें सरकार जनप्रिय होने का जामा पहनाती है। नामजदगी की धारा हटाने से यह बिल जनता की निगाहों में ऊंचा आदर्श स्थापित करेगी। नहीं तो जनता जिस निगाह से श्रमदान में शरीक होती है, जिस दृष्टि-कोण से अदालती पंचायतों के फैसले को मानती है और कहती है कि पंचों का फैसला ईश्वर का फैसला है, मैं समझता हूं कि उसकी इस निगाह में अन्तर आवेगा और श्रमदान और निर्माण के कार्य में कमी आवेगी। भ्रष्टाचार और चापलूसी का बोल बाला होगा।

इन पुरजोर शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे नौकरशाही के हाथों में जनता को पीसने का मौका न दें। इस प्रदेश की जनता जो अधिकतर मूक है, उसके साथ खिलवाड़ न करें। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज के जिलाधीश इस प्रदेश में क्या कर रहे हैं।

कानपुर की घटना की मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को पूरी तरह जानकारी होगी। हमारे यहां दफा १०७ और ११७ में गिरफ्तारियां बहुत होती हैं लेकिन गांवों में रहने वालों की ज्यादातर गिरफ्तारियां होती हैं जो कि दो दलों में बंटे होते हैं, जिनकी ओर से अंदेशा होता है कि वहां झगड़ा हो जायगा। माननीय राजनारायण सिंह जी जो जेल में बन्द हैं और कानपुर के निवासी नहीं हैं, पंचायत राज संशोधन ऐसे बिल पर असेम्बली में हिस्सा लेना जरूरी है, उनको जेलखाने के द्वार पर ही १०७ का नोटिस दे दिया गया। अगर ऐसे अधिकारियों के हाथ में जिलों का प्रबन्ध और न्याय पंचायतों का प्रबन्ध दे दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र पर कुठाराघात होगा और सही मानों में जनता की राय की उपेक्षा होगी। मैं आपके द्वारा उधर बैठे हुये माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इसमें हमारा हाथ बटायें और माननीय उपाध्याय जी के संशोधन को स्वीकार कर लें। कहीं ऐसा न हो कि चन्द दिनों और महीनों के बाद उधर के लोग वही कहने लगें जो आज हम कह रहे हैं। इसलिये मैं आपसे और आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा के संबंध में जो हमारे साथी का संशोधन है उसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो पंडित रामसुन्दर जी पांडेय का भाषण हुआ तथा मदन मोहन जी उपाध्याय का भाषण हुआ, उनको मैंने सुना। यदि उनके संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा तो मैं समझता हूं कि कानून बनाने का काम बहुत बेढंगा हो जायगा और इसको मंजूर कर लेने से कानून की गाड़ी नहीं चल सकेगी। कानून का हमारे सामने एक ढांचा होता है और उसको बनाते समय यह देखा जाता है कि उसको कार्यान्वित किया जा सकेगा या नहीं। जो संशोधन इस समय रखा गया है वह इतना जबरदस्त संशोधन है कि उसके गांव पंचायत का रूप ही बदल जायगा और वह ऐसी चीज हो जायगी जिसकी उनको स्वयं भी इच्छा न होगी तथा उनको वह किसी प्रकार सहायता भी नहीं पहुंचा सकेगा।

इसमें संदेह नहीं कि इसमें एक दिक्कत पड़ रही है। वह दिक्कत यह है कि कहीं भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की डेफीनीशन नहीं की गयी है। यदि माननीय मंत्री जी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को डिफाइन कर दें तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा या रूल्स में जब वे बनाये जायं उनकी विषद व्याख्या कर दी जाय तो अच्छा होगा। अगर ऐसा कर दिया जायगा तो जो शक उधर के लोगों को हो रहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में

[श्री पद्मनाथ सिंह]

इतनी पावर्स दे दी जायंगी तो उनका अब्यूज होगा, यह उनका भय किसी हद तक कम हो जायगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को इसी ऐक्ट में अथवा रूल्स में डिफाइन कर दिया जाय तथा यह निर्णय उसके अधिकार का ध्यान रखते हुये किया जाय।

मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि चाहे कोई चेयरमैन और कोई सेक्रेट्री हो उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। चेयरमैन चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है जैसा कि भय श्री रामसुन्दर जी और माननीय उपाध्याय जी ने जाहिर किया, क्योंकि जनरल सेक्रेट्री जो कुछ करता है अधिकतर चेयरमैन उसको डिटो करता है। इसलिये चेयरमैन चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उससे कोई अन्तर न पड़ेगा। जो कमेटी बनेगी मुमकिन है कोई रिलीफ दे दे लेकिन उससे बजाय दिक्कत कम होने के और भी बढ़ने की संभावना है। इससे कानून बड़ा कम्बरसम हो जायगा और जैसा कि सिम्पलीफाइंग और कसाइज उसे होना चाहिये वह न बन सकेगा। मैं निवेदन करूंगा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को डिफाइन कर दिया जाय या जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको ऐसा कर दिया जाय 'एज प्रेस्क्राइब्ड बाई दी रूल्स'। इस ऐक्ट के संबंध में बार-बार डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाती है और यह प्लांड मालूम होता है कि श्री राजनारायण जी का नाम इस संबंध में जहां भी लिया जा सके ले लिया जाय। मेरे ख्याल में इस हाउस का कोरम बड़ी सावधानी के साथ यूटीलाइज करना चाहिये। श्री राजनारायण सिंह की गिरफ्तारी का संबंध न तो डेमोक्रेसी की किसी व्याख्या से है और न वह इस ऐक्ट की किसी धारा के अन्तर्गत आता है। श्री राजनारायण जी की गिरफ्तारी की चर्चा इस सदन में पहले आ चुकी है। डेमोक्रेसी बनायी जाती है और उसके बनाने में श्री राजनारायण जी तथा दूसरे माननीय सदस्य जो दूसरी तरफ बैठे हुये हैं उनका बड़ा भारी हाथ है और होना चाहिये और डेमोक्रेसी के बनाने में यदि कोई सदस्य जरा भी अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो आरम्भ में डेमोक्रेसी का पहला स्टेज कई जगह डिक्टेटिरयल रखा गया है और उसको डिक्टेटरशिप की तरफ से ट्रीट करते हैं और उसमें गिरफ्तारी क्या बड़ी-बड़ी बातें हो जाया करती हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी की रूपरेखा के संबंध में हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन सा है और वह कनफ्यूजन भी ऐसा है तभी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूप में तो डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी का पहला स्टेज है और उस डेमोक्रेसी के पहले स्टेज में यदि कोई खलल पैदा करता है तो वह एनिहिलेट कर दिया जाता है। तो यदि इन विचारों के अन्तर्गत आप विचार करें और इस परिभाषा के अन्तर्गत इस बात को देखें तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी की दुहाई देने वाले अपने कार्य से डेमोक्रेसी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि उसको पीछे ले जा रहे हैं। अपने ऐक्शन से वे जस्टिफाई नहीं करते हैं। इस प्वाइन्ट से मैं प्रोटेस्ट के तौर पर इस बात को कहता हूं कि यह संशोधन जो पेश किया गया है इसको डेमोक्रेसी की शान के अनुरूप होना चाहिये।

मैं तो काउन्टर प्रोटेस्ट के रूप में कहना चाहता हूं कि यहां न तो श्री राजनारायण जी की गिरफ्तारी से कोई संबंध है और न डेमोक्रेसी के किसी डेफिनिशन की कोई बात है। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से जो भय दिलाया गया है उसको ध्यान में रखते हुये उसको इस समय या जिस समय रूल बने डिफाइन कर दिया जाय तो बहुत अच्छा है। ताकि किसी भी सेक्शन आफ पापुलेशन को यह भय न रहे कि जो पावर हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे रहे हैं उसका एब्यूज होगा या इससे हमारा कल्याण नहीं होगा या पंचायत राज का उद्देश्य प्रतिपादित नहीं होगा। मेरा नम्र निवेदन यह है कि उस भय को ध्यान में रखते हुये इस ऐक्ट को बनाना चाहिये और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पावर्स जितने मिनिमाइज हो सकते हैं उतने मिनिमाइज होने चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में एक कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका' हमारे लायक दोस्त उपाध्याय जी ने बड़ी धूमधाम के साथ,

बड़ जोरों के साथ विरोध करते हुये अपना जो अमेंडमेंट पेश किया है। उसके जरिये उन्होंने मैजिस्ट्रेट से हटा कर जज और कुछ पंचायत अफसरों को खींच कर वहां खड़ा कर दिया जहां कि पहले सरकार थी।सरकार ने पहले रखा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नामिनेट करे लेकिन सेलेक्ट कमेटी में जाकर गवर्नमेंट ने एक लीगल वे में बड़े सुन्दर ढंग से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को रखा। मैं अपने लायक दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जिस समय रूल बनाया जाय उस समय वे अपनी बुद्धि को अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा होगा। डेमोक्रेसी की बड़ी दुहाई दी गयी है लेकिन जो डेमोक्रेसी के हामी हैं उनके कारनामे हमारे सामने इसी मेज पर मौजूद हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनमें से दो चार लाइनें पढ़ दूं।

श्री उपाध्यक्ष---उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनारायण--- मान्यवर, मैं कह रहा था कि पडरौना म्युनिसिपैलिटी में जो लोग कार्य कर रहे हैं, वहां की हालत आप देखें कि वहां क्या हो रहा है। वहां की हालत बड़ी बुरी है, पानी छिड़कने का न कोई इन्तजाम है, न सफाई का कोई इन्तजाम है। जहां पर कि डेमोक्रेसी के हामी हमारे सोशलिस्ट भाई ही मौजूद हैं, लेकिन वहां की बातें किसी को दिखलाई नहीं देतीं। तो मैं आपसे कहता हूं कि 'कहता सब मिले, गहता मिले न कोय' कहने के लिये तो सभी कहते हैं और कल माननीय नारायणदत्त जी व श्री मदनमोहन जी ने हिन्दुस्तान के तमाम सूबे का कोटेशन दिया लेकिन ट्रावनकोर का नाम किसी ने नहीं लिया कि वहां की हुकूमत कैसा काम कर रही है। ट्रावनकोर में हुकूमत कैसा काम कर रही है और कैसा एडमिनिस्ट्रेशन वहां चल रहा है? हम यहां पर जो पंचायत राज बिल लाये हैं उस के द्वारा हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और हमारी सरकार ने इस दिशा में देश भर में पहला कदम उठाया है और हम जनता को पावर देना चाहते हैं और राम-राज के उगते हुये पौधे को हम फलीभूत करना चाहते हैं और सुख उससे उत्पन्न करना चाहते हैं। हमें आशा है कि हमारे इस कार्य की दूसरे प्रदेश भी कापी करेंगे। यह कानून निहायत सुन्दर ढंग से लाया गया है, यह नहीं कि चाहे जो रख दिया हो जैसा कि उपाध्याय जी ने कह दिया कि जज को कमेटी बना कर चेयरमैन बना दिया जाय और पंचायत अफसर को उसका सेक्रेट्री बना दिया जाय। हमारी गवर्नमेंट ने साफ लिख दिया है कि---

"Prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under secton 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

उसमें साफ लिखा है कि आगे चलकर हम नहीं जानते कि किसको बनावेंगे। वहां के लोगों को भी बना सकते हैं, वहां के जो मुख्य-मुख्य लोग हों या जो अच्छे सिविलियन हों उनमें से छांट कर हम आदमी रख सकते हैं बजाय इसके कि हम बाहर के किसी जज को या कलेक्टर को रखें। गांव के जो योग्य आदमी हों, बुड्ढे हों या कैरेक्टर के आदमी हों, जिनका मारल करेक्टर ऊंचा हो उनको भी हम रख सकते हैं। इसलिये इस तरीके से जज वगैरा यहां रख कर हाथ बांधना ठीक न होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलता रहूंगा क्योंकि राजा साहब ने प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया है, वह सवाल पूछना चाहते हैं। इस समय वह सवाल नहीं पूछ सकते जब तक मैं बोल रहा हूं। यह कोई इस वक्त क्वेश्चन आवर नहीं चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हमने अपने संविधान में भी जजों को सबसे ऊंचा स्थान दिया है और बहुत अधिक पावर दिया है इसलिये हम जजों को इस पालिटिक्स में घसीटना नहीं चाहते। उनका काम तो न्याय विभाग को देखना है; यह तो एक्जिक्यूटिव के कार्य हैं। हाईकोर्ट के और सुपरीम कोर्ट के जज तो हमारे कानून पर भी अपना फैसला दे सकते हैं इसलिये उनको घसीट कर

[श्री शिवनारायण]

कीचड़ वाली नाली में न लाना चाहिये। हम चाहते हैं कि सुन्दर कानून बने उसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ही रखा जाय और जिसको चाहें मौका देकर रख दिया जाय। डेमोक्रेसी की बात भी कही गई है। उसका नमूना तो सबको जाहिर है कि कानपुर में उस पार्टी के लोगों ने जो दिखाया है वह सबको विदित है और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि अपोजीशन को भी अपनी पोजीशन को मेनटेन करना चाहिये, महज गाल बजाने से ही काम नहीं चलता है। एफिशुअली काम करने की भी जरूरत होती है। हमारी सरकार ने जो कानून बनाया है वह बहुत सुन्दर है और यह संशोधन ठीक वैसा ही है कि जब हम जिलाधीश को पावर देना चाहते थे तो कह दिया कि जज को यह पावर दी जाय और पंचायत अफसर को उसका सेक्रेट्री बनाया जाय और जब हमने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रख दिया तो जजों की बात करने लगे। इस तरह से बेकार की बकवास से काम नहीं चलता है और मैं चाहता हूं कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि दूसरे सदस्य जो भाषण दें उसको क्या कोई माननीय सदस्य इस सदन में बकवास कह सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मुझे इस समय इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और इस संबंध में कोई प्रश्न भी नहीं उठाया गया था।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय शिवनारायण जी ने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि बकवास से काम नहीं चलता, यह उनको नहीं कहना चाहिये।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, उनको इसे वापस लेना चाहिये, यह शब्द अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जहां तक हो सके ऐसे शब्दों को एवायड करना चाहिये।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मदन मोहन उपाध्याय जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो न्याय पंचायतों के चुनाव करने का अधिकार मैजिस्ट्रेटों को दिया जा रहा है वह एक तरह से स्वतंत्रता का गला घोटा जा रहा है। आज जिस तरीके से इस पुस्तक में रखा गया है कि न्याय पंचायतें कैसे बनेंगी उनके या जो पहले की अदालती पंचायतें थीं उनके कामों के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि ये जो पचायतें बनाई जायेंगी उनसे आजकल की दुनिया में न्याय हो सकेगा यह हमको असम्भव मालूम हो रहा है। क्योंकि जो पंचायतें गांव-गांव में वोटों द्वारा चुनकर अदालती पंचायतें बनीं उनके सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं उन सबको अनुभव है कि उनका काम कैसा रहा है और ये न्याय पंचायतें कैसी थीं। बहुत से स्थानों पर तो उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि प्रतिज्ञा लेते हुये पंचायत के मेम्बरों ने प्रतिज्ञा की कि हम अन्याय करेंगे, उन्होंने न्याय के स्थान पर पढ़ा कि हम अन्याय करेंगे और ठीक है उसी तरह से शिकायतें भी रही हैं और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि देहातों में लोग आज न्याय पंचायतों से ऊब से गये हैं। गांव पंचायतें इसलिये बनाई गई थीं कि गांव में ही झगड़ों का निपटारा होगा और लोगों की अदालतों तक जाने में कमी पड़ेगी और लोगों की परेशानी कम होगी लेकिन आज उसके विपरीत हुआ। गांवों में परेशानी इतनी बढ़ गई है कि लोग उन पंचायतों से ऊब गये। उन पंचायतों में इस तरह से किया गया कि जो मुकदमे दाखिल होते हैं उनमें अच्छी तरह से न्याय नहीं पा रहे हैं। उन मुकदमों का फैसला जिस तरह से अदालतों में होता है कि दो चार आदमी आये और

झूठी बातों की गवाही दी, वह बात सही हो गई और उसी के मुताबिक फैसला हो गया। ठीक वही बात अदालती पंचायतों में होती है।

बहुत सी जगहों में तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बतलाऊं यह सुनने में आया और ऐसी शिकायतें रही हैं कि वहां के पंचायतों में जो न्याय होता था उसको बदल दिया जाता था। यह तो गांव के चुने हुये पंचायतों की हालत है। अब ये पंचायतें जो मैजिस्ट्रेटों द्वारा चुनी जायंगी वह कैसे कार्य करेंगी और क्या करेंगी इसका अन्दाजा माननीय सदस्य लगा सकते हैं। जो गांवों के चुने हुये प्रतिनिधि थे वे जानते थे कि वे जनता से चुन कर बैठे हुये हैं लेकिन पंचायतों में बैठ कर अन्याय करते थे अब यह जो अधिकारी जनता के चुने हुये न होकर अधिकारियों द्वारा चुने हुये होंगे वे किस तरह से न्याय करेंगे। इन सारी चीजों को देखते हुये मैं तो कहता हूं कि गांवों में एक-एक बात पर थोड़ा सा झगड़ा होने के बाद बैर साधने के लिये बहुत से १०७ के मुकदमे दाखिल हो जाते हैं। जहां से थोड़ी सी रिपोर्ट हुई वहीं से देखिये पचास आदमी, सौ आदमी, अदालतों में परेशान हो रहे हैं। तो यह हालत हमारे गांवों की और गांव पचायतों की है। अभी-अभी सदन के सामने हमारे जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कानपुर का जिक्र किया। उस जिक्र के सिलसिले में मैं आपके सामने बतला देना चाहता हूं कि १०७ का मुकदमा उस वक्त चलाया जाता है जब कि दो फरीकों में झगड़ा होने का अन्देशा हो। उस वक्त १०७ के मुकदमे की नोटिस दी जाय और उस नोटिस के बाद जब आदमी फिर किसी प्रकार अमनोअमान में दखल करे तो उसका मुचलका लिया जाता है। अगर वह मुचलका नहीं दाखिल करता है तब वह बन्द किया जाता है। लेकिन राजनारायण जी जेलखाने में बन्द थे.....।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उस मामले का यहां पर हवाला देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—मैं उसका हवाला नहीं दे रहा था। मैं बतला रहा था कि कलेक्टर द्वारा जो आदमी चुने जायंगे वह कैसे काम करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन गांवों के चुने हुये पंच जो अब एक नियत अधिकारी द्वारा चुने जायंगे वह कैसे न्याय करेंगे। वह तो सोचेंगे कि हम तो सरकार द्वारा चुने हुये पंच हैं, जैसे भी हो हमको न्याय करना है और जिस तरह से भी हो गांव के लोगों को फांसना है। उपाध्याय जी ने यह रक्खा है कि हर गांव के जो सभापति हों उनकी एक कमेटी बनायी जाय और पंचायत राज आफिसर उसका सेक्रेटरी बनाया जाय। और डिस्ट्रिक्ट जज उस कमेटी का चेयरमैन बन जाय। तब उस कमेटी के द्वारा न्याय पंचायत बनाई जाय। ऐसी हालत में गांव के जो सभापति होंगे वह गांव के प्रत्येक व्यक्तियों के विचारों से परिचित होंगे और यह भी जानते होंगे कि कौन-कौन लोग ईमानदार हैं। ऐसी एक नियत अधिकारी कमेटी बन जायगी इस तरह से ईमानदारी से फैसला करने वाले आदमियों को चुनेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं उपाध्याय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गौर से उपाध्याय जी के भाषण को सुना। उनके भाषण के भीतर मुझे ऐसी भावना दिखाई पड़ी जिससे मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि इसके अन्दर कुछ रोष और खफगी है जिसकी वजह से यह संशोधन आया है अन्यथा ऐसा अव्यावहारिक संशोधन कभी नहीं आता। आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को छोटा हिटलर बना दिया। कुछ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे हो सकते हैं जिनके विषय में व्यक्तिगत रूप से कुछ बुरी भावना हो सकती है लेकिन यह कह देना, उपाध्याय जी ऐसे जिम्मेदार आदमी की तरफ से कि सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जितने हैं; जिनकी संख्या हमारे जिले में कम से

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

कम ५१ तो हैं ही; सबके सब छोटे हिटलर हैं और बड़े गैर जिम्मेदार हैं और सभी बड़ा ग़लत काम कर रहे हैं, उनको नष्ट कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त गैर जिम्मेदारी की बात है।

रही बात यह कि यहां बारम्बार माननीय नेता विरोधी दल के मामले को इस मामले में घसीटने की कोशिश की गई और कानपुर के कांड का हवाला दिया गया। मैं कहना चाहता हूं अत्यन्त नम्रता के साथ और बड़े अदब के साथ कि यह घटना जो कानपुर में हुई है.....।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कह देना चाहता हूं कि उस घटना का यहां पर जिक्र न किया जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र-- मैं यह कह रहा था कि जो कानपुर में घटना हुई है वह ११ अप्रैल को पहले ही मिर्जापुर में हो गई होती। जब कि माननीय चरण सिंह वहां गये थे उनके साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो सलूक किया, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह घटना वहीं हो गई होती। जो उन्होंने वहां आचरण किया था मैं उसके ब्योरे में नहीं जाना चाहता। जिस प्रकार उन्होंने एक दूर शान्त बगीचे में बैठी हुई सभा पर एक भीड़ लेकर आक्रमण किया, माइक्रोफोन छीनने की कोशिश की और सभा के सर पर २० गज के फासले पर अपना माइक्रोफोन लगाकर बाधा उत्पन्न की। बराबर शान्ति भंग की अवस्था उत्पन्न की, यह काम ऐसा था कि वहां कोई घटना हो सकती थी, किन्तु चौधरी साहब की सहनशीलता से वह टल गयी।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से यह कह देना चाहता हूं कि इस घटना का इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री व्रज भूषण मिश्र-- क्योंकि यहां पर कानपुर का उल्लेख किया गया इसलिये कहना चाहता हूं। आपकी आज्ञा से नहीं कहूंगा। तो मैं कह रहा था कि मिर्जापुर का जो कांड हुआ उससे मैं समझता हूं कि श्री राजनारायण सिंह जी ने नसीहत कोई नहीं ली उसका नतीजा यह हुआ कि कानपुर में एक दुःखद स्थिति उनको भोगनी पड़ी। इसके बाद मैं संशोधन के विषय में कहता हूं। आपने कहा है कि वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बजाय जज साहब उसके चेयरमैन हों और वह कमेटी बनावें। हर गांव सभा में, जहां पंचों का चुनाव करना हो वहां के सब सभापति लिये जावें और वे लोग बैठ करके अपने हल्के के पंचों को चुना करें। इस प्रकार बराबर सिलसिला जारी रहे। सोचने की बात है कि हमारे सूबे में ३६,००० ग्राम सभायें हैं और अदालती पंचायतें करीब ८ हजार, ९ हजार के हैं तो इतनी ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिये इतनी सब कमेटीज बनें और रोज-रोज उनका संगठन हो और रोज-रोज चुनाव करें, यह कितना विलम्बकारी, अव्यावहारिक और खर्चीला कोर्स है। यह बिल्कुल एक ऐसी चीज है जिस पर अमल नहीं हो सकता। तो यह ऐसे क्यों थे और अव्यावहारिक सुझाव दिये हैं कि ये कदापि मानने लायक नहीं हैं। यह कहना कि जज साहब, जिनको आप कहते हैं, अच्छा ही अच्छा करेंगे ठीक नहीं उनमें भी ऐसे आदमी हो सकते हैं जो खराबी कर सकते हैं। तो यह कोई गारन्टी नहीं है कि जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सब खराब हैं और जज साहब आ जायेंगे तो अच्छा होगा और अच्छा चुनाव करेंगे यह बात ठीक नहीं है। हर काम उसूल से होना चाहिये। इसलिये मैं कहूंगा कि आपका जो संशोधन है अव्यावहारिक है और मानने लायक नहीं है। कोई कानून व्यक्तियों पर आधारित नहीं होना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय सदस्यों के भाषण हो चुके हैं। मैं चन्द बातें जो कि सुझाव के रूप में हैं इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गांवों की वस्तुस्थिति माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है और कानून की व्यवस्था जो इस सदन में बनायी जा रही है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बनायी जा रही है। हमें यह देखना है कि हमारे गांवों के विकास का स्तर कहां है और इस प्रकार स्तर को देखते हुए जो गांवों की आज नई व्यवस्था हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे ग्रामीण भाई कहां तक सहायक होंगे और किस हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन बातों को हम नजरअन्दाज कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि जिस कानून की व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं शायद वह हमारे गांवों के जीवन को व्यवस्थित रूप से विकास के पद पर आगे बढ़ाने में उतना सफल नहीं हो सकता जितना कि उसको होना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि जो यह मौजूदा प्राविजन है उसके अन्दर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का जिक्र अवश्य किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को केवल एक वैकुअम में हमें नहीं छोड़ना है, हमें रियलिटी के साथ ग्रेपिल करना है, अगर कोई मुश्किल बात इसमें है तो उसको अवश्य इस सदन में टेकिल किया जाना चाहिये और इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अवश्य डिफाइन कर देना चाहिये। अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की सही और सच्ची तस्वीर इस सदन में पहले रख दी गई होती तो आज इतने लम्बे-लम्बे वक्तव्यों की जरूरत कतई नहीं होती और मैं यह समझता हूं कि अगर इस मसले को ठीक से सही कर दिया गया तो जितनी अड़चनें आज हमें नजर आ रही हैं उतनी अवश्य हमें दिखाई नहीं देंगी।

इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्री महोदय और इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी सरकारी अहलकारान हैं, जिनका सम्पर्क गांवों की जनता से है उनको गांव पंचायतों के संगठन से कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग इसमें शक करते हैं और समझते हैं कि सरकार का इसमें बड़ा भारी इंटरेस्ट है और चाहते हैं कि गांवों की संस्थाओं का सफल संचालन हो, म उनसे एकमत नहीं रखता। इसलिये गांवों की संस्थाओं के उत्थान का और उनके विकास का उन लोगों के हवाले कर देना जिनकी सहानुभूति गांवों की जनता से नहीं है बल्कि जो गांवों की संस्थाओं को अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये और अपने इल गाटेन गेन्स के लिये एक अभिशाप समझते हैं, यह हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। जहां तक कि सरकारी अहलकारान का प्रश्न है मैं समझता हूं कि हम जो कोई भी मशीनरी गांवों की संस्थाओं को दृढ़ बनाने के लिये इस कानून के जरिये बनाना चाहते हैं उसमें नान-आफ़िशल्स का अधिक हाथ होना चाहिये और सरकारी नौकरों का बहुत कम हाथ उसमें होना चाहिये। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो कोई भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हो वह कोई सरकारी अहलकार जो कि जिले का हो, चाहे वह डिप्टी कमिश्नर साहब हों या उनके मातहत वाले कोई अफसर हों उनको नहीं होना चाहिये क्योंकि वे लोग ब्रिटिश कोर्ट आफ जस्टिस के सिस्टम से परिचित हैं जो कि एक एक्सप्लायटेशन का सिस्टम था और आज भी अगर हम उस सिस्टम को इस मुल्क में चालू रखते हैं या फिर से हम अपने गांवों में उस सिस्टम को लागू करते हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह सिस्टम हमारे गांवों के उत्थान के लिये या उनके विकास के लिये एक अभिशाप साबित होगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उस जमाने में खड़ी हुई थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों के बड़े-बड़े नेता जो पार्लियामेंट के मेम्बर थे उन्होंने इस बात की दलीलें दी हैं और तकरीरें की हैं कि ब्रिटिश सिस्टम आफ जस्टिस भारतवर्ष को तबाह किये डाल रहा है और वहां की जनता उससे त्राहि-त्राहि कर रही है। वे चाहते थे कि इस सिस्टम को इस मुल्क से हटा दिया जाय। जब कि उस जमाने में इस बात को महसूस किया जाता था तो मैं समझता

[चन्द्र सिंह रावत]

हूं कि आज वह समय आ गया है जब कि हमें उस कमी को दूर करना है। इसलिये गांवों के लिये जो कानून हम आज बनाने जा रहे हैं उसकी व्यवस्था इतनी सिम्पिल होनी चाहिये कि गांव के लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकें और उसके ऊपर अमल कर सकें। अगर इसकी दफायें इतनी काम्पलीकेटेड और इतनी टेढ़ी हैं कि उनका पढ़े लिखे लोग भी कई किस्म का इंटरप्रेटेशन लगायें तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे गांव की जनता का कोई फायदा नहीं हो सकता।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों की ओर से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा और मुझे कतई उसमें कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती क्योंकि मैं अपनी उस भावना से प्रेरित होकर कह रहा हूं जिससे गांवों का भला हो सकता है कि जहां तक हो सके गांवों के अन्दर इलेक्शन के जरिये ही इन संस्थाओं को रखने में गांवों की जिन्दगी का सुधार किया जा सकता है और जितने भी नामीनेटेड मेम्बर्स होंगे वह करप्शन का एक जरिया होंगे और जहां तक गांव के लोग आज तक इस करप्शन, बेईमानी और इस बीमारी से बचे हुये हैं वह भविष्य में इन सब बीमारियों के शिकार होने लगेंगे और गांव की जिन्दगी और ज्यादा करप्ट हो जायगी। जब गांव के पंचों को पता चलेगा कि उनका नामीनेशन पांच साल के लिये हुआ है और उन्हें कोई निकाल नहीं सकता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें विश्वास है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट्स को जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने बनाया था उसी प्रकार की प्रणाली से गांव का संगठन छिन्न-भिन्न हो जायगा और सरकार के प्रति जो रही-सही श्रद्धा गांवों में है वह मिट जायगी और इसके साथ ही साथ घूसखोरी का राज्य फैलने लगेगा।

मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय जिससे बेईमानों को प्रोत्साहन न मिल सके और उनके अन्दर यह विश्वास न हो कि बावजूद लोगों की नाराजगी के ५ साल तक वह जरूर रहेंगे और उनको कोई हटा नहीं सकता है। जहां वह घूसखोरी करना चाहते हैं वहां वह सरकारी अहलकारान को घी के कनस्तर घूस में देकर अपने को ५ साल तक कायम रखने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें सुधार हो जायगा अगर उनको यह विश्वास हो जायगा कि उनको लोगों के नाराज होने पर हटाया जा सकता है। जहां आज सैकड़ों शिकायतें माननीय मंत्री जी तक पहुंचती हैं कि घूसखोरी हो रही है वह सब दूर हो जायंगी। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें अवश्य इन सब झगड़ों को दूर रखते हुये, पार्टी पोलिटिक्स के नुक्तेनजर को अलग रखते हुये, केवल गांवों की विकास की भावना से प्रेरित होकर और गांवों के फायदे को दृष्टिकोण में रख कर, इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चालू रखने के लिये इस प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था करनी चाहिये जो बहुत ही सीधीसादी हो और गांव के लोग उसको आसानी से समझ सकें और उसको अमल में भी ला सकें और उससे कोई करप्शन करने में प्रोत्साहन न मिले और करप्शन की कोई गुंजायश न हो और उनके अन्दर विश्वास न हो कि वह बुरे तरीके से भी अपनी जगह पर कायम रह सकते हैं बावजूद गांव के लोग मैजारिटी में उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं, अभी बहुत कम बहस हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--बहस तो काफी हो चुकी है। प्रश्न यह है कि.....

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--प्वाइंट आफ आर्डर सर, कोई क्लोजर का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया है। श्रीमन्, ...

श्री उपाध्यक्ष--प्रस्ताव तो उपस्थित किया गया है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--५७

विपक्ष में--१३।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आर्ग्यूमेंट्स उधर से पेश किये गये हैं मेरे संशोधन के खिलाफ, मैं समझता हूं कि उनका जवाब देना मेरे लिये बहुत आवश्यक हो गया है। माननीय रामलखन जी ने सबसे पहले यह कहा कि साहब, डिस्ट्रिक्ट जज को डिस्ट्रिक्ट की पालिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, वह डिस्ट्रिक्ट की पालिटिक्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। इसीलिये तो हम चाहते थे कि पालिटिक्स वाले को नहीं होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो ऐसी पालिटिक्स जानता है कि चाहे जिसको लड़वा दे, चाहे जो करा दे।

श्री रामलखन मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पालिटिक्स का नाम नहीं लिया था डिस्ट्रिक्ट की जानकारी की बात कही थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--ठीक है, लेकिन जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है। जिस न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्दर वह नामजदगी करेगा वहां के लोगों की जानकारी वहां के ग्राम सभा के सभापति को होगी, वह बतायेगा, सरपंच बतायेगा, पंचायत राज इंस्पेक्टर्स बतायेंगे। जज तो यह देखेगा कि यह आदमी ठीक है या नहीं, न्याय कर सकता है या नहीं, अदालती काम कुछ चला सकता है या नहीं, इस बात का फैसला डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। तो यह कोई आर्गूमेंट नहीं है कि वह डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जानता नहीं इसलिये वह न रखा जाय। मैं यह भी कहता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रखा जाता है तो वह भी इलाके की खबर नहीं जानता, वह भी दूसरों से जानने की कोशिश करेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह तो कोई दलील इस बात की नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस्क्राइब्ड उप-अथारिटी के जरिये से ये जो नामिनेटेड पंच मुकर्रर किये जायंगे, हमारा पुराना तजुर्बा है, पिछली मर्तबा चुनाव हो रहा था, इसी हाउस का एलेक्शन था, उपाध्यक्ष महोदय, इन सरपंचों से लोगों ने जा जाकर यह कहा कि तुम तो सरकारी अफसर हो, तुम तो सरपंच हो, सरकार के अफसर हो, तुम्हें तो कांग्रेस को वोट देना ही पड़ेगा। तो यह तो तब कहा जब कि एलेक्टेड थे वह और अब जब कि एलेक्टेड निकाल कर नामिनेटेड होंगे, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये से पंचों की नामजदगी होगी तब तो फिर पंचायत राज इंसपेक्टर्स की पूरी बादशाहत हो गई। वह जाकर उनसे कहेंगे कि साहब, देखिये फलां अफसर ने आपको मुकर्रर किया है, अब तो आप बिल्कुल सरकारी आदमी हो। अगर वोट का प्रश्न आयेगा तो वह उनसे कहेंगे कि तुम फलां आदमी को वोट दो। हमारा तो यह ऐसा तजुर्बा कहता है कि

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

यह जो पंचायत राज इंसपेक्टर्स हैं वह और जिले के अन्दर सत्यानाश करते हैं इन पंचायतों का। यह कभी ग्राम सभाओं में नहीं जाते हैं, और जगह जाते होंगे, मुझे दूसरी जगहों का तजुर्बा नहीं है, पर मेरे जिले के अन्दर जो पंचायत राज इंसपेक्टर्स हैं, उनका काम यह है कि अदालती पंचायत जब बैठती है तो उसके पास बैठे रहते हैं। ग्राम सभाओं में वह नहीं जाते हैं। ग्राम के विकास में इन्हें ज्यादा इन्टरेस्ट नहीं है। इनका तो इसी में इन्टरेस्ट होता है कि गांव पंचायत में कोई मुकदमा हुआ तो किसे सजा करायें और किसे छुड़ायें। यह भी हमारा तजुर्बा है कि पंचायत राज इंस्पेक्टरों को एक मौका और मिल जायगा अगर इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या और किसी अधिकारी को प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मुकर्रर किया जायगा और जो जनता के लिए कहा जाता है कि अब उसको स्वराज्य मिल गया है, यह तो तुम्हारा राज्य हो गया है, यह राज्य उसका न रह कर प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी का राज्य हो जायगा।

माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने जो मेरा मकसद था उसको ज्यादा साफ किया कि अगर प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी की डेफीनीशन हो जाती तो पता चल जाता कि प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी कौन होगा। हमें शक है इस बात का कि यहां पर जो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी लिखा गया है, हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही हो। हमारे इस सदन में कांग्रेस का बहुमत है। तो कहीं ऐसा ही न हो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही लाकर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रख दिया जाय। हमें इस बात का शक है।

जहां तक माननीय शिवनारायण जी का सवाल है मुझे यह कहने में बड़ा दुःख होता है कि उन्होंने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जज का नाम सुना और जज पर ही कहते रहे। कहने लगे कि बकवास हो रही है। जैसे वह बकवास करते हैं वैसे दूसरों के लिये समझते हैं कि बकवास करते हैं। लेकिन मैं उनके रास्ते में रोड़ा नहीं डालना चाहता। वह किसी उम्मीद में हैं। उनकी वह उम्मीद कायम रहे और उनको मिलेगी । इन्तजार का फायदा मिलता ही है। इसलिये मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह देना चाहता हूं। माननीय मिश्र जी ने बेबुनियाद और न मालूम कितने इसी प्रकार के शब्द कह डाले इस संशोधन पर, वे शब्द मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कह डाली जिसकी तलाश में ही मैं था। हम सोच रहे थे कि राजनारायण जी को तंग करने का क्या कारण है। क्यों राजनारायण जी को जेल में बिना किसी अपराध के बन्द किया जा रहा है? अब पता चला जब कि माननीय मिश्र जी ने कहा कि मिर्जापुर में माननीय राजनारायण जी की और माननीय चरणसिंह जी की लड़ाई हो गयी थी। वहां पर माननीय चरण सिंह जी की नहीं चली। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इसका जिक्र उन्होंने कर दिया इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने तो उनको भी मना कर दिया था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--पाप तो खुल ही जाता है। अब पता लगा कि माननीय राजनारायण जी को क्यों तंग किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि माननीय चरणसिंह...

श्री उपाध्यक्ष--यह बात नामुनासिब होगी। इस पर माननीय सदस्य कुछ न कहें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जो कुछ और बातें माननीय ब्रजभूषण जी ने कहीं मेरी समझ में नहीं आयी कि कैसे इस पर नहीं लागू हो सकता। उन्होंने कोई आर्गूमेंट नहीं दिया। यह तो कह दिया यह तो लगता ही नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कोई व्यक्ति होगा। जब डेफिनीशन होगी जब रूल्स बनेंगे तो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी किसी को बनाया ही जायगा। मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि रूल्स में यह बात रखी जाय, कि प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी क्या चीज है कम से कम जहां तक गांव पंचायतों में मेम्बरों को नामिनेट करने का सवाल है उस मौके पर प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी को हटा दिया जाय। मैं तो प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी की डेफिनीशन भी नहीं चाहता। मैं तो इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को हटाना ही चाहता हूं। इसकी जगह में चाहता हूं कि एक कमेटी रखी जाय जिसके चेयरमैन जज हों, जिसका सेक्रेटरी पंचायत राज इंस्पेक्टर हो और जिसके मेम्बर गांव सभाओं के सभापति हों।

माननीय शिवनारायण जी का भाषण डेमोक्रेसी पर भी सुन लिया। मैं कहता हूं कि यही डेमोक्रेसी है। असली यही जड़ है जहां से डेमोक्रेसी पनपने वाली है। जो हमें वोट देने वाले हैं, जिनकी हम यहां पर सेवा करने आये हैं जिस जनता ने हमें यहां भेजा है कि हम कानून बनायें, उसी जनता को हम उसके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। यही डेमोक्रेसी है? हम ऐसे अधिकार नहीं देना चाहते कि जिन्होंने हमको यहां छांटकर भेज दिया उस जनता के अधिकारों पर हम आक्षेप करें। एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी वाला यह कह दे कि हम जो यह छांट रहे हैं उसको आपके लिये छांट रहे हैं। यह आपके मुकदमों का फैसला करेगा। यह हमारे प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के बिल्कुल खिलाफ है और मैं तो चाहता हूं कि यह हट जाना चाहिये और अगर नहीं हटता तो वहां ऐसे लोग होने चाहिये जिन पर किसी राजनीति का असर न हो, पोलिटिक्स पर जिनका कोई असर न हो। वे ही लोग उनको मुकर्रर कर सकते हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी, जिनको मैंने अभी तक सुना नहीं, इनको सुनने के बाद जो उचित बात होगी वह कहेंगे और जो उचित होगा वह स्वीकार करेंगे।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जितनी बहस हुई, उसमें बहुत सा तो इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। मैं इस समय यह मुनासिब नहीं समझता कि जबकि एक संशोधन पर विचार हो रहा हो, किसी एक ऐसे प्रश्न को लाया जाय और उसको तय करना कि वह सही हो रहा है या गलत, जबकि उस पर बहस नहीं है और जबकि न कोई उसका नोटिस है और न उसके हक में या उसके खिलाफ कोई अवसर है। ऐसी जगह या नाम लेकर कुछ कहना मुझे ग़लत मालूम होता है और इसलिये मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। उसका सही अवसर होगा, जब वह मामला आये, जब उस पर विचार हो और जो उसके हक में या खिलाफ फैसला हो। इसलिये राजनारायण जी का या कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का नाम लेना मैं बिल्कुल गलत समझता हूं और न मैं इसके सम्बन्ध में कोई राय देना चाहता हूं या जिक्र करना चाहता हूं, या यह समझता हूं कि इसमें जो राजनारायण जी का या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का नाम लिया गया....

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मिर्जापुर के बारे में क्या ख़याल है?

श्री मोहनलाल गौतम--मिर्जापुर का तो एक खास वाक़या था, उसके सम्बन्ध में जो कहा गया और उसी के कांटिनुएशन में जो ग़लती चली जा रही है, जो इससे सम्बन्ध नहीं रखती, उन बातों पर मैं अपने विचार इस समय प्रकट करना नहीं चाहता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

अब बहुत से डेमोक्रेसी के और दूसरे सिद्धान्त कहे गये। इस वक्त जबकि परिवर्तन का संशोधन माननीय विष्णुदयाल जी का था, उसमें एक सिद्धान्त की बात थी कि न्याय पंचायत के पंच नामजद हों या चुने जायं। चुने जायं तो प्रतिनिधियों द्वारा चुने जायं। वह एक सिद्धान्त की बात हो सकती थी। लेकिन अब सिद्धान्त की बात कोई नहीं। सवाल यह है कि नामजद भी किये जायं, अप्वाइंट किये जायं, सेलेक्ट किये जायं, लेकिन कौन करे, यह बहस है। इसलिये जितनी सिद्धान्त वगैरा, या डेमोक्रेसी की बातें कही गईं वह भी इस समय बेकार है और उनका उत्तर देने की भी मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अब प्रश्न यह है कि जो मदनमोहन जी ने एक प्रेस्क्राइब्ड को डिफाइन करने की कोशिश की है वह क्या है :

"a committee consisting of the (*a*) District Judge who shall be the Chairman of the Committee, (*b*) District Panchayat Raj Officer as Secretary (*c*) all the Pradhans of the Gaon Sabhas of the area of the Nyaya Panchayat, as members."

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने सरकारी अफसरों की बुराई की, उन्होंने खुद ही अपने आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अफसर को सेक्रेटरी बना कर उसका जवाब दे दिया और उन पर विश्वास प्रकट करके कह दिया कि जितनी उन्होंने दलीलें दी थीं वह सब बेकार थीं। इंसपेक्टरों की बुराई की गयी। हो सकता था कि किसी खास क्षेत्र की जलवायु ऐसी हो कि वहां के रहने वालों पर कोई खास असर पड़ता हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि पंचायत राज अफसर सिर्फ न्याय पंचायतों पर बैठ कर ही अपना काम नहीं करते। उनको और बहुत से काम करने पड़ते हैं, उनकी रिपोर्टें आती हैं, और जब सेक्रेटरी होगा तो वह इस्पेक्टरों की बात मानेगा ही। तो जितनी बातें इंस्पेक्टरों वगैरह की कही गयीं उनका जवाब स्वयं दे दिया गया और उसके अलावा जो बातें कही गयीं वह बहस के तौर पर कह रहे हैं।

तो इसमें ये चीजें जो इधर-उधर की हैं। असल सवाल यह है कि जो कमेटी माननीय उपाध्याय जी ने इसमें बनायी है उसका क्या रूप है। उसका रूप यह है कि अगर ८,४०० न्याय पंचायतें हैं तो उसके अनुसार ८,४०० कमेटियां अलग-अलग हुईं और हर गांव सभा का सभापति उसका मेम्बर होगा। अगर ६५, ७० या ७५ हजार गांव सभायें हों तो ६५ हजार गांव सभाओं के सभापति इन ८,४०० प्रेस्क्राइब्ड अथारिटीज की सिलेक्शन कमेटी के मेम्बर होंगे। अब अन्दाजा कीजिये कि जब जब वेकेन्सी होगी तब तब यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बैठेगी और ये ६५,००० आदमियों की ८,४०० कमेटीज जो होंगी वे समय समय पर बैठा करेंगी। इसका हिसाब लगाइये कि इसमें क्या खर्च बैठेगा। एक न्याय पंचायत के लिये एक कमेटी हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत आफिसर सेक्रेटरी हैं और जितने सभापति हैं, वे मेम्बर हैं। जब उन्होंने न्याय पंचायतों को चुन लिया तो वह कमेटी खत्म हो गई और दूसरी कमेटी शुरू हुई जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज्य आफिसर सेक्रेटरी हैं और सब सभापति मेम्बर्स हैं। अगर न्याय पंचायतों में १५ से २५ तक मेम्बर रक्खे जायं तो जब कभी कोई वेकेन्सी होगी तो सब सभापति आया करेंगे और उन सबको भत्ता मिला करेगा। हम अन्दाजा नहीं कर सकते कि जितना बजट पंचायत राज्य को मिलेगा वह सब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के भत्ते में ही समाप्त हो जायगा या कुछ बाकी भी रहेगा। इतने ग़लत तरीके का यह सुझाव है जिसको मैं नहीं समझ सकता। इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय उपाध्याय जी इसको वापस ले लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैंने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की कोई परिभाषा नहीं है की है। जहां तक पंचों के मुकर्रर करने का सवाल है उसी ख्याल से मैंने इस संशोधन को रक्खा है। माननीय मंत्री जी यह ग़लत समझे कि मैंने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को कोई परिभाषा की है। ५ पंचों को मुकर्रर करने के लिये यह कमेटी बनेगी; फिर वह खत्म हो जायगी।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं नहीं समझता कि मैंने समझने में कोई ग़लती की है। ये लोग चुन लिये जायंगे यह ठीक है लेकिन जब कोई वेकेन्सी होगी तो ८,४०० न्याय-पंचायतों में जो २०-२० या २५-२५ आदमी होंगे जो दो लाख से ज्यादा होंगे, जो सदस्य होंगे न्याय पंचायतों के, उनकी मीटिंग्स हुआ करेंगी और उसमें डिस्ट्रिक्ट जज चेयरमैन होगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज्य आफिसर सेक्रेटरी और उस क्षेत्र की ग्राम सभाओं के सभापति उसके सदस्य होंगे। ये सब बैठ कर उस वेकेन्सी के लिये फिर मेम्बर चुनेंगे। लिहाजा मैं ग़लत नहीं समझा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12-A में शब्द "Prescribed authority" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

"a committee consisting of the (*a*) District Judge who shall be the Chairman of the Committee, (*b*) District Panchayat Raj Officer as Secretary, (*c*) all the Pradhans of the Gaon Sabhas of the area of the Nyaya Panchayat, as members."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

* **महाराजकुमार बालेन्दुशाह**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन को इस संशोधित रूप में पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ के अन्तर्गत 12-A के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय—

12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after those persons elected by the Gaon Sabha have from amongst themselves elected five persons or such lesser number as aforeasid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat.

***श्री मोहनलाल गौतम**—यह संशोधन इतना लम्बा है कि मेरी समझ में अभी नहीं आया है, इसलिये मेरे लिये उस पर राय देना कठिन होगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं उसकी कापी आपके पास भेज देता हूं। जहां तक इस संशोधन का तात्पर्य है उसमें और जो माननीय मंत्री महोदय ने इस धारा में प्राविजन कर रखा है उसमें दो विशेष अन्तर हैं। माननीय मंत्री महोदय की इच्छा यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा न्याय पंच की नियुक्ति हो। उसमें मैंने आपत्ति उठायी है और मैंने यह सुझाव पेश किया है कि बजाय प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा इनकी नियुक्ति करने से यह उचित होगा कि जिन सदस्यों को गांव सभा में न्याय पंचायत के लिये छूट हो वह स्वयं आपस में बैठकर पंचों का चुनाव करें यानी जैसा कि मंत्री महोदय के विचार के अनुसार एलेक्शन हो रहा है तो मेरा सुझाव यह है कि उस एलेक्शन से इन्डाइरेक्ट एलेक्शन किया जाय।

दूसरा अन्तर यह है कि वह एक कंप्रोमाइज की शक्ल माननीय मंत्री महोदय के सामने रखी है क्योंकि मंत्री महोदय अभी तक पंचायत राज के सम्बन्ध में उतना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिये कि माननीय मंत्री महोदय बराबर यह कहते हैं कि अभी तक आम जनता इस योग्य नहीं है कि उनके हाथ में उनके चुनाव को छोड़ दिया जाय । मेरी राय में अगर उनके चुनाव को उनके हाथ में छोड़ दिया जाय तो सम्भवतः वह पूरे मेम्बर चुने जा सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और इस क्रम में जो दलील होगी वह बेकार होगी।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--यदि माननीय मंत्री महोदय ने इसको नहीं कहा है तो मैं उसको वापस लेता हूं। किन्तु इस विधेयक को पढ़ कर यह स्पष्ट होता है कि माननीय मंत्री महोदय को आम जनता पर भरोसा नहीं है। यहां पर मैंने यह कम्प्रोमाइज का फार्मूला पेश किया है और मेरी यह मंशा है कि यदि किसी कारण मंत्री महोदय या उनका विभाग .....

श्री शिवनारायण--प्वाइन्ट आफ आर्डर, नम्बर ४६ पर श्री विष्णुदयाल जी का जो संशोधन है वह बिल्कुल ऐसा ही है।

श्री उपाध्यक्ष--वह तो मंजूर नहीं हुआ है।

श्री शिवनारायण--वह तो वैसा ही है और अभी पेश भी नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं यह सब्स्टीटयूशन के लिये प्रस्ताव है।

श्री शिवनारायण--दोबारा किस तरह पेश हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष--इतना ही नहीं है। दूसरी चीज भी रखने के लिये यह है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--माननीय शिवनारायण जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है उसका सूक्ष्म उत्तर देने की मैं आवश्यकता समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--जैसा मैं कह रहा था मेरे सुझाव में एक कम्प्रोमाईज फार्मूला पेश किया गया है जो कि श्री तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन में नहीं है वह यह कि जिन पंचों का चुनाव गांव सभा से नियुक्त गांव पंचायत करे उसको माननीय मंत्री महोदय की प्रेस्क्राइब्ड अथोरिटी कनफर्म और एप्रूव करे तब चुनाव माना जाय। इसलिये मैं माननीय शिवनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आराम से बैठें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि प्रश्न केवल एक ही है और वह है सिद्धान्त का और वह यह कि उनकी नियुक्ति हो या चुनाव द्वारा पंच बनाये जायं। मैं यह मानता हूं कि जो संशोधन माननीय उपाध्याय जी ने पेश किया है वह एक जरिया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी किस तरह की बने। इतना उसमें भी है कि नियुक्ति की प्रथा अपनायी जायगी। मैं समझता हूं कि उससे अधिक अन्तर नहीं आता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त करे या डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त करे या पंचायत आफिसर नियुक्त कराये या चाहे माननीय मंत्री जी ही स्वयं नियुक्त क्यों न करें, मैं समझता हूं सब एक ही श्रेणी के हैं। प्रश्न यह है कि सिद्धान्त रूप में से पंचों की नियुक्ति होना उचित है या अनुचित या सिद्धान्त रूप से चुनाव होना उचित है

या अनुचित। मेरा जहां तक मत है मैं इस दृढ़ विश्वास का हूं कि यदि पंचायत राज सफल बनाने की वास्तविक कोशिश है और यदि यह इच्छा है कि जनता में पंचायत राज जैसा एक इस्टीट्यूशन बने तो उसके बीच में कोई ऐसी चीज न होनी चाहिये जो सरकार द्वारा थोपी जाय। मैं तो यह मानता हूं कि जनता को पूर्ण रूप से अधिकार देने चाहिये और अगर यह संभव न हो सके तो जितना भी हो सके कम रिजर्वेशन के साथ उसको वे अधिकार दिये जाने चाहिये। जहां तक पंचायत राज का सम्बन्ध है माननीय मंत्री जी को जहां तक हो सके अधिक से अधिक अधिकार जनता को देने चाहिये ताकि जनता उसमें भाग ले सके और जनता का यह इंस्टीट्यूशन सफल हो।

पंचों के चुनाव के सम्बन्ध में एक बात मुख्य रूप से और हमेशा कही जाती है और हमेशा एक ही दलील दी जाती है कि कहीं भी यह प्रथा नहीं पायी जाती है कि पंच अथवा जुडिशियरी इलेक्टेड हो। बहुत कुछ हद तक यह बात सही है। मन्त्री महोदय को मालूम है कि हाईकोर्ट आफ पार्लियामेंट है, हालांकि उसकी बैठक कभी कभी होती है, वह इलेक्टेड बाडी है। लेकिन वह इलेक्टेड बाडी होने के बावजूद भी जुडिशयरी का हाइएस्ट अंग माना जाता है मगर इसके होते हुए भी मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि जहां तक हो सके जुडीशियरी इलेक्टेड नहीं होनी चाहिये। इस बात का जिक्र करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मैं अपने ही विरुद्ध बात कह रहा हूं। किन्तु मैं समझता हूं कि यह बात नहीं है और जुडीशियरी के एक्ट न होने का एक ही मुख्य कारण है और वह यह है कि जो व्यक्ति कल एक लिटिगेंट की हैसियत से उस जुडिशियरी के सामने जायेगा उस व्यक्ति का चुना हुआ वह पंच न हो। यानी जहां तक हो सके सम्भावना को बचाया जाय कि कल उसी पंच के सामने वही व्यक्ति एक लिटिगेंट की सूरत में आवे। जो सुझाव मैंने माननीय मंत्री महोदय के सामने रखा है उससे यह सम्भावना बहुत हद तक दूर हो जाती है। मेरे सुझाव के अनुसार केवल मात्र ३० या ३५ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके द्वारा पंचों का चुनाव होगा। हो सकता है कि इनका मामला इन पंचों के सामने आवे और ऐसी अवस्था में जो कहा जाता है कि उसके खिलाफ वे जायं, किन्तु मैं समझता हूं कि अगर ३० या ३५ व्यक्तियों के मामले के आने की सम्भावना के कारण आदि हम इस नियुक्ति के सिद्धांत को अपनायें तो वह एक बहुत ही गलत बात है। जहां तक मैं देख सकता हूं इन डाइरेक्ट एलेक्शन के द्वारा पंचों का चुनाव करने से न केवल जनता का उन पंचों के ऊपर विश्वास होगा बल्कि साथ ही साथ वह दुष्टपरिणाम भी दूर हो जायगा जो कि एक नामिनेटेड व्यक्ति और इस जनतांत्रिक राज्य द्वारा छांटे हुए लोगों के बीच में काम कराने की चेष्टा की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमारा यह भी कहना आवश्यक है कि यदि मंत्री महोदय मेरे इस कम्प्रोमाइज फार्मूले को नहीं मानेंगे क्योंकि इसको मानने न मानने को तो उनको अधिकार है, हमें केवल सुझाव देने का ही अधिकार है। तो मैं यह कहता हूं कि यदि मंत्री महोदय इस फार्मूले को स्वीकार करते हैं तो जहां तक मैं देख सकता हूं उससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि मंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्ति करने के लिए कोई विशेष कारण है। एक कारण जो मैंने कहा कि एलेक्शन के खिलाफ बारम्बार कहा जाता है और केवल यही कारण है कि यह संशोधन आया और एलेक्शन की बुराई बतलायी गयी। जुडिशिअरी का एलेक्ट होना ठीक नहीं है इसका कोई कारण नहीं बतलाया गया है। एक और कारण बतलाया गया है कि यदि उनको यह अधिकार दे दिया जाय तो सम्भव है कि अनुचित व्यक्ति पंच बन जाय। तो जो मैंने मंत्री महोदय की सेवा में कम्प्रोमाइज संशोधन प्रस्तुत किया है उससे ये दोनों आपत्तियां दूर होती हैं। जुडिशिअरी का एलेक्ट होना तो मैं मानता हूं कि अनुचित है किन्तु जिस रूप में अब पंच गण एलेक्ट होंगे उस रूप में जुडिशियरी के एलेक्ट होने की बुराई दूर हो जाय और जहां तक सम्भव है बुरे लोग पंचों में से छट जायं। यह अधिकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में देने से जो पंचों के चुनाव में माननीय मंत्री महोदय को प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है वह इस कम्प्रोमाइज फार्मूले से काफी हद तक हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

[श्री राजकुमार बालेन्दुशाह]

माननीय मदन मोहन जी के संशोधन का विरोध करते हुए किसी व्यक्ति ने अपने भाषण में कहा कि हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि जहां तक हो सके जजेज को पोलिटिक्स से दूर रखा जाय। मैं नहीं समझ पाया कि यह किस आधार पर उन्होंने कहा। क्या इससे मैं यह समझूं कि पंचायत राज को पोलिटिक्स का एक षडयंत्र बनाया जा रहा है? मैं तो समझता था कि पंचायत राज और राजनीति इन दोनों का कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है। किन्तु एक सदस्य का और एक ट्रेजरी बैंक के सदस्य का ऐसा कहना कि जजों को पंचायत राज को पालिटिक्स से दूर रखना चाहिए, इससे प्रतीत होता है कि इसमें भी पालिटिक्स की बात है। यदि इस समय नहीं तो भविष्य में इसको राजनीति का एक षडयंत्र बनाने का जरिया रखा गया है। हालांकि मैं ऐसा विश्वास नहीं करता और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय ने जब से इस विभाग को अपने हाथ में लिया है उस समय से ही उनका यह मुख्य कर्त्तव्य और सिद्धांत है कि जहां तक हो सके पंचायत राज को एक जनप्रिय संस्था और इन्सटीट्यूशन बनाया जाय। इसको जनप्रिय बनाने के सम्बन्ध में कई भावनायें हो सकती हैं। मैं एक भावना से ही प्रेरित होकर कुछ कह रहा हूं और सम्भव है कि मंत्री जी मेरे विचार से सहमत न हों किन्तु यह कहना कि जनतंत्र राज्य में जनता से यह आशा करना कि वह मंत्रों को नियुक्त करके उन पर विश्वास करेगी, मैं समझता हूं कि यह भूल की बात होगी।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ उस बात की भी चर्चा करूंगा कि हम इन न्याय पंचायतों से क्या आशा करते हैं। यहां भी दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय के सामने एक तुच्छ व्यक्ति हूं परन्तु मैं इस सम्बन्ध में भी मैं उन से अलग विचार रखता हूं। मंत्री जी के विधेयक को पढ़ते समय यह अवश्य प्रतीत हो जाता है कि जहां तक न्याय पंचायतों का सम्बन्ध है मंत्री महोदय उनको न्याय की विभिन्न शाखाओं का एक अंग समझते हैं यानी जैसे एक सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाईकोर्ट है और जिस प्रकार सीढ़ी बसीढ़ी कोर्ट आफ जूडीकेचर होता है उसी तरह से मंत्री महोदय ने इन पंचायतों को ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का अंग माना है। हो सकता है कि उनका विचार सही हो और यह भी सही हो कि मंत्री महोदय अपने पिछले तीन या चार साल के अनुभव के अनुसार यह विधेयक लाये हों और मेरा अनुभव पूर्ण प्रदेश के सम्बन्ध में कम हो

(इस समय ४ बजे माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

परन्तु जो कुछ भी मेरा अनुभव है उसका भी इस सदन में जिक्र कर देना उचित बात समझता हूं किन्तु इस विषय में मैं यदि घमंड से नहीं तो गौरव से कहता हूं कि सूबे में पंचायतराज के शासन की जो प्रणाली चलायी गयी उससे पहले ही टेहरी गढ़वाल में पंचायत राज चलाया गया था और हालांकि जैसा कि होता ही है उस समय के वातावरण में और इस समय के वातावरण में बहुत अन्तर है फिर भी मैं इतना जिक्र तो कर देना चाहता हूं कि वहां की न्याय पंचायतों की जो भावना थी और जो आइडियल या आदर्श था उससे इस विधेयक की जो भावना है वह बिलकुल विभिन्न है इतना तो कहा ही जा सकता है। मेरा विश्वास है कि यह पंचायत राज की न्याय पंचायतें कोई कोर्ट नहीं हैं कचहरी नहीं हैं। वह तो ऐसी संस्थायें हैं जहां पर दो व्यक्ति चाहे भाई-भाई ही क्यों न हों, अगर उनमें झगड़ा हो जाय तो वह जा कर फैसला नहीं मांगते। वह चाहते हैं कि वहां समझौता, राजीनामा या कम्प्रोमाइज हो जाय, चाहे वह क़ानून के अनुसार गलत ही क्यों न हों, वह एक रेडी एन्ड रफ फैसला चाहते हैं चाहे वह कैसा भी हो लेकिन दोनों को सन्तुष्ट करने वाला हो। जो रीति मंत्री महोदय ने इसमें अपनायी है जिसके अनुसार फार्मेलिटीज आफ कोर्ट पोरोज्योर अपनाया गया है, जिसके अनुसार राइट आफ अपील दी गयी है उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कुछ दिनों पश्चात्, कल नहीं, साल भर पश्चात् नहीं, १० साल पश्चात् यह न्याय पंचायतें मंत्री महोदय के हाथ से निकल कर माननीय न्याय मंत्री के हाथ में दे दी जायेंगी और मैं समझता हूं यदि ऐसा होगा तो यह पंचायत राज्य के हित

के लिये बहुत बुरी बात होगी। मेरा तो यह विश्वास है कि न्याय पंचायत पंचायत राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है और न्याय पंचायतों से यह आशा करना कि जिस रफ्तार से हम यहां कानून बनाते जाते हैं और उन कानूनों का वहां वे इंटरप्रिटेशन करें या उन कानूनों के प्रसीज्योर में फंसकर ऐकेडेमिक और लिटरेरी जजमेंट दे यह हमारी तरफ से मूर्खता होगी। बारम्बार मेरी यही सिफारिश होगी कि हमारा यह कहना और यह सोचना अनुचित होगा कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह पंच बनने के योग्य नहीं है। पढ़ना और जनता का विश्वास प्राप्त होना यह दोनों बातें ऐसी नहीं हैं जो साथ-साथ नहीं पायी जा सकतीं। यह कुछ हद तक पाया जाता है कि व्यक्ति पढ़ा न हो फिर भी जनता पूर्ण रूप से अन्धविश्वास तक करने के लिये तैयार हो। ऐसा व्यक्ति मैं पूछता हूं कि जिस रूप से न्याय पंचायत की प्रणाली बनी है अनपढ़ा हो किन्तु जनप्रिय, जनता का विश्वास प्राप्त व्यक्ति न्याय पंचायत से वंचित रखा जाय, जानबूझकर नहीं किन्तु एक ऐसी रीति अपनाकर जिसकी वजह से उसका वहां आना असम्भव हो जाय मैं समझता हूं गलत है।

मैं अब अधिक न कह कर यह आशा करता हूं कि मैंने जो कम्प्रोमाइज का सजेशन दिया है उसको स्वीकार करेंगे लेकिन मुझे शुबहा है कि मंत्री महोदय के कुछ विशेष कारण हैं जिससे वह चाहेंगे कि वह स्वीकार न किया जाय। मैं नहीं जानता कि ये कारण क्या हैं। हो सकता है कि उनकी बात वजनी हो तो भी मैं कहूंगा कि वे कारण इतने वजनी कभी नहीं हो सकते जितना भार मंत्री महोदय ने लिया है कि पंचायत राज को जनता का एक इंस्टीट्यूशन बनायें न कि सरकार द्वारा जनता के बीच एक इंस्टीट्यूशन रखा गया हो जिसको जनता चाहे माने या न माने जनता को मानना ही पड़ेगा।

*श्री सुरेश प्रकाश सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भवन के सामने उपस्थित संशोधन के समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त था कि सरकार द्वारा बैठायी गयी कमेटी जिसमें रिपोर्ट इस अमेंडिंग बिल पर दी थी उसमें मैं हूं और करीब साल भर से नैनीताल से मैं इस सेलेक्शन और एलेक्शन के चक्कर में था और मुझे कोई सल्यूशन न मिल रहा था। पंचायत राज के आलोचक जितने थे उनका यह कहना था कि जुडीशियरी एलेक्टेड नहीं होनी चाहिए और अगर कोई चीज पंचायत राज्य में एलेक्टेट न हो और हर चीज एप्वाइंटेड हो तो वह पंचायत राज्य की जान निकाल देता था, पंचायतराज कुछ रह नहीं जाता था और इसी चक्कर में हम लोग पड़े हुए थे और सल्यूशन निकालना चाहते थे। सरकार ने उन आलोचकों के प्वाइन्ट्स को कुछ मीट करना चाहा और एक प्रकार का कम्प्रोमाइज सामने रक्खा गया कि यह सेलेक्शन और एलेक्शन दोनों इसमें हो जाय और यह किया गया कि ३५ आदमी या ४० आदमी जितनों की गांव पंचायत में आवश्यकता हो उनसे ५ आदमी अधिक चुने जायं और उसके प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनका एप्वाइन्टमेंट करे। मुझे खेद है श्रीमन्, कि उस समय जबकि यह लिखा हुआ था कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगी और वह ३५ आदमियों में से ५ को एप्वाइन्ट करेगा, उस वक्त हमारे सामने एक स्पष्ट चीज थी। हो सकता था कि भवन इसको पसन्द न करता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार क्यों दिया गया परन्तु एक स्पष्ट चीज हमारे सामने थी। अब श्रीमन् दूसरे रूप में यह विधेयक हमारे सामने आया है जिसमें एक स्पष्ट चीज को निकाल कर एक अस्पष्ट चीज को सामने लाया गया है कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी उनको एप्वाइन्ट करेगी।

श्रीमन्, मुझे आपत्ति यह है कि मैं यह नहीं समझ सका कि आखिर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आखिर कौन होगी, कहां से आयेगी और वह कौन सी चिड़िया है और वह किस आसमान से आयेगी। या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी या एस०डी०ओ० हो,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

तहसीलदार हो और ईश्वर न करे कि कहीं थानेदार साहब हो जायं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कोई भी इनमें से प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी हो उसको इस बात की कैसे जानकारी हो सकती है कि इस गांव के सुरेश प्रकाश सिंह किस तरह के आदमी हैं। यह बात उनको कैसे मालूम हो सकती है ? इसके लिये अनिवार्य हो जाता है श्रीमन्, कि किसी से वह सलाह-मश्विरा करें। अगर किसी एम० एल० ए० से सलाह-मश्विरा करते हैं तो यह उचित नहीं मालूम होता है, अगर अपने दोस्तों से सलाह-मश्विरा करते हैं तो वह भी उचित नहीं मालूम होता इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि एस०डी०ओ० साहब तहसीलदार साहब से रिपोर्ट मांगें और फिर तहसीलदार साहब थानेदार साहब से रिपोर्ट मांगें कि इन ३५ आदमियों में कौन से ५ आदमी भले हैं।

अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी बात और भी अनुचित हो सकती है। वह यह है कि हम लोग परेशान किये जाते हैं कि साहब चलिये आप सिफारिश कर दीजिये चलकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब से वर्ना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब क्या जानेंगे कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। उनको क्या मालूम कि कहां की कैसी परिस्थितियां हैं। इसलिये श्रीमन्, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं रक्खा जाता है तो फिर प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी कौन होगा ?

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि अच्छा यह होगा कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी वही हो जो कि उस गांव का हो, जो उसी क्षेत्र का हो और जो तजुर्बेकार हो। जैसे अगर कोई बुड्ढा हो जाय तो वह तजुर्बेकार होगा और वह जानता होगा कि यहां ३५ आदमियों में कौन किस तरह का व्यक्ति है। परन्तु श्रीमन्, यह सुझाव भी उतना ही अनवर्केबिल है जैसा कि अभी एक संशोधन के लिये कहा गया। क्योंकि फिर उसमें कैसे छांटा जाता कि कौन सा बुड्ढा जानकार है। फिर उसमें उम्र की भी क्वालीफिकेशन रक्खी जाती कि ७० वर्ष का हो या ६० वर्ष का हो या ४५ वर्ष का हो मुमकिन था कि कहीं उस उम्र का बुड्ढा न मिलता यह भी उसमें एक दिक्कत पड़ती इसलिए श्रीमन्, यह भी उतना ही अनवर्केबिल है जितने कि यहां पर और भी कई संशोधन आ चुके हैं।

मुझे खुशी है श्रीमन्, और मैं समझता हूं कि इस भवन को कृतज्ञ होना चाहिये श्री बालेन्दुशाह जी का कि उन्होंने एक ऐसा साल्यूशन निकाला है जोकि उन आलोचकों के प्वाइन्ट्स को भी मीट करता है और सरकार के प्वाइंट को भी मीट करता है। यह एक किस्म से कम्प्रोमाइजिंग फारमूला रक्खा गया है जिसमें सेलेक्शन भी है, एलेक्शन भी है। यानी डाइरेक्ट एलेक्शन हो करके इनडाइरेक्ट एलेक्शन है और उसके बाद फिर प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी के द्वारा सेलेक्शन भी हो जाता है। उन्होंने यह कहा कि गांव सभा द्वारा चुने हुए गांव पंचायत के लोग अपने में से न्याय पंचायत के लिए ५ आदमियों को चुन लेंगे और उनका कन्फरमेशन प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी करेगी। तो जब ५ आदमी चुन लिये जायेंगे वह कन्फरमेशन के लिए प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी के पास जायेंगे उस वक्त प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी के लिए आसान हो जायगा कि वह पता लगा लें कि यह ५ आदमी जो चुने हुए हैं ३५ आदमियों में से वह किस तरह के हैं। वैसे ३५ आदमियों में से ५ आदमियों को चुनने से सारी जिम्मेदारी सरकार पर आ जायगी और अगर कहीं काम खराब हुआ तो जनता कहेगी कि हम क्या करें, इनको सरकार ने हमारे ऊपर लादा था। सरकार द्वारा यह जो लादे गये पंच हैं हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। तो क्यों न ऐसा किया जाय कि इन लोगों को चुनने का भार गांव वालों पर छोड़ दें कि जिसको वे पसन्द कर चुन लें। ५,७ साल हो गये पिछले चुनाव को लोग देख चुके हैं कि उन्होंने जो गलतियां की कितनी तकलीफ हुयी। लोग जान चुके हैं कि अगर उन्हीं गलत आदमियों को चुना गया तो नुकसान होगा और फिर ऐसा करें तो कम से कम और हम सरकार के साथी जो हैं वह यह कहेंगे कि एक अमल का मौक मिला तुमने गलत आदमी को चुना। फिर मौका दे दिया फिर गलत आदमी को चुना तो सरकार क्या करे। तो श्रीमन्, अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ५ आदमियों को चुनती

है और मुझे आशंका है कि अवश्य यह बात होगी कि पांच आदमी अनुचित ले लिये जायेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए ३५ आदमियों के ब्लाक में से हर एक की जानकारी रखना कठिन है। तो बड़ी भारी रेस्पांसिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की है और फिर गांव वाले कहने लग जायेंगे कि सरकार ने हमारे ऊपर ५ आदमियों को लाद दिया है जो अन्याय करते हैं अत्याचार करते हैं। तो श्रीमन्, जो सुझाव इस समय इस संशोधन द्वारा लाया गया है उसमें तो यह है कि ३५ का चुनाव गांव वाले करेंगे। फिर यह ३५ बैठकर ५ आदमियों को चुन लेंगे और इन ५ का कनफरमेशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट.....

श्री अध्यक्ष—यह ३५ में से ५ तो नहीं होंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—इन्हीं में से होंगे।

श्री अध्यक्ष—गांव सभा चुनेगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—गांव सभा चुनेगी ३० या ३५ को और वही अपने में से ५ को चुन लें।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं है। मेरे पास जो संशोधन है उसमें यह है कि—

"the members prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after those persons elected by the Gaon Sabha from amongst themselves"

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, यदि आज्ञा हो तो स्पष्ट कर दूं। जो संशोधन दिया था उसको थोड़े में परिवर्तित करके पेश किया था।

श्री अध्यक्ष—उसका करेक्ट फार्म मेरे पास भेज दीजिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—तो श्रीमन्, इस संशोधन का सुझाव यह है कि ३०,३५ सदस्य चुने जायेंगे गांव सभा द्वारा और वे अपने में से ५ को चुन लें ग्राम पंचायत के लिए। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के सर से हटी। जिम्मेदारी फिर गांव वालों पर है। ठीक इसी प्रकार धमकी से या नाजायज़ दबाव से इन ५ में कोई अनुचित व्यक्ति तो नहीं आया है इसकी छटनी इस संशोधन में रखी गयी है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा सरकार से.....

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहूंगा कि उसमें और श्री विष्णुदयाल वर्मा के संशोधन में क्या फर्क रहा। उसमें भी तो यह था कि 'elected members have elected' और 'co-opted' वर्ड नहीं था। इलेक्टेड मेम्बर्स ने ५ को चुना क्या यही उसमें था ?

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उसमें कोआप्शन था।

श्री अध्यक्ष—कोआप्शन उसमें नहीं था।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उनके अमेंडमेंट में जो ५ हैं वही हो जाते पंचायत के मेम्बर और इसमें जब तक कि कनफर्मेशन बाई प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी न हो तब तक वे पांच भी नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष—यह भी है इसमें ? ठीक है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—तो इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था आपके द्वारा सरकार के सर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठ जाती है। जिम्मेदारी फिर उन्हीं गांव वालों पर पड़ती है जो कि असलियत में पड़नी चाहिये थी और हमारे पास चेक भी है कि कोई अनुचित व्यक्ति न आ जाय और वह यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा यह ५ व्यक्ति कनफर्म

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

किये जायं। इसलिए श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सरकार को यह एक बहुत अच्छा साल्यूशन मिला है जो काम्प्रोमाइज भी चाहता है और जितनी उलझनें और जितने झंझट इस प्रश्न पर उनके सामने थे उनको देखते हुए मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को मान लेगी जोकि माननीय बालेन्दुशाह जी ने पेश किया है।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय बालेन्दुशाह जी के संशोधन को देखा और मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि यह संशोधन उन लम्बे प्रयत्नों की एक सीढ़ी है जो जिस मंशा से पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है, उसको सैबोटाज करना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाहते हैं। दरअसल में अध्यक्ष महोदय, जहां तक न्याय अदालत का सम्बन्ध है आज प्रातः काल से इन दो सिद्धांतों में टक्कर हो रही है। कुछ लोग यह कहा करते हैं कि पंचायत अदालतों को एक चुनाव का अखाड़ा बना करके, उनको मखौल बना करके अन्ततोगत्वा खत्म कर देने की बात है। कुछ लोगों का यह ख्याल है, और वह सौभाग्य से जो इधर बैठते हैं उनका है कि जहां तक न्याय का सम्बन्ध है उसे जहां तक सम्भव हो सके चुनाव के अखाड़े से दूर रखा जाय और माननीय बालेन्दु शाह जी के इस संशोधन से तो चुनाव का एक दूसरा अखाड़ा भी खुलता है कि जो गांव सभा के चुने हुए सदस्य हों वे फिर आपस में बैठ कर सदस्यों का चुनाव करें। यानी एक चुनाव तो यह हो कि गांव सभा के सदस्य चुने जायं और उनके साथ-साथ उसमें कुछ संख्या न्याय पंचायती अदालत के सदस्यों की भी हो और दूसरा अखाड़ा यह हो कि वे बैठ कर जो संख्या न्याय पंचायत अदालत की हो उसको चुनें।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह---मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि एक दूसरा अखाड़ा पहले ही उप-प्रधान के चुनाव में बनाया जा चुका है?

श्री रामनरेश शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले भी कुछ कह सकता कि मैं पहले अखाड़े को भी पसन्द नहीं करता, लेकिन यह कि दूसरा अखाड़ा भी खोल दिया जाय पहले अखाड़े के कारण यह कहां तक उचित होगा यह प्रश्न इस समय विचारणीय है और इसलिये विचारणीय है कि अगर जैसा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक मर्तबा अपनी राय दी थी कि जहां तक न्याय का सम्बन्ध है उसमें चुनाव का होना बहुत ठीक नहीं होता, तो मौजूदा सरकार ने अपनी हाइयस्ट जुडिशियरी की राय को और जनता की भावनाओं का, दोनों का समन्वय किया है। और फिर अध्यक्ष महोदय, अगर सिद्धांत के प्रश्न को अलग रख दिया जाय तो माननीय सुरेश प्रकाश जी का यह तर्क मेरी समझ में कम से कम नहीं आता है कि यदि न्याय अदालतों में कोई बुराई होगी तो हम गांव में जाकर यह कह सकेंगे कि इसमें हमारा क्या दोष है, यह तो तुमने ही चुना है और तुम्हीं इसके जिम्मेदार हो। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आज यह सामने नहीं है और न किसी कानून बनाने वाली संस्था के सामने होना चाहिये कि जिम्मेदारी किसके कंधों पर डाली जाय, बल्कि प्रश्न यह होना चाहिये कि क़ानून ऐसा बने कि जिससे समाज के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को लाभ हो और ज्यादा से ज्यादा आदमियों को संतोष हो। तो यह तर्क जो माननीय सुरेश प्रकाश जी ने दिया है यह सम्भव है कि उन्हें अपने क्षेत्र की बात याद आती होगी कि हर एक को प्रसन्न करने की कोशिश की जाय चाहे वह सही हो या ग़लत हो और अपने को यह साबित करने का प्रयत्न किया जाय कि मैंने तो ठीक ही किया, जो कुछ गलत किया वह सरकार ने किया और अगर सरकार पर भी वह दोष नहीं साबित कर सके तो फिर यह कहा जाय कि भगवान ने किया। तो यह तर्क कम से कम कानून बनाने वाले सज्जनों को नहीं करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक हमारे लिये रास्ता खुल जायगा और न्याय अदालतों में गड़बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि तुम्हीं ने तो उनको चुना है। अब फिर से उनको चुनों। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि तजुर्बे से यह ज्ञात हुआ, अनुभव से यह पता चला कि जहां पर चुनाव हुये पंचायती अदालतों के वहां पर उस हद्द तक लाभ नहीं हो पाया जिस हद्द तक कि सरकार की मंशा थी। इस अनुभव के आधार पर और जो अपनी जुडीशियरी के बड़े-बड़े विद्वान् हैं उनकी राय जानकर यह निश्चय किया गया कि किसी तरह से चुनाव और न्याय दोनों का समन्वय किया जाय तो अच्छा हो।

अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में विरोधी दल के उस तरफ बैठने वालों ने इस मनोभावना को पहचानने की कोशिश नहीं की है और कहीं इशारा यह होता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का पता कैसे चलेगा, कैसे नामजदगी की जायगी, कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है और यहां तक कि यह अंदाजा लगाना और सब से ज्यादा जो फोबिया या भूत सवार है वह यह है कि एम० एल० ए० महोदय से राय ली जायगी। अगर वह सही राय देते हैं तो इसमें क्या बुराई है और वह भी राय उसी जगह पर देंगे जहां देना उचित होगा। एम० एल० एज०, जहां तक इस तरफ के बैठने वाले हैं वह अपनी आदत को जानते हैं।दूसरी तरफ के एम० एल० एज० यदि राय नहीं दे पाते हैं तो शिकायतन राय जरूर दे देते हैं। राय देने और शिकायतन राय देने में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। किसी चीज़ को करने के लिये शिकायतन या प्रदर्शन करके करवाना, यह भी राय देने का एक रास्ता है, जहां तक मैंने समझा है। यही बात उस तरफ लगाई जाती है जिसका कोई सबूत और प्रमाण विरोधी दल नहीं दे सका है सिवाय इसके कि यहां या बाहर कह दिया। लेकिन इस बात का सबूत उनके कार्यों और भाषणों से सदैव मिलता है कि उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की है शिकायत के आधार पर।

मैं, श्री सुरेश प्रकाश जी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि उन्हें सरकार की तारीफ करना चाहिये और इस सरकार को चलाने वाली पार्टी की तारीफ करनी चाहिये, जिसमें हिम्मत है कि वह जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहती है। नामजदगी हम करना चाहते हैं, इसलिये नहीं कि आप सोचें कि कोई मतलब निकालना चाहते हैं। जैसा कि कहा गया है कि नामजदगी इसलिये करना चाहते हैं कि इन न्याय पंचायतों में जिनमें चुने हुये लोग आये हैं, उनसे उस हद्द तक लाभ नहीं हो सका है जिस हद्द तक कि होना चाहिये था। यह सही है कि इन पंचायती अदालतों में चुनाव के कारण दलबन्दी हुई और उसके कारण हारी हुई पार्टी की जीती हुई पार्टी ने न्याय नहीं दिया। ऐसी सूचना सरकार के पास आयी है। इसलिये जरूरी था कि कोई न कोई बंधन डाला जाय, कोई न कोई रुकावट डाली जाय। यह रुकावट सरकार ने डाली है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यदि यह संशोधन जो माननीय बालेन्दु शाह जी का है, मान लिया जाय या और भी संशोधन जो हो चुके हैं या आगे आयेंगे, उनको मान लिया जाय तो जिस मंशा से संशोधन किया जा रहा है उसका प्रमाण ही निकल जायगा। यह हवा फैलाना और इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, काल्पनिक चीजों का चित्रण करना कि प्रेस्क्राइब्ड अथ.रिटी कौन होगी और होगी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगी। अभी इसका कोई भी रूप नहीं दिया गया है लेकिन एक कल्पित लक्ष्य बना कर ऐसी बातें कही गई हैं जिनका कोई संबंध नहीं है सिवाय इसके कि मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे विरोधी दल के कुछ सदस्यों को फोबिया हो गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम से और वह सही है अध्यक्ष महोदय, उनका फोबिया जो है उसकी वजह से वह हर जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की शिकायत करते हैं, वह उनके हित में जाता है क्योंकि आज शासन की जो सब से छोटी इकाई है प्रान्त की, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आरम्भ होती है और जो शासन को हिलाना या गिराना चाहते हैं, उन्हें जरूरत इस बात की होती है छोटी सी छोटी इकाई से ले कर बड़ी से बड़ी इकाई पर हमला करें। लेकिन जो इस शासन को चलाना चाहते हैं, समाज की सहायता करना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस चीज़ को जानते हुये भी, समझते हुये भी....

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, मैं आप की इस बात पर व्यवस्था चाहता हूं कि भाषण में जिस चीज़ का जिक्र भी न किया गया हो उस चीज़ को अपने से समझ कर उसका जवाब देना क्या ठीक है किसी माननीय सदस्य के लिये ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप बहुत गोल बात कह रहे हैं। मैं इसमें क्या व्यवस्था दूं? जरा साफ़ कीजिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिये न तो मैंने और न बालेन्दु शाह जी ने कुछ कहा है। तो उसको मान करके कि कहा होगा या कहा है या उसको ऐसा समझ कर, यह जो कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फोबिया या और क्या-क्या माननीय सदस्य ने कहा, यह क्या उचित है?

श्री अध्यक्ष--नहीं-नहीं। इसका तो आप ने जिक्र किया है कि पहले यह बात तय हुई थी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही प्रेसस्क्राइब्ड अथारिटी होगा। कई दफा आप के भाषण में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जिक्र आया था।

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने बड़ी कृपा कर के यह व्यवस्था दी और मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि माननीय सुरेश प्रकाश जी तो इस हद तक गये हैं कि जो अमेंडमेंट हो गये हैं उन भाषणों का भी जिक्र किया है। अगर वह चाहेंगे तो उन्हीं के भाषण को ले कर मैं दिखा दूंगा।

तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना कर रहा था कि यह कम्प्लीकेशन पैदा करना है और जटिलता लाना है। जहां तक पंचायतों की व्यवस्था का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा समझा है कि उसमें बड़ी सरलता और सिधाई होनी चाहिये। जटिलता उसमें नहीं आनी चाहिये, गुत्थियां नहीं डालनी चाहिये। माननीय बालेन्दुशाह जी का जो संशोधन है वह एक गुत्थी और एक गांठ और डालता है कि एक चुनाव हो, दो चुनाव हों और फिर उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चल कर उस पर अपनी मोहर लगावे। जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को मोहर लगाना ही है और जब उसमें कोई बन्धन नहीं लगाया जा रहा है कि कितने आदमियों को वह निकाल सकता है तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे तो सब को निकाल सकती है। उनके संशोधन से जहां तक मैं समझता हूं अगर वह मान भी लिया जाय तो उससे क्या फायदा होगा। इस बात को अगर मान लिया जाय कि किसी एक ढंग से शासन चलाने का कोई प्रयत्न करेगा तो जो कोई भी चुना हुआ होगा, पांच के पांचों जो चुने हुये होंगे उनको वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी निकाल सकती है। तो फिर यह समय क्यों बर्बाद किया जाय। इतना समय नष्ट किया जाय और फिर साथ-साथ वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी भी अपनी जगह पर रहे, अपनी पूरी ताक़त के साथ, इससे क्या फायदा होगा। इस तर्क को तो मैं मान सकता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को हटा दिया जाय और चुनाव रक्खा जाय, यह बात तो समझ में आती है लेकिन यह क्या बीच में कि ऐसा न हो तो ऐसा किया जाय, दस-बीस चीजों को मिला कर के एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बने, यह एक हाच-पाच की सी चीज है और कुछ समझ में नहीं आती। शायद उस आर्गुमेंट से कुछ मतलब समझ में आता है जो कभी-कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया जाता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नहीं रहनी चाहिये। ठीक है, उनका एक तर्क है, उनका एक निशाना है, एक रास्ता है, जो चीज वह चाहते हैं वह समझ में आती है। यह दूसरी बात है कि वह ग़लत है या सही लेकिन वह अपनी चीज रखते हैं और वह समझ में आती है परन्तु यह क्या है, यह कौन सा मुरब्बा बन रहा है, क्या चीज है, जैसे सब दलों को मिला कर एक संयुक्त दल बन गया, २५ रास्तों को ले कर एक रास्ता बन गया है....

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि पार्टियों के संबंध में बार-बार जिक्र लाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। मैंने टोका नहीं कई मर्तबा इशारतन आप ने दूसरों पर मोटिव भी एस्क्राइब किया है कि यह नियत होगी। अब उनकी तरफ से नियत तो स्पष्ट मालूम नहीं होती है और आप नियत को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं, यह उचित नहीं है क्योंकि इससे भाषण में गर्मी पैदा हो जायगी।

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ इशारा किया गया था इसलिये मैंने भी थोड़ा सा इशारा किया है, ज्यादा नहीं। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं और केवल इतना कहूंगा कि इस संशोधन से कोई लाभ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है और यह एक कम्प्लीकेशन पैदा करता है। एक प्रयत्न जो इस तरफ से हो रहा है कि न्याय को ज्यादातर जितना सम्भव हो सके चुनाव से अलग रक्खा जाय क्योंकि हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह न्याय पा सके, उस प्रयत्न में यह एक उलझन पैदा करता है। यदि चुनाव के कारण गड़बड़ी हो जाती है तो उसको अलग करना चाहिये । जहां तक नामजदगी का प्रश्न है अगर नामजदगी अच्छी चीज नहीं है लिहाजा उसको हटा देना चाहिये और चुनाव किसी हद तक आना चाहिये। मैं आप के द्वारा, अध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तर्क का विस्तार ज्यादा दूर तक और पूरे तौर पर किया जाय तो कभी यह भी कहा जा सकता है कि मुंसिफ का सेलेक्शन नहीं होना चाहिये, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिये और जुडीशियरी का प्रत्येक व्यक्ति चुना हुआ होना चाहिए क्योंकि कोई न कोई पार्टी सरकार में रहेगी और कुछ न कुछ हाथ उन लोगों की नियुक्ति में सरकार का रहता ह है। तो अगर यह तर्क सिद्धांततः मान लिया जाय कि नामजदगी बिल्कुल ग़लत चीज है, चुनाव ही एक चीज है, जो लिया जाय न्याय के सम्बन्ध में, तो यह तर्क भी, विस्तार करने पर आ जायगा। इससे बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं आप के द्वारा अन्त में यह प्रार्थना करूंगा कि न्याय को एक दम चुनाव से अलग रखा जाय। और मैं तो माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा यह कहूंगा कि अगर बीच में यह भी मालूम हो कि यह जो अखाड़ा एक चुनाव का हो गया उसमें भी गड़बड़ी हो रही है तो उसमें भी संशोधन लाया जाय और उसको भी समाप्त कर दिया जाय क्योंकि न्याय मिले इस समाज को, यह समाज की मांग है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के द्वारा समाज को न्याय मिलने वाला नहीं है।

श्री अब्दुल मुईज खां--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

कई सदस्य--अभी इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--और लोग भी बोलना चाहते हैं तो दो एक भाषणों के बाद यह प्रश्न लिया जायेगा।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बालेन्दुशाह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं, और मजबूरी मेरी यह है कि यदि हम समर्थन न करें तो माननीय राम नरेश जी ने जो पहले से इसके लिये नक्शा बना रखा है जिसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के ऊपर कोई भेद नहीं है यह बहुत ख़राब बात है। क्योंकि अगर माननीय विष्णुदयाल वर्मा जी के संशोधन को माननीय राम नरेश शुक्ल जी ने स्वीकार करने की मेहरबानी की होती या माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी के संशोधन को स्वीकार करने की माननीय राम नरेश जी ने मेहरबानी की होती तो मैं समझता हूं कि माननीय बालेन्दुशाह जी को इस संशोधन को पेश करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन चूंकि उन दोनों संशोधनों को स्वीकार करने की उन्होंने कृपा नहीं की इसलिये माननीय बालेन्दु शाह जी के संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ी । मैं समझता हूं कि माननीय विष्णुदयाल जी का संशोधन और माननीय मदनमोहन जी का संशोधन जब आया तो उस समय चाहे माननीय राम नरेश जी खामोश रहे हों लेकिन यह उनकी इच्छा थी कि वह दोनों संशोधन ख़राब हैं । वह दोनों संशोधन उनके उद्देश्य से विपरीत जाते हैं । इसलिये दोनो अस्वीकार कर दिये जायं। और जब वह अस्वीकृत हो गये तो यह जो हल्के दरजे का चेक लगता है प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर उसको वह बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ कह रहे हैं कि जो संशोधन हम लोग रखते हैं कि चुनाव द्वारा ही न्याय पंचायतों का निर्माण हो उसे तो वह कहते हैं कि वह बात कुछ समझ में आने वाली है। लेकिन माननीय बालेन्दुशाह जी की बात समझ में आने वाली नहीं है। माननीय राम नरेश जी ने यह भी कहा कि हमारी बात सही है या ग़लत उस पर वह राय नहीं देना चाहते। तो सीधी

[श्री गेंदा सिंह]

बात यह है कि न्याय पंचायतों का चुनाव किया जाय इसको तो वह ग़लत कहेंगे ही लेकिन उससे हल्के दरजे की बात जो माननीय बालेन्दुशाह जी ने पेश की है उसको भी कह दिया कि यह भी ग़लत है। इसलिये अब मैं माननीय बालेन्दुशाह जी के इस संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कोई चेक नहीं चाहते माननीय राम नरेश जी इस न्याय पंचायत के बनाने वालों के ऊपर, उनको बड़ा मोह है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों पर। उनके बारे में मुझे अधिक कहने की ज़रूरत नहीं मालूम होती है, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में कुछ चर्चा उनकी हो गयी है और अभी तक उस तरह से इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में जिलाधीश महोदयों का क्या स्थान होगा? वह होंगे या नहीं? अब ऐसा मैं समझता हूं कि मौन हो जाना भी स्वीकृति के लक्षण हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स रहेंगे और और भी लोग रहेंगे। अगर माननीय मंत्री जी कह दें कि वह नहीं रहेंगे तो मैं दूसरी बात कहूं। मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी बिलकुल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। माननीय रामनरेश जी ने तो साफ बात कह दी कि बस सब से अच्छी इकाई तो वही है इस शासन की। अगर उस छोटी इकाई, जिलाधीश महोदय हैं जिन पर, उन्होंने भरोसा नहीं किया तो वह शासन उलट जायगा। इसलिये माननीय राम नरेश जी का जो अनुभव है ५-६ वर्ष का, उस में उन्होंने यह समझा है कि अब से बढ़िया इलाज यह है कि इस न्याय के ऊपर हमला करो।

जो हमारा संविधान है, वह कह रहा है कि न्याय को ज्यादा से ज्यादा एग्ज़िक्यूटिव से अलग करो, बल्कि सोलहों आना अलग कर देने को उसमें कहा गया है हम देख रहे हैं कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। उससे उल्टा चलने की बात माननीय रामनरेश जी सोच रहे हैं कि बजाय इसके कि न्याय विभाग को शासन से अलग किया जाय वह यह फैसला करना चाहते हैं कि न्याय के ऊपर पूरा क़ब्ज़ा कर लेना चाहिये। वह कहते हैं कि चुनी हुई न्याय की शाखाएं हों यह बड़ी ख़राब बात है। मैं उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि कौन सी न्याय की शाखा ऐसी है कि जो चुनी हुई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? कोई आसमान से नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय को मालूम होता है हम नहीं चुनते, कोई खुदा मियां उनका चुनाव करते हैं या अदृष्य शक्ति करती है। तो हम जब करते हैं तो हम भी चुने हुए हैं और हमारे द्वारा नियुक्तियां जो उनकी होती हैं तो उनके द्वारा जो नियुक्तियां हुईं जजों की, तो मैं समझता हूं कि वह भी अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि मैंने निवेदन किया चुने हुये लोगों ने ही की और इसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजों की और दूसरे जजों की नियुक्तियां भी चुने हुये लोगों के द्वारा होती हैं। जिसको माननीय राम नरेश जी इकाई कह रहे हैं जिला की, तो मैं कहता हूं कि गांव की सबसे पहली सीढ़ी पंचायत होती है। अगर वह भी चुनी हुई हो तो और भी अच्छा है। अगर चुनी हुई न हो, तो क्या हो। अगर न्याय विभाग का कोई अधिकारी उस न्याय पंचायत के चुनने में हाथ डाले तो जिस तरह से कुछ लोग लाल कपड़ा देख कर भड़कते हैं उसी तरह से माननीय रामनरेश जी भड़कते हैं, कि नहीं, कभी नहीं, न्याय विभाग वालों को इस न्याय पंचायत से छुआछूत नहीं होनी चाहिये। अगर नहीं होनी चाहिये तो मैं साफ तौर से इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि जो उनकी न्याय पंचायतों में एक आना, दो आना इंडिपेंडेंस बाक़ी रह गयी है वह भी न रह जाय। मैं जानता हूं कि सरकार को उसमें कुछ लुत्फ़ भी आता ही है। वह तो मज़ा लेना चाहती है इसमें। सरकार कभी इसको नहीं चाहती कि शासन और न्याय में पृथक्करण हो। मद्रास में न्याय को शासन से अलग करने का फैसला मद्रास सरकार ने ले लिया उस जमाने में जिस जमाने में मद्रास में आग लगी हुई थी।

श्री अध्यक्ष--आप कुछ असंगत से हो रहे हैं। जरा संशोधन पर आ जाइये।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिल्कुल संशोधन पर ही अपनी बातें कहना चाहता हूं और आपकी आज्ञा पालन करूंगा लेकिन माननीय राम नरेश जी की खिदमत में जरा यह बात अर्ज कर देना चाहता था.....

श्री अध्यक्ष--आप ने विषयान्तर यह कर दिया कि न्याय से शासन को अलग करने के लिये आप ने मद्रास का क़िस्सा सुनाना शुरू कर दिया तो यह बहुत बड़ी दास्तान हो जायगी। न्याय से जो कुछ संबंधित बातें हों वह आप कहें लेकिन मद्रास का जो आप किस्सा सुना रहे हैं वह जरा विषयान्तर हो रहा है।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं मद्रास का जिक्र नहीं करूंगा लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि जिस वक्त न्याय पंचायतों के प्रश्न पर विचार किया जाय कि उनका क्या ढांचा हो हमारी सरकार को जरा उस पर गौर करना चाहिये। मैं फिर यही कहूंगा कि इस न्याय को हम पहली सीढ़ी बना रहे हैं। इसमें जितनी भी स्वतंत्रता हो सके न्याय करने की उसके लिये हमें विधेयक में गुंजायश रखनी चाहियें। हम देखते हैं कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनेगी उस संबंध में अब तक माननीय स्वशासन मंत्री या किसी माननीय सदस्य की ओर से यह बात नहीं कही गई कि इसमें न्याय विभाग वालों का भी हाथ होगा। अगर न्याय विभाग वालों का हाथ नहीं होता है तो इसके स्पष्ट अर्थ यह होंगे शासन के चंगुल में पूरे तौर से न्याय पंचायतों को दे देना। शासन की जो मुसीबत है, उस मुसीबत को कहने की बात बहुत मर्तबा आती है और जिस तरह से हम आपको परेशान करते हैं अपनी तकलीफें सुना कर वह केवल शासन की वजह से आप को सुनाने की जरूरत पड़ती है तो फिर उस शासन के हाथ में पूरे तौर से साढ़े आठ हजार जो न्याय पंचायतें बनेंगी उनको दे देना यह कभी बर्दाश्त करने की बात नहीं है। सरकार ताक़त में है। सरकार जिस तरह से अपने को महफूज समझेगी या अपने दिल की बात सोच कर महफूज करना सोचेगी करेगी और उसके लिये जिस तरह से नक्शा बनायेगी वह ठीक है और उसके लिये गांव सभाओं को वह जिस तरह से अपने साथ ले जाने की कोशिश करे वह मुनासिब हो सकता है और उसके लिये वह कोशिश कर सकती है लेकिन न्याय के नाम पर और संविधान के नाम पर और अपने पुराने प्रस्तावों के नाम पर अगर इन न्याय पंचायतों को शासन के चंगुल में न दिया जाय तो यही उचित है।

यह माननीय बालेन्दुशाह जी का जो प्रस्ताव है वह पूरे तौर से शासन के चंगुल से न्याय पंचायतों को नहीं छुड़ाता, थोड़ा सा चेक करता है और उस थोड़े से चेक को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मजबूरी होगी इस असंशोधन को स्वीकार कर देने के बाद यह आप के सामने कहना पड़ेगा कि यह पूरी धारा ही निकाल दी जाय। क्योंकि इस धारा के रखने से मैं समझता हूं कि पंचायतों की प्रतिष्ठा में कमी होगी। मैं इस बात को मानता हूं कि पंचायतों में प्रतिष्ठा के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी रहा है और उसके सुधारने की जरूरत है लेकिन यह जो तरीका अपनाया जा रहा है यह उन पंचायतों को बजाय सुधारने के और भ्रष्ट करूंगा। मैं इस सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि यह हमारे लिये नहीं बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि संविधान के नाम पर, न्याय के नाम पर और समाज के नाम पर आगे के लिये लोग ऐसा सबक़ न सीखें कि अगर हम यहां पर बैठ जायं और यहां पर जिस मर्यादा का ध्यान हमको रखना चाहिये उसको भूल जायं तो वही कठिनाई हो जायेगी। इन सब चीजों पर ध्यान रख कर आप माननीय बालेन्दुशाह के संशोधन को स्वीकार कर लें। अगर आप ने विष्णुदयाल जी के संशोधन को अस्वीकार किया होता तो मुझे बालेन्दुशाह जी के संशोधन का समर्थन करने की जरूरत नहीं पड़ती और वह संशोधन यहां पर आता भी नहीं, लेकिन जब पेट भर खाने को अच्छा नहीं मिलता है तो हम सत्तू ही खोने के लिये तैयार हैं। माननीय बालेन्दुशाह जी का जो संशोधन है वह हमारे सत्तू के समान है लेकिन फिर भी मजबूर हैं कि उसको ही खाकर कुछ शान्ति प्राप्त कर लें।

श्री अब्दुल मुईज खां--श्रीमान् जी, मैं प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। हमारे साथी माननीय बालेन्दुशाह ने जो संशोधन सदन के सामने रखा है उसके बारे में मुझे यह बात समझ में नहीं आयी कि इससे पहले जो संशोधन यह सदन अस्वीकार कर चुका है यानी यह कि एलेक्टेड मेम्बर के जरिये से न्याय पंचायत के वे ५ सदस्य चुने जायं। इस बात को सदन जब अस्वीकार कर चुका है तो उसके बचने के लिये आप का संशोधन आउट आफ आर्डर न हो जाय

[श्री अब्दुल मुईज खां]

उसके बाद इस शब्दावली से प्रेस्काइब्ड अथारिटी से कन्फर्म कराने की बात कही गयी। यह एक बात कही गयी जिसकी वजह से वह आउट आफ आर्डर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इस संशोधन का समर्थन किया उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे यह मालूम हो सके कि वह इस पोर्शन के लिये जस्टिफिकेशन हो सकता है। मैं उनकी बातों को समझने में असमर्थ रहा। मेरा ख्याल है कि जो बात इस संशोधन में रखी जा रही है बजाय इसके कि इस कानून में कोई आसानी हो इससे और ज्यादा अड़चन पैदा हो जायगी और वह यह है कि जब कोई पंचायत का सदस्य चुन कर आयेगा उसके साथ कुछ और सदस्य भी चुने जायंगे। वह आपस में बैठ कर ५,४ या जितने भी सदस्य न्याय पंचायत के लिये चुने होंगे, चुनेंगे। इस चुनाव को अगर प्रेस्काइब्ड अथारिटी ने मंजूर नहीं किया तो उस वक्त क्या तरीका अख्तियार किया जायगा। इसके लिये कोई बात इस संशोधन में नहीं रखी जा रही है। इससे जाहिर है कि ऐसी बहुत सी सूरतें पैदा हो सकती हैं। यह जो पंचायत राज का तरीका है और उसमें जो यह न्याय पंचायत के जरिये सुधार की बात रखी जा रही है उसके सुधार होने की गुंजाइश कम हो जायगी। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†महाराजकुमार बालेन्दु शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन शब्दों से और जिस जोश के साथ आज माननीय रामनरेश जी ने इस सदन में भाषण दिया उससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यदि प्रेस्काइब्ड अथारिटी के हाथ से पंचों की नियुक्ति हटा दी जाय तो उससे सरकार को कोई विशेष आपत्ति पहुंचेगी। मैंने तो अपने भाषण में शुरू में यह कह दिया था कि हमको और जो आम जनता को, आपत्ति पंचों के चुनाव के संबंध में बतायी गयी उसका एक हल, और उस समस्या को हल करने के लिये एक तरीका मैंने सामने रखा था। जहां तक रामनरेश जी ने मेरे कम्प्रोमाइज के फार्मूले को क्रिटिसाइज किया है और उनके विचारों के अनुसार एक कम्प्रोमाइज को पेश करना एक ग़लत बात है उनके वहां पर और मेरे यहां पर होने का ही यह कारण है। बहुमत के अहंकार में मस्त होकर बहुमत के जरिये से अपनी इच्छा के अनुसार और मनमानी करने का अभ्यासी होने के बाद यह चेष्टा कि वे सही रूप में समस्या को हल करने का उपाय पेश करें, चाहे कोई कम्प्रोमाइज ही पेश क्यों न करे। मैं यह मानता हूं कि श्री रामनरेश जी के लिये यह एक कठिन समस्या है और वह उसको सुलझा नहीं पायेंगे। जो खास प्रश्न था उसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ अधिक नहीं कहा। उन्होंने न्याय-न्याय की बहुत अधिक दुहाई दी मैं माननीय राम नरेश जी से पूछूंगा कि वह न्याय क्या है जिसकी इस सदन में उन्होंने इतने जोरदार शब्दों में चर्चा की है। मेरी हमेशा यह कोशिश होती है कि किसी के खिलाफ अधिक न कहा जाय लेकिन यह पूछना ही पड़ता है कि क्या रामनरेश जी न्याय का अर्थ यही समझते हैं जैसी कि जिलों में घटनाएं हो रही हैं। क्या कानपुर की घटना उनके विचार से न्याय संगत हो सकती है? कानपुर ही क्यों टेहरी-गढ़वाल या और कोई जिला ही ले लीजिये वहां भी यही होता है। मैं पूछता हूं कि क्या आप हरएक पंचायत में इसी प्रकार का न्याय प्रचलित करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि हम न्याय पंचायतों का चुनाव कराते हैं तो फिर यह भी मांग आयेगी कि हाईकोर्ट के जजों का भी चुनाव हो। समझ में नहीं आया कि उन्होंने यह तत्व कहां से पाया। मुझे दुःख हुआ हालांकि उनका भाषण बहुत अच्छा था लेकिन वह तत्वविहीन था शुरू से अन्त तक और किसी तत्व को पेश करने का भी प्रयत्न किया तो उन्होंने काल्पनिक रूप से ही किया। ट्रेजरी बेंचेज की ओर बैठकर और उसके एक प्रमुख होने के नाते

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ये बातें उन्हें शोभा नहीं देतीं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह प्रश्न है कि जुडीशियरी इलेक्टेड हो या न हो उसके संबंध में मैं शुरू में ही बहुत कुछ कह चुका हूं लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह और कहना चाहूंगा कि जब एक तरफ यह प्रश्न है कि जुडीशियरी इलेक्टेड न हो उसके साथ ही साथ दूसरा प्रश्न यह भी है कि जुडिशियरी ऐक्जीक्यूटिव से जहां तक हो सके अलग हो। इस सम्बन्ध में मैं यहां तक कहूंगा कि हाईकोर्ट के जजेज की नियुक्ति ऐक्जीक्यूटिव के द्वारा होती है तो मैं पूछूंगा कि क्या राम नरेश जी को यह मालूम है कि हाई कोर्ट के जजेज भी ऐक्जीक्यूटिव के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। और जो हाईकोर्ट के जजेज प्रभावित हो सकते हैं.....

श्री मोहन लाल गौतम--मेरे ख्याल में माननीय हाईकोर्ट को इस प्रकार से क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप हाईकोर्ट के जजेज का नाम न लें क्योंकि एज ए होल हाईकोर्ट पर रिफ्लेक्शन पड़ता है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, ठीक है। अध्यक्ष महोदय मैं यह कह रहा था कि हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि न्यायालयों के जजेज ऐक्जीक्यूटिव से प्रभावित होते हैं चाहे वह किसी भी श्रेणी का न्यायालय क्यों न हो और जबकि उच्च श्रेणी के न्यायालयों पर प्रभाव पड़ सकता है तो मैं पूछूंगा कि एक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा नियुक्त किये गये साधारण, गरीब और देहात में रहने वाले पंचों के ऊपर किस प्रकार से ऐक्जीक्यूटिव का प्रभाव न पड़ेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यह शुबहा ही क्यों रक्खा जाय कि आखिर प्रभाव पड़ ही जायगा। यह हमारा अनुभव है और हालांकि श्री राम नरेश जी यहां इस सदन में कुछ कह दें लेकिन मेरा विश्वास है कि उनका भी यही अनुभव है कि आजकल के न्यायालय उतने उच्च नहीं हैं, उतने निष्पक्ष नहीं हैं जितनी कि उनसे आशा की जाती है और जबकि ये न्यायालय इतने निष्पक्ष नहीं पाये जाते हालांकि उनके जजेज की नियुक्ति के समय एक्जीक्यूटिव बहुत विचार करती है और योग्य व्यक्तियों को ही केवल नियुक्त करती है फिर भी उनकी निष्पक्षता में शुबहा जाहिर किया जा सकता है। फिर मैं पूछता हूं कि इन पंचों की नियुक्ति के पश्चात् यह कैसे आशा की जायगी कि वे इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के प्रभाव से ऊपर उठ पायेंगे और वे पंच किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या किसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर या डिस्ट्रिक्ट पंचायत-राज आफिसर के संकेत से दूर रह सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपके द्वारा यह भी प्रकट करना चाहता हूं हालांकि इसका जिक्र पहले होना चाहिये था फिर भी 'बेटर लेट दैन नेवर' इस विधेयक को इस रूप में पेश करके माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन का अपमान किया है। इस सदन में मैं स्पष्ट रूप से दिखलायी देता है कि आपका बहुमत है और उसके जोर पर इस सदन से यह आशा करना कि वह इस संशोधन विधेयक को पारित करे जब कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सरीखे शब्द की, इंस्टीट्यूशन की कोई परिभाषा नहीं दी गयी है, परिभाषा अध्यक्ष महोदय तभी हो सकती थी जबकि कम से कम इस चीज का रुख माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में क्रिस्टलाइज हो जाय। मुझे दुख है कि इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी क्या होगी यह हमें नहीं बतलाया गया है और न हमको किसी प्रकार का संकेत ही दिया गया है कि अगर यह चीज नहीं होगी तो यह होगी। यानी जहां तक कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रकट कर दिया जाय, किसी प्रकार का विचार प्रकट नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष--अभी आप कुछ देर तक अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--जी हां, अभी मैं कुछ देर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष--तो मैं समझता हूं कि कल आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मुझे सदन को कुछ सूचना देनी है।

स्थायी समितियों के लिए नामजदगी करीब-करीब सब की आ चुकी है लेकिन पांच के विषय में मुझे मालूम हुआ है कि उनकी नामजदगी पूरी नहीं हुयी है या शायद बिलकुल ही नहीं हुयी है। वे ये हैं—यातायात कमेटी, आबकारी कमेटी, शरणार्थी कमेटी और खाद वितरण कमेटी तथा जेल, तो इसलिए कि चूंकि इनकी कतई नामजदगी नहीं हुयी है, मैं दूसरी तारीख उनके लिये मुकर्रर करता हूं। ७ मई, ३ बजे तक नामजदगी की तारीख होगी और ८ मई को १ बजे तक उनकी सूक्ष्म परीक्षा होगी। ११ मई नाम वापस लेने की तिथि होगी। कुछ नाम वापसी पर भी अगर चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो १५ तारीख को चुनाव होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
४ मई, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर ।)

सूची

१	लाल गंज डंडवा	कच्ची सड़क	४ मील
२	घनघटा विश्वनाथपुर	,,	५ ,,
३	दुधारा बस्ती	,,	४ ,,
४	तालपुरवा [illegible]नासी	,,	८ ,,
५	बिसकोहर पटना	,,	९ ,,
६	हरैया सेमरा	,,	६ ,,
७	डुबोलिया कप्टेन गंज	,,	८ ,,
८	घनघटा सिरसी	ग्राम सड़क	६ ,,
९	[illegible] करही	,,	७ ,,
१०	रुदौली मानपुर	,,	८ ,,
११	उसका लोहांस	,,	६ ,,
१२	विर्धीपुर तिवड़ा	,,	६ ,,
१३	चांदापुर अहरोलिया	,,	६ ,,
१४	डुमरिया गंज महवार	,,	७ ,,
१५	नलिहापुर रजवापुर	,,	७ ,,
			९७ मील

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—४१ एच० ए०—१९५४—८५० ।